दशम माला, खण्ड 47, अंक 7

गुरुवार, 7 मार्च, 1996
17 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा के दिनांक 7-3-1996 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
84	11	तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल संबंधी अन्वेषण	तेल और प्राकृतिक गैस निगम की अन्वेषण नीति
134	नीचे से 10	खौल	खौले
164	नीचे से 3	यदि नहीं	यदि हां
177	18	विधायन	विधान
181	प्रश्न संख्या 936	श्री रितिलाला वर्मा	श्री रतिलाल वर्मा
190	1	(घ)	(च)
192	नीचे से 4	फौक्कू	फौक्कर
192	24	मूल दूरसंचार सेवाओं में कार्यक्षमता	मूल दूरसंचार सेवाओं में रोजगार के अवसर
193	1	फौक्कू	फौक्कर

विषय-सूची

दशम माला खंड : 47, सोलहवां सत्र, 1996 / 1917 (शक)

अंक : 7, गुरुवार, 7 मार्च, 1996 / 17 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	101 से 120	1-86
अतारांकित प्रश्न संख्या :	813 से 975	86-215
सभा पटल पर रखे गये पत्र		216-219
लोक लेखा समिति		219-220
विवरण-सभा पटल पर रखे गये		
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
पचासवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		220
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		221
उनसठवां और साठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		
याचिका समिति		
छब्बीसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		221
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
बारहवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन कार्यवाही सारांश, शब्दशः कार्यवाही और विवरण - **प्रस्तुत**		221-222
वित्त संबंधी स्थायी समिति		
चौसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		222
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		222
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति		
पन्द्रहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		223
उद्योग संबंधी स्थायी समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर **रखा गया**		223
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति		
बारहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर **रखा गया**		224

लोक सभा

गुरूवार, 7 मार्च, 1996/17 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न काल की कार्यवाही शुरु करें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : नियम 383 के अधीन मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह हवाला मामले से संबंधित कार्यवाही की प्रगति का ब्यौरा न्यायालय को सीधे दें। यह उसके विरूद्ध स्पष्ट आक्षेप है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। आप जो कुछ कहेंगे वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा। आप जो भी मुद्दे उठायेंगे उसके उचित उत्तर पाने का आपको अधिकार होगा। लेकिन चर्चा को रोक देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म.प. पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कोयला खान दुर्घटनाएं

*101. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में गत तीन महीनों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या ऐसे श्रमिकों/उनके निकट संबंधियों को कोई मुआवजा अदा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मुआवजे की राशि का भुगतान यथाशीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन महीनों के दौरान (दिसंबर, 1995 से फरवरी, 1996 की अवधि में) कोयला खानों में 34 मृतक दुर्घटनाएं और 115 गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित दुर्घटनाओं में मृतक तथा गंभीर रूप से घायल हुए कामगारों की संख्या क्रमश: 37 तथा 129 रही है।

(ग) ऐसी मृतक दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजा, जो कि दिसंबर 1995 और जनवरी, 1996 की अवधि के दौरान हुई थी, उक्त मामलों में को.ई.लि. द्वारा अदायगी कर दी गई है।

(घ) और (ङ) चोट लगने की स्थिति में मुआवजे की राशि की संगणना कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है और यह कामगार की अपंगता, आयु तथा उसकी मासिक आय के आधार पर निर्धारित की जाती है। मृत्यु होने के मामले में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संगठित किए गए मुआवजे की राशि के अतिरिक्त, कोल इंडिया लि. द्वारा मृतक कामगार के आश्रितों को निम्न राशि अदा की जाती है :-

(i)	अन्त्येष्टि व्यय	रुपये 500/-
(ii)	अनुग्रह राशि	रुपये 10,000/-
(iii)	जीवन-बीमा योजना के अंतर्गत देय राशि	रुपये 15,000/-

इसके अलावा, मृतक व्यक्ति के एक आश्रित को रोजगार दिए जाने की भी पेशकश की जाती है। इस संबंध में विकल्प के रूप में रोजगार के एवज में विधवा अथवा महिला आश्रित को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, मृत्यु होने पर, पुन: शादी किए जाने पर, इसमें जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए 3000/- रुपये प्रति माह पेंशन की राशि की अदायगी की जाती है।

केन्द्रीय धनराशि का अन्यत्र उपयोग

102. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु निर्धारित केन्द्रीय धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए अभिप्रेत केन्द्रीय धनराशि को किसी अन्य कार्य में लगाया गया है। आगे के ब्यौरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए जा रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज

103. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम और अन्य ऐसे ही संगठनों द्वारा पश्चिम बंगाल तथा बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज संबंधी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य हेतु चल रही गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गोल्फ ग्रीन क्षेत्र में त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण और जागुली में द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण के रूप में तेल एवं गैस के अन्वेषण में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन भूकंपीय आंकड़ा अर्जन तथा अन्वेषी वेधन के जरिए दुर्गापुर में कोल-बेड मीथेन के अन्वेषण में भी लगा हुआ है। जहां तक बंगाल की खाड़ी में बंगाल अपतट का संबंध है, अब तक वेधित कूपों तथा भूकंपीय सर्वेक्षणों से प्राप्त किए गए आंकड़ों का समाकलन तथा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

म्यांमार से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

104. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री मंजय लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में म्यांमार से प्रत्यावर्तित ऐसे परिवारों को बेदखल किये जाने के मामले आये हैं जिन्हें वर्ष 1970 के बाद राज्य सरकार द्वारा बिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर और पश्चिम चम्पारण जिलों में बसाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामलों की जांच के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही ही की जा रही है ताकि उन लोगों को उनकी उसी भूमि पर बसाया जा सके जहां से उन्हें हटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी/दूरदर्शन का विस्तार

105. श्रीमती शीला गौतम :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या, उनके प्रसारण के दायरे में आने वाली संपूर्ण जनसंख्या और क्षेत्रों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) हालांकि आकाशवाणी ने देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र और 97.3 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया है जबकि दूरदर्शन ने मौजूदा प्रसारण सुविधाओं के जरिए 68.7 प्रतिशत क्षेत्र और 85.6 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया है।

(ख से (घ) दूरदर्शन को अभी तक कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में टी.वी. सेवा को बढ़ाने हेतु कुछ राज्य सरकारों के समय-2 पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में टी.वी. सेवा को बढ़ाने की दृष्टि से वर्तमान में कई स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं बशर्ते कि आधारभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हों।

कोयले का निर्यात

106. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा निर्धारित बाजार दर और निर्यात दर कितनी-कितनी थी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा निर्यात किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :-

(आंकड़े 000 टन में)
(आंकड़े अन्तिम)

वर्ष	मात्रा
1992-93	132.0
1993-94	98.2
1994-95	111.0

(ख) भारतीय बाजार में बिक्री के लिए कोयले की अधिसूचित कीमतें और पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए निर्धारित की गई दरें नीचे दर्शायी गई हैं :-

वर्ष	स्रोत/ग्रेड	घरेलू बिक्री के लिए अधिसूचित कीमतें (सभी लेवी सहित) (आई.एन.आर.)	निर्यात दर/टन (सभी लेवी सहित)	
			नेपाल (आईएनआर)	बांग्लादेश (आईएनआर)
1	2	3	4	5
92-93	रानीगंज स्टीम "बी"	883.04	1275.20*	1245.48**
93-94	रानीगंज स्टीम "बी"	923.68	1204.30*	1235.24**
	दानकुनी कोयला फाइन	1058.00	1058.00*	
	भाकोकोलि वाशरी ग्रेड-3 स्टीम	593.25	756.00 (एक्स.कोलि.)	
94-95	रानीगंज स्टीम	968.34	1251.50*	1251.00*
	दानकुनी कोयला फाइन	1058.00	1175.00*	
	भाकोकोलि वाशरी ग्रेड-3 स्टीम	632.25	906.00 (एक्स.कोलि.)	

* रक्सोल सीमा तक भाड़े को शामिल न किए जाने के बाद।

** गीडे सीमा तक रेल भाड़े को शामिल न किए जाने के बाद।

एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र

107. **श्री बलराज पासी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1995 तक कितने एलपीजी बाटलिंग संयंत्र कार्यरत थे;

(ख) क्या ऐसे कुछ और संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे;

(घ) क्या श्रमिकों के कल्याण के लिये इन बाटलिंग संयंत्रों में सुरक्षा संबंधी उपायों को समुचित रूप से लागू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों से संबंधित कुल 84 एलपीजी भरण संयंत्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) जी हां। संयंत्र की सुरक्षा और इस प्रकार कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकार और सुरक्षा की अपेक्षाओं के आधार पर भरण संयंत्रों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाती है;

1. संयंत्र के चारों ओर पर्याप्त हरित पट्टी।
2. दाबयुक्त नल प्रणाली।
3. मध्यम वेग छिड़काव प्रणाली जिसमें रिमोट/स्थानीय चलित डेल्यूज वाल्वयुक्त, ताप का पता लगाने वाला उत्तम साधन होता है।
4. एल पी जी उत्पाद लाइनों पर रिमोट से चलने वाले वाल्व।
5. गैस का पता लगाने वाली प्रणाली।
6. वाष्प निष्कर्षण प्रणाली।
7. विस्फोटक मीटरों द्वारा नियमित जांच।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को दस्ताने और जूते उपलब्ध कराकर भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

विवरण

8 वीं योजना के प्रस्तावों के अनुसार नए भरण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए नियोजित स्थान

स्थान	राज्य	तेल कंपनी	क्षमता टी एम टी पी ए में
1	2	3	4
गुवाहाटी*	असम	आई.ओ.सी.	22*
सिक्किम	सिक्किम	आई.ओ.सी.	5
मिजोरम	मिजोरम	आई.ओ.सी.	5
मणिपुर	मणिपुर	आई.ओ.सी.	10
त्रिपुरा	त्रिपुरा	आई.ओ.सी.	5
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	आई.ओ.सी.	44
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	बी.पी.सी.	22
रायगंज	पश्चिम बंगाल	बी.पी.सी.	10

1	2	3	4
वर्दवान	पश्चिम बंगाल	बी.पी.सी.	10
कुड्डापाह	आंध्र प्रदेश	आई.ओ.सी.	44
मद्रास	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	66
मद्रास	तमिलनाडु	एच.पी.सी.	22
मद्रास	तमिलनाडु	बी.पी.सी.	22
मदुराई	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	22
त्रिची	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	22
तनजाउर	तमिलनाडु	बी.पी.सी.	10
वेल्लोर	तमिलनाडु	बी.पी.सी.	10
क्यूलीन	केरल	आई.ओ.सी.	22
अकोला	महाराष्ट्र	आई.ओ.सी.	44
अहमदाबाद*	गुजरात	बी.पी.सी.	34**
अहमदाबाद	गुजरात	आई.ओ.सी.	32
भावनगर	गुजरात	आई.ओ.सी.	44
दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	आई.ओ.सी.	88
बीकानेर	राजस्थान	आई.ओ.सी.	22
पटियाला	पंजाब	आई.ओ.सी.	34
फरीदाबाद	उत्तर प्रदेश	आई.ओ.सी.	22
मेरठ	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	22
फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	10
झांसी	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	10
कुल			735

* पहले से ही चालू कर दिया गया है।

पुनरूद्धार/स्थान परिवर्तन प्रस्तावों के अंतर्गत अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विशिष्ट अनुमोदनों के संबंध में नए एल.पी.जी. भरण संयंत्रों की स्थापना के लिए नियोजित स्थान।

स्थान	राज्य	तेल कंपनी	क्षमता (टी.एम.टी.पी.ए.)
1	2	3	4
सिकन्दाबाद	आंध्र प्रदेश	आई.ओ.सी.	26
बेलगाम	कर्नाटक	आई.ओ.सी.	12
मनमाद	महाराष्ट्र	आई.ओ.सी.	34
त्रीसदी	उत्तर प्रदेश	आई.ओ.सी.	10
सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	10
पेरूनचेरी	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	10
पोर्ट-ब्लेयर	अंडमान एंड निकोबार	आई.ओ.सी.	5
लेह	जम्मू एंड कश्मीर	आई.ओ.सी.	3
बोंगाईगांव	असम	बी.आर.पी.एल.	22
दीमापुर	नागालैंड	आई.ओ.सी.	5
मेघालय	मेघालय	आई.ओ.सी.	5
अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	आई.ओ.सी.	5
जम्मू	जम्मू एंड कश्मीर	आई.ओ.सी.	44
बुलदाना	महाराष्ट्र	बी.पी.सी.	10
मंगलौर	कर्नाटक	एच.पी.सी.	10
देवास	मध्य प्रदेश	बी.पी.सी.	22
बीना	मध्य प्रदेश	बी.पी.सी.	10
ग्वालियर	मध्य प्रदेश	बी.पी.सी.	10
बेगुसराय	बिहार	बी.पी.सी.	22
पुर्णिया	बिहार	एच.पी.सी.	10
कुल			285

[अनुवाद]

बीस-सूत्री कार्यक्रम

108. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर बीस सूत्री कार्यक्रम की मासिक आधार पर प्रबोधित की जाने वाली मदों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94			94-95			95-96		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल-जनवरी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	204024	298910	147	166884	246372	148	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	102562000	99699000	97	94690000	64842000	68	67574000	36296000	54
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	8330	15874	191	8565	16015	187	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	122810	27139	22	103180	13002	13	7578	6703	88
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	1000	855	86	2000	1638	82	5080	417	8
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	1269	1408	111	2500	2774	111	3100	2446	79
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	40	0	0	40	0	0	–	–	–
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	60	0	0	60	0	0	–	–	–
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1684820	1745000	104	1631400	1726000	106	1657600	1302000	79
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	600000	599000	100	600000	580000	97	–	–	–
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	276778	195257	71	287222	197296	69	–	–	–
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	192	192	100	192	192	100	192	192	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	24553	21666	88	24553	21835	89	24553	21890	89
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	381000	475080	125	381000	508180	133	381000	224880	59
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	95000	166750	176	150000	141870	95	150000	107250	72
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	100000	218975	219	130000	140914	108	130000	267904	207
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	52900	164625	311	100000	160141	160	100000	63765	64
18.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	49034	44894	92	19357	57483	297	77642	35490	46
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	25000	54361	217	30000	48082	160	25000	31598	126
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1240	1262	102	1250	1240	99	1240	712	57
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	225000	314705	140	225000	305064	136	225000	251309	112
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	195000000	97616000	50	100000000	41970000	42	110000000	108736000	99
23.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	70000	34530	49	35000	49406	141	45000	71731	159
24.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	502	513	102	–	–	–	–	–	–
25.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	56000	112443	201	56000	95304	170	53000	25575	48
26.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	170000	236923	139	225000	274228	122	225000	160424	71
27.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	12800	19631	153	20000	20411	102	16000	11113	69

राज्य का नाम : अरूणाचल प्रदेश

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	16630	15223	92	12468	18774	151	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1001000	485000	48	938000	558000	59	951000	291000	31
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	180	191	186	160	134	122	–	–	–
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	150	145	97	140	148	106	150	85	57
5.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	1	100	2	2	100	–	–	–
6.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	2	2	100	6	6	100	–	–	–
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	25434	15837	62	23700	16831	71	25500	8768	34
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2700	1531	57	1500	1717	114	–	–	–
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	1378	886	64	1022	875	86	–	–	–
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	38	38	100	39	39	100	39	39	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1723	1182	69	1776	1192	67	1776	1464	82
12.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	2600	950	37	2600	542	21	569	149	26
13.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	222	130	54	204	219	107	797	74	9
14.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	1	0	0	–	–	–	–	–	–
15.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1	0	0	–	–	–	–	–	–
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	500000	500200	100	600000	600000	100	700000	166000	24
17.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	7500	7500	100	8232	8232	100	9078	71	1
18.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	60	82	137	–	–	–	–	–	–
19.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	150	80	53	140	310	221	120	18	15
20.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	5000	1415	28	5000	4450	89	5000	345	7
21.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	20	13	65	10	29	290	20	3	15

राज्य का नाम : असम

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	67158	63381	94	54938	62584	114	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (पंजी.)	संख्या	22889000	23263000	102	21197000	26329000	124	17863000	11620000	65
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	2536	2653	105	2688	3385	126	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	30430	10596	35	57280	8359	15	38040	1247	3
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	714	751	105	1200	1536	128	1500	649	43
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	11	10	91	13	8	62	-	-	-
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	48	26	54	50	34	68	-	-	-
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	605177	537405	89	702000	590368	84	688300	351879	51
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	130000	28106	22	130000	22450	17	-	-	-
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	25333	11449	45	28222	16342	58	-	-	-
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	62	62	100	68	68	100	79	79	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	7303	6812	93	8062	6944	86	9414	8177	87
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	31000	23796	77	48000	24418	51	28000	12828	46
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	40000	26969	67	42600	38072	89	43500	28180	65
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	11920	9280	78	6880	2400	35	6880	0	0
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	11920	9280	78	3000	2400	80	3000	0	0
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6209	4492	72	5987	6862	115	25560	19852	78
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	1665	294	18	1660	1112	85	2028	521	26
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	24	0	0	20	16	80	27	0	0
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	7000	5660	81	7000	7000	100	7000	4950	71
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000	2790000	93	2500000	2552000	102	2750000	2701000	98
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	27500	18502	67	25000	20152	81	27500	16495	60
23.	19क	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	110	14	13	100	170	170	900	180	20
24.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	60000	48817	81	60000	29669	49	35000	5443	16
25.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	1000	815	82	1000	817	82	900	241	27

विवरण

राज्य का नाम : बिहार

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	390585	335908	86	324640	224736	69	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	146771000	132104000	90	103522000	116502000	113	115161000	64112700	56
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	10000	9914	99	10000	9199	92	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	94000	7453	8	94000	4156	4	4515	5725	127
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	391	364	93	423	337	80	200	90	45
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	6281	3530	56	10000	11342	113	17621	5733	33
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	20	0	0	–	–	–	–	–	–
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	100	0	0	–	–	–	–	–	–
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	2807428	1857697	66	2856700	1482000	52	2912400	964879	33
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	500000	308266	62	600000	132000	22	–	–	–
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	193889	60903	31	220500	60064	27	–	–	–
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	245	245	100	296	296	100	296	296	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	22114	18879	85	27304	19498	71	27304	20639	76
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	310000	179385	58	240000	151736	63	240000	110313	46
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	125000	151309	121	140000	104193	74	120000	72535	60
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	17299	88960	514	60000	59154	99	60000	56757	95
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	37396	88960	238	34853	59154	170	152292	56757	37
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	636	58	9	500	0	0	500	192	38
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1022	206	20	500	0	0	500	100	20
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	25000	2810	11	11000	3438	31	11000	3401	31
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	75000000	83055000	111	75000000	41978000	56	82500000	13481000	16
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	50000	54957	110	50000	11478	23	55000	5223	9
23.	19क	विद्युतीकरण गांव	संख्या	258	205	79	200	59	30	400	18	5
24.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	1500	1909	127	1000	1746	175	1000	2092	209
25.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	150000	64782	43	80000	24600	31	65000	6502	10

विवरण

राज्य का नाम : दिल्ली

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94			94-95			95-96		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल जनवरी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	700	667	95	700	479	68	-	-	-
2.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	75	0	0	460	0	0	-	-	-
3.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	224275	205941	92	269200	221354	82	234000	163485	70
4.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	42000	37799	90	42840	39655	93	-	-	-
5.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	68944	51134	74	64650	50558	78	-	-	-
6.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	27	27	100	28	28	100	28	28	100
7.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	3236	3177	98	3262	3266	100	3262	3631	111
8.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	10000	4656	47	9000	3902	43	9000	4087	45
9.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	8300	2686	32	3000	1763	59	3200	0	0
10.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	42	6520	****	4000	610	15	3500	0	0
11.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	133000	85434	64	133000	188972	142	133000	62204	47
12.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	5000000	4351000	87	5500000	4850000	88	1500000	2400000	160
13.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	2000	1741	87	2200	1940	88	500	960	192
14.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	20000	27875	139	20000	24275	121	15500	13873	90
15.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	10	9	90	10	8	80	7	3	43

विवरण

राज्य का नाम : गोवा

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	3446	3452	100	2840	2768	97	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1013000	836000	83	784000	886000	113	794000	680000	86
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	200	221	111	-	-	-	-	-	-
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	55	38	69	65	62	95	54	25	46
5.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	-	-	-	1	0	0	-	-	-
6.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	21170	22612	107	17900	20862	117	18400	17632	96
7.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	4000	4334	108	4300	4316	100	-	-	-
8.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यम.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	2222	2223	100	1894	2341	124	-	-	-
9.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	11	11	100	11	11	100	11	11	100
10.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1100	862	78	1100	1069	97	1100	1093	99
11.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	2000	355	18	2000	398	20	800	397	50
12.	14क	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	200	0	0	200	16	8	200	57	29
13.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	200	1	1	200	14	7	200	0	0
14.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	276	84	30	249	200	80	861	471	55
15.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	100	20	20	100	0	0	100	0	0
16.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	50	74	148	125	125	100	144	0	0
17.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	150	0	0	150	0	0	150	0	0
18.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000	3346000	112	3500000	2886000	60	3850000	2234000	58
19.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	1800	1855	103	1900	1652	87	2090	1281	61
20.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	8000	8010	100	10000	9100	91	10000	4122	41
21.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	200	120	60	200	74	37	100	14	14

विवरण

राज्य का नाम : गुजरात

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	74900	79578	106	61260	72429	118	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	21140000	21055000	100	17745000	19568000	110	19740000	13713000	69
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	8000	13035	163	8100	10167	126	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	15140	2923	19	40270	4499	11	1600	1380	86
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	–	–	–	–	–	–	8	0	0
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	500	458	92	500	464	93	1100	856	78
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	5	6	120	9	9	100	–	–	–
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	5	5	100	15	15	100	–	–	–
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.))	संख्या	1198090	1197899	100	1177800	1174470	100	1203900	922031	77
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	270000	287568	107	280000	301300	108	–	–	–
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	218722	219330	100	223056	251033	113	–	–	–
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	124	124	100	137	137	100	154	154	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	19969	18750	94	21996	18552	84	23963	18721	78
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	61000	61316	101	53000	57382	108	53000	32362	61
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	82000	82642	101	85000	89762	106	90000	63850	70
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	30000	35092	117	30000	34000	113	30000	25071	84
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	20000	29829	149	20000	29530	148	20000	13286	66
18.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6598	6692	101	6884	7895	115	28501	10711	38
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	2400	2445	102	4800	4383	91	4800	1860	22
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1000	2368	237	2000	2100	105	2000	1471	74
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	80000	92915	116	100000	125942	126	100000	105151	105
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	150000000	163176000	109	150000000	156672000	104	165000000	162748000	99
23.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	68000	85277	125	54000	69983	130	59400	59411	100
24.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	70	103	147	–	–	–	–	–	–
25.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	17000	18766	110	20000	20005	100	30000	13590	45
26.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	50000	68442	137	63000	84587	134	63000	26680	42
27.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	35000	38038	109	38000	25251	66	20000	8010	40

विवरण

राज्य का नाम : हरियाणा

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94			94-95			95-96		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल जनवरी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	17989	34026	189	14715	28285	192	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	3864000	3370000	87	3329000	3396000	102	3463000	1871000	54
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	3720	6606	178	4000	6847	171	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	4570	300	7	2380	285	12	4483	189	4
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	-	-	-	-	-	-	97	0	0
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	700	700	100	1000	820	82	1000	540	54
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	7	0	0	-	-	-	-	-	-
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	517398	349664	68	538000	504873	94	530500	377586	71
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	110000	102437	93	125000	103051	82	-	-	-
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	101944	85649	84	114222	92561	81	-	-	-
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	97	97	100	100	100	100	104	104	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	11367	10172	89	11560	10257	89	11868	11354	96
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	51000	40047	79	68000	76845	113	59000	53406	91
14.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	300	12614	4205	20000	19549	98	20000	8619	43
15.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1600	1900	119	1600	1700	106	1600	335	21
16.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	1848	1552	84	1707	3536	207	6846	4303	63
17.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	531	641	121	600	56	9	300	22	7
18.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1347	1086	81	1500	1215	81	2500	0	0
19.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	45334	58840	130	50000	55095	110	50000	26219	52
20.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	30000000	22466200	75	25000000	5516000	22	25000000	4230000	17
21.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	37500	33823	90	27000	31430	116	29700	31829	107
22.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	12500	4207	34	9000	3261	36	11000	1985	18
23.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	75000	51251	68	55000	55660	101	50000	3482	7
24.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	2000	2031	102	2000	1982	99	1500	1175	78

विवरण

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94			94-95			95-96		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल जनवरी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	5863	9238	158	4796	7228	151	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	3373000	3454000	102	2868000	2885000	101	2427000	1321000	54
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	650	564	87	675	634	94	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	2870	0	0	1970	0	0	4183	0	0
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	570	570	100	800	800	100	925	706	76
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	3	300	1	5	500	–	–	–
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	15	15	100	15	15	100	–	–	–
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	136166	123162	90	146800	113148	77	143900	96899	67
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	40000	37495	94	44000	40954	93	–	–	–
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	28389	22186	78	66333	23994	36	–	–	–
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	34	34	100	36	36	100	41	41	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	3523	3794	108	3650	3848	105	3936	4638	118
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	21000	17220	32	30000	37908	126	30000	34389	115
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	2420	2651	110	2550	4100	161	4000	2448	61
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	166	5	3	166	494	298	166	3395	2045
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	166	283	170	500	494	99	500	3395	679
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	809	574	71	701	853	122	2736	815	30
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	30	30	100	100	15	15	30	0	0
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	80	175	219	200	213	107	100	53	53
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	14000	14019	100	14000	14014	100	10125	8476	84
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	7500000	3319000	44	2000000	4849000	242	2200000	1819000	83
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	35000	32395	93	35000	36500	104	26200	24226	92
23.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	100	210	210	150	207	138	150	192	128
24.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	35000	24126	69	35500	36343	102	35850	14584	41
25.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	3600	2005	56	1300	1466	113	1200	630	53

विवरण

राज्य का नाम : जम्मू और कश्मीर

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	11193	4695	42	20000	13545	68	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	7275000	913400	13	8636000	6539000	76	8550000	10959500	128
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	1400	807	58	1050	1049	100	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	6000	0	0	6000	0	0	5575	0	0
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	214	23	11	129	107	83	350	353	101
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	4	0	0	4	4	100	–	–	–
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	20	0	0	20	20	100	–	–	–
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	242657	119553	49	249900	195628	78	247600	135810	55
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	22000	11917	54	20000	15081	75	–	–	–
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	10667	3653	34	11556	3226	28	–	–	–
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	65	65	100	67	67	100	69	69	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	4338	4380	101	4499	4575	102	4535	5028	111
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	4100	800	20	4000	2056	51	4000	2124	53
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	2000	632	32	1500	1738	116	1800	1633	91
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	250	12	5	280	0	0	280	0	0
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	250	10	4	280	0	0	280	0	0
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	1084	183	17	1424	1697	119	5561	2397	43
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	900	1	0	10	2	20	10	11	110
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	50	0	0	10	0	0	10	35	350
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	18000	4521	25	5000	2971	59	6000	13918	232
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	6000000	2504000	42	7000000	5736000	82	6000000	5498000	92
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	20000	6681	33	22000	18183	83	22000	15387	70
23.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	10	0	0	5	50	1000	65	17	26
24.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	200	193	97	100	667	667	300	541	180
25.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	50000	26654	53	35000	16000	46	35000	17000	49
26.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	4	4	50	44	88	50	32	64

विवरण

राज्य का नाम : कर्नाटक

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	136981	188758	138	122055	125810	112	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	71801000	58864300	82	41572000	38543600	93	46245000	28802800	51
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	10000	12614	126	6000	13503	225	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	84270	624	1	32000	717	2	-	-	-
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	500	774	155	196	149	76	50	122	244
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	5500	34	1	5500	4935	90	10414	5288	50
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	10	15	150	10	11	110	-	-	-
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	50	60	120	100	100	100	-	-	-
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1229367	1149445	93	1188600	1147508	97	1171900	945502	81
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	380000	356305	94	418000	371661	89	-	-	-
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	135389	110487	82	149389	137067	92	-	-	-
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	142	148	104	167	167	100	185	185	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	22182	25659	116	25105	25761	103	28083	32862	117
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	127000	157105	124	168000	202513	121	200000	121225	61
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	9600	20284	211	9800	22575	230	9900	22952	232
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	50000	81095	162	50000	166940	234	90000	15556	17
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	50000	51646	103	50000	47117	94	50000	21011	42
18.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	14197	8848	62	12997	13831	106	52133	15966	31
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	2500	7521	301	6000	7846	131	2380	3890	163
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	2000	1349	67	4120	1158	28	2672	767	29
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	60000	70475	117	60000	55310	92	66000	26321	40
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	45000000	27419100	61	45000000	55974300	124	49500000	30337500	61
23.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	42500	46536	109	48000	58452	122	52800	65353	124
24.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	32004	47865	150	29000	55962	193	60000	35055	58
25.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	130000	138357	106	175000	118782	68	150000	47657	32
26.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	4500	29297	651	18000	23727	132	20000	4301	22

विवरण

राज्य का नाम : केरल

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	49836	52277	105	40767	46294	114	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	11347000	15570000	137	9710000	10101000	104	10801000	7480000	69
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	11500	13855	120	–	–	–	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	8240	2894	35	9230	239	3	1992	150	8
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	200	186	93	235	220	94	1065	464	44
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	–	–	–	5	0	0	–	–	–
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	–	–	–	15	0	0	–	–	–
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	559113	544353	97	532000	571589	107	531700	437007	82
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	115000	117009	102	115000	136086	118	–	–	–
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	60667	44377	73	66056	48740	74	–	–	–
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	90	90	100	99	99	100	113	113	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	11220	10086	90	12425	10220	82	14170	13988	99
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	63000	57970	92	63000	51647	82	43500	21919	50
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	5918	5561	94	5600	6101	109	5900	2322	39
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	3000	2730	91	3000	4351	145	3000	2115	71
16.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	13245	4515	34	12570	5988	48	24624	6232	25
17.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	11150	22051	198	13000	19525	150	13000	24763	190
18.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	4200	3948	94	1200	1444	120	1200	2113	176
19.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	25000	25962	104	25000	22684	91	25000	15586	62
20.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	30000000	27600000	92	30000000	21286000	71	33000000	4540000	14
21.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	15000	6000	40	16000	10865	68	17600	14917	85
22.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	4800	10625	221	1000	13883	1388	15000	11609	77
23.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	100000	91287	91	40000	60414	151	70000	48892	70
24.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	2200	2718	124	1500	1956	130	1500	940	63

विवरण

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	258521	240000	93	211466	208000	98	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	76638000	76925000	100	72333000	66722000	92	80464000	40166000	50
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	17534	18736	107	–	–	–	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	64410	566	1	50000	200	0	922	85	9
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	54	83	154	–	–	–	–	–	–
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	5600	5963	106	7000	12138	173	9000	7570	84
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	–	–	–	12	0	0	–	–	–
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	260	0	0	365	0	0	–	–	–
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	2360050	2089860	89	2281400	2210601	97	2241100	1569744	70
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	400000	364175	91	400000	401335	100	–	–	–
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	469778	363072	77	492389	436099	89	–	–	–
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	231	231	100	266	266	100	269	269	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	25212	24185	96	28128	24804	88	28467	26913	95
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	203000	226638	112	253000	252482	100	228000	128816	56
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	215000	245852	114	245000	279000	114	280000	214662	77
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	18381	17953	98	19655	76461	389	19655	61967	315
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	18381	17816	97	19655	20058	102	19655	16832	86
18.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	28399	48108	169	24528	48289	197	98384	62538	64
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	6000	6013	100	6000	5559	93	4000	2108	53
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	3600	3866	107	3600	3441	96	2500	1624	65
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	79237	107069	135	100000	135360	135	116232	83129	72
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	40000000	43899795	110	45000000	45003535	100	49500000	57232657	116
23.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	125000	125187	100	135000	135000	100	148500	149664	101
24.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	250	751	300	250	1019	408	350	293	84
25.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	19000	39120	206	12000	45026	375	12800	25287	198
26.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	200000	232793	116	250000	289623	116	245000	168265	69
27.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5500	15038	273	15000	15613	104	16000	7515	47

राज्य का नाम : महाराष्ट्र

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	222394	217679	98	181926	187509	103	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	137828000	112994000	82	83993000	110073000	131	84875000	52000000	61
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	13000	17870	137	20000	26754	134	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	29980	1715	6	14250	739	5	238	371	156
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	1000	1343	134	3000	6301	210	6000	3028	50
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	5	2	40	-	-	-	-	-	-
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	2172573	2090505	96	2049200	2015292	98	2082800	1384234	66
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	525000	539856	103	560000	570000	102	-	-	-
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	311000	212238	68	337333	280272	83	-	-	-
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	175	175	100	206	206	100	255	255	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	27522	25380	92	31137	25359	81	37196	25426	68
12.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	132000	127222	96	153000	140394	92	153000	41745	27
13.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	100000	88282	88	100000	136091	136	136100	52576	39
14.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	1700	0	0	1700	2510	148	1700	1395	82
15.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1700	0	0	1700	2368	139	1700	1175	69
16.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6974	18870	271	19827	22812	115	84641	6327	7
17.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	2000	5522	276	4500	4987	111	1500	0	0
18.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	14300	18052	126	5000	8190	164	4850	393	8
19.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	250000	225797	90	368000	371479	101	520000	219933	42
20.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	120000000	114125000	95	100000000	133930000	134	110000000	83776000	76
21.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	180000	100062	56	121000	136539	113	133100	120139	90
22.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	300	558	186	-	-	-	-	-	-
23.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	48000	65088	136	48000	95382	199	47000	46960	100
24.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	170000	171516	101	200000	208355	104	160000	27379	17
25.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	22000	21145	96	20000	19815	99	7500	3773	50

राज्य का नाम : मणिपुर

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1511	6183	409	8982	7315	81	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1484000	973182	66	578000	778200	135	578000	625000	108
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	340	249	73	200	198	99	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	51	0	0	50	0	0	3	0	0
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	170	155	91	250	170	68	310	155	50
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	3	300	1	1	100	–	–	–
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	2	9	450	2	2	100	–	–	–
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	39715	37996	96	38100	35779	94	40800	25735	63
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	3500	2331	67	3500	2236	64	–	–	–
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	8167	1840	23	9833	2919	30	–	–	–
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	25	25	100	27	27	100	29	29	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1907	1559	82	1972	2088	106	2307	2126	92
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	600	354	59	1000	535	54	1000	442	44
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	4400	5483	125	5000	3904	78	5000	2578	52
15.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	–	–	–	1280	0	0	1280	0	0
16.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	290	159	55	268	265	99	1022	437	43
17.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	226	0.	0	200	0	0	125	0	0
18.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	220	0	0	200	0	0	250	0	0
19.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	3560	3714	104	100	4761	4761	5714	0	0
20.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000	16600000	553	3000000	2403000	80	3300000	1185000	36
21.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	9500	6888	73	10000	7690	77	11000	9105	83
22.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	30	23	77	–	–	–	–	–	–
23.	19क	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	115	85	74	100	71	71	75	81	108
24.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	10000	3958	40	10000	5892	59	5000	3900	78
25.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	150	101	67	150	95	63	100	90	90

राज्य का नाम : मेघालय

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	4655	2531	54	9567	6020	63	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1689000	961000	57	782000	850003	109	788000	270000	34
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	140	153	109	140	200	143	-	-	-
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	560	490	88	424	218	51	606	29	5
5.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	4	1	25	2	2	100	-	-	-
6.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	5	4	80	2	3	150	-	-	-
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	56887	17920	32	55100	37091	67	53900	23183	43
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	1000	503	50	1000	661	66	-	-	-
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	889	469	53	1017	934	92	-	-	-
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	28	28	100	30	30	100	30	30	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1460	1353	93	1586	1455	92	1586	1781	112
12.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	2760	2535	92	3143	800	25	3143	72	2
13.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	334	318	95	306	241	79	1195	83	7
14.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	126	547	434	100	0	0	0	0	-
15.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	114	61	54	50	0	0	-	-	-
16.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	7600	7633	100	5000	7610	152	5000	672	13
17.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	12500000	5488000	44	7500000	1700000	23	8250000	7319000	89
18.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	19000	11604	61	20000	7575	38	22000	2288	10
19.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	70	23	33	100	0	0	60	0	0
20.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	2000	100	2000	0	0	2000	0	0
21.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	50	50	100	0	0	100	0	0

राज्य का नाम : मिजोरम

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	6971	4682	67	4027	3445	83	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	524000	683000	130	408000	576100	141	415000	329200	79
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	172	235	137	–	–	–	–	–	–
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	165	167	101	220	222	101	240	207	86
5.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	0	0	1	0	0	–	–	–
6.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	3	0	0	1	5	500	–	–	–
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	17314	17110	99	22300	18295	82	21800	12423	57
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	3000	5020	167	3500	3663	105	–	–	–
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	1222	1124	92	1528	1167	76	–	–	–
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	21	21	100	21	21	100	21	21	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1070	1173	110	1070	1193	111	1070	1223	114
12.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	2200	1800	82	4000	1400	35	4400	3260	74
13.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1120	700	63	1280	1280	100	1280	0	0
14.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	185	240	130	129	252	195	504	276	55
15.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	120	100	83	100	0	0	100	0	0
16.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	260	305	117	250	300	120	250	0	0
17.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	2000	2000	100	2000	2000	100	2000	850	43
18.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1000000	36554400	3655	2000000	23254000	1163	2200000	18337000	834
19.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	14000	16750	120	18000	14138	79	19800	9838	50
20.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	10	18	180	–	–	–	–	–	–
21.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	50	30	60	50	51	102	45	3	7
22.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	4000	2000	50	3000	3000	100	3000	1550	52
23.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	100	100	100	100	100	100	12	12

राज्य का नाम : नागालैंड

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	7273	4290	59	6737	1220	18	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1474000	485472	33	1151000	847000	74	1182000	0	0
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	250	204	82	30	229	763	-	-	-
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	141	141	100	100	0	0	124	0	0
5.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	0	0	1	1	100	-	-	-
6.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	3	0	0	4	0	0	-	-	-
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	20823	6514	31	25800	6869	27	27800	4829	17
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2500	254	10	2500	2994	120	-	-	-
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	1456	212	15	1594	880	55	-	-	-
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	26	26	100	26	26	100	26	26	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1214	1240	102	1214	2516	207	1214	1619	133
12.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	684	0	0	684	0	0	684	0	0
13.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	438	1278	292	328	895	273	1281	0	0
14.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	12000000	3800000	32	7500000	3380000	45	8250000	0	0
15.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	7500	2798	37	7500	1710	23	8250	0	0
16.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	84	0	0	-	-	-	-	-	-
17.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	20	176	880	-	-	-	-	-	-
18.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	150	8	6000	0	0	5000	0	0
19.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	5	5	100	1	1	200	0	0

राज्य का नाम : उड़ीसा

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94			94-95			95-96		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल जनवरी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	165479	159987	97	135382	136887	101	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	55771000	47907000	86	52234000	44359000	85	58107000	32842000	57
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	1692	2306	136	1808	2327	129	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	2690	3022	112	5680	1069	19	696	388	56
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	26	31	119	25	4	16	81	0	0
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	2500	4658	186	4200	7351	175	6000	6610	110
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	–	–	–	30	5	17	–	–	–
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	–	–	–	50	37	74	–	–	–
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	892293	791262	89	870000	860833	99	864200	619845	72
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	144000	128241	89	200000	159949	80	–	–	–
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	96556	81652	85	107944	99665	92	–	–	–
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	218	218	100	218	218	100	218	218	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	18073	16354	90	18073	18279	101	18073	20173	112
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	66000	73653	112	66000	65336	99	66000	32146	49
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	66000	180815	162	95000	94575	100	95600	51953	54
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	5000	7305	146	15000	7501	50	15000	14867	99
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	7833	11144	142	7833	4927	63	7833	4805	61
18.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	15700	10588	67	15214	13297	87	62986	17887	28
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	1500	2723	182	1650	5539	336	500	392	78
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	3000	6058	202	3300	6171	187	1600	1434	90
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	9556	10118	106	10510	13885	132	10000	8000	80
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	55000000	39004000	71	30000000	44968000	150	33000000	57595000	175
23.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	75000	70819	94	72000	64472	90	79200	111696	141
24.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	150	391	261	–	–	–	–	–	–
25.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	235	196	83	220	223	101	220	234	106
26.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	3500	2128	61	3500	3405	97	3500	690	20
27.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	120000	163546	136	200000	201306	101	200000	148973	74
28.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	11000	10908	99	12000	12767	106	12000	5752	48

राज्य का नाम : पांडिचेरी

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1407	1372	98	1161	1221	105	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	516000	427000	83	308000	472000	153	316000	480000	152
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	275	268	97	275	301	109	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	440	0	0	140	0	0	31	0	0
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	25	25	100	28	28	100	28	14	50
6.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	-	-	-	2	0	0	-	-	-
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	15979	17036	107	16600	17225	104	13500	13900	103
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	7000	8270	118	6000	8000	133	-	-	-
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	2006	2078	104	2070	2172	105	-	-	-
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	5	5	100	5	5	100	5	5	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	677	536	79	677	536	79	677	659	97
12.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	2500	2584	103	2500	2413	97	2500	1846	74
13.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	1375	1625	118	1600	2429	152	1350	2341	173
14.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1696	1737	102	1696	1604	95	985	778	79
15.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	126	48	38	107	0	0	369	18	5
16.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	10000	10059	101	10000	10033	100	10000	9204	92
17.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	400000	59000	15	400000	257945	64	440000	312800	71
18.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	200	126	63	200	195	98	220	81	37
19.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	2000	100	2000	2000	100	2750	2050	75
20.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	50	11	22	15	5	33	5	2	40

राज्य का नाम : पंजाब

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	12792	333736	264	10464	22700	217	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	2993000	3857000	129	2539000	2336000	92	2825000	961000	34
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	5000	3344	67	3000	3366	112	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	23040	392	2	15180	96	1	80	45	56
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	475	343	72	552	426	77	684	204	30
6.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	556008	607678	109	559700	607995	109	548600	476188	87
7.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	85000	115418	136	120000	125992	105	-	-	-
8.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	194833	201883	104	214667	209098	97	-	-	-
9.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	62	62	100	65	65	100	70	70	100
10.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	6806	6860	101	7049	6946	99	7474	7738	104
11.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	56000	55000	98	72000	59907	83	72000	25611	36
12.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	5363	5099	86	4855	3975	82	7047	2343	33
13.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	2700	421	16	3000	0	0	500	254	51
14.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	500	500	100	750	796	106	1000	666	67
15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	40000	0	0	40000	8341	21	12500	0	0
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	8000000	5178000	65	4500000	5102000	113	4950000	4668000	94
17.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	18000	17800	99	17000	14693	86	18700	10526	56
18.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	3500	29528	844	15000	15608	104	10000	15196	152
19.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	90000	90000	100	90000	26650	30	55000	29011	53
20.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	2000	2283	114	3000	3344	111	3500	2610	75

राज्य का नाम : राजस्थान

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	107400	116538	109	87857	107799	123	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	42666000	45030000	106	38521000	38642000	100	42851000	24294000	57
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	2000	2349	117	2000	2520	126	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	19380	993	5	35750	6579	18	8190	749	9
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	141	149	106	60	61	102	119	140	118
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	2195	2328	106	2400	3054	127	4500	4501	100
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	15	15	100	–	–	–	–	–	–
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	40	40	100	40	40	100	–	–	–
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1437341	1296110	90	1545200	1393460	90	1534000	826560	54
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	275000	202930	74	250000	203120	81	–	–	–
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	127389	90525	71	145500	88489	61	–	–	–
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	136	136	100	153	153	100	182	182	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	16751	11900	71	18858	16547	88	22205	17986	81
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	137000	137130	100	181000	186680	103	195000	130264	67
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	65000	67521	104	70000	67887	97	72000	46874	65
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	30000	38256	128	30000	34090	114	30000	32117	107
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	11000	11125	101	11000	21125	192	25000	11	0
18.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	11388	19607	172	9873	28934	293	40875	21745	53
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	2000	1994	100	2000	2911	146	1000	657	66
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1500	2162	144	1500	2059	137	750	1042	139
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	57143	62499	109	60000	66075	110	43750	29797	68
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	40000000	44137000	110	30000000	35382000	118	33000000	37955000	115
23.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	65000	65643	101	79000	88437	112	86900	95157	110
24.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	350	482	138	–	–	–	–	–	–
25.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	650	752	116	750	750	100	750	506	67
26.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	22800	25051	110	25000	25208	101	25000	23200	93
27.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	180000	195968	109	200000	203002	102	180000	72795	40
28.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	3600	4346	121	5000	4863	97	3000	2427	81

राज्य का नाम : सिक्किम

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1352	1218	90	1120	1037	93	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	819000	1011900	124	619000	703000	114	538000	535000	99
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	65	27	42	25	19	76	–	–	–
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	139	70	50	48	66	138	88	57	65
5.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	1	0	0	–	–	–	–	–	–
6.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	10661	7101	67	9200	7932	86	10800	6252	58
7.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	1100	323	29	1100	1506	137	–	–	–
8.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	606	442	73	656	533	81	–	–	–
9.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	4	4	100	4	4	100	4	4	100
10.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	353	379	107	353	385	109	353	586	166
11.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	1700	1401	82	2000	2153	108	2000	374	19
12.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	3030	6675	220	5000	5583	112	5600	7037	126
13.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	452	369	82	452	0	0	452	600	133
14.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	142	142	100	119	108	91	466	875	188
15.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	50	50	100	–	–	–	100	75	75
16.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	–	–	–	50	0	0	–	–	–
17.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	1200	1200	100	1000	1200	120	1500	1100	73
18.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1800000	26593000	1477	2000000	27600000	1380	2200000	2500000	114
19.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	8500	3161	37	9200	0	0	10120	9586	95
20.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	5000	4196	84	5000	4880	98	5000	1208	24
21.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	187	187	150	167	111	150	164	109

राज्य का नाम : तमिलनाडु

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	184436	214888	117	150860	20121	133	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	85362000	85501800	100	72758000	89736500	123	80939000	58864900	73
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	13200	14203	108	13300	15945	120	–	–	–
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	3210	3605	112	5330	5346	100	102	2229	2185
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	67	241	360	72	107	149	65	114	175
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	3500	3751	107	3000	3801	127	2500	1700	68
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	15	0	0	–	–	–	–	–	–
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1184633	1228316	104	1156000	1184905	103	1077800	908456	84
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	350000	350361	100	325000	325218	100	–	–	–
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	156556	151113	97	155556	171066	110	–	–	–
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	111	111	100	111	111	100	429	429	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	9688	9289	96	9688	9289	96	9688	10571	109
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	254000	266831	105	333000	339488	102	333000	191215	57
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	9000	10382	115	10000	10437	104	10500	5661	54
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	275000	275004	100	175000	2927729	167	155000	202417	131
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	30000	30000	100	30000	32000	107	40000	9197	23
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	18930	33517	177	17499	33176	190	70187	36882	53
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	9848	10048	102	6000	7676	128	6500	4996	77
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	8119	9509	117	8000	8575	107	7000	5632	80
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	28000	30287	108	38500	42440	110	31500	31348	100
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	100000000	112432100	112	100000000	100730000	101	110000000	107549000	98
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	114000	86017	75	75000	92561	123	82500	80776	98
23.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	37400	42278	113	40000	40069	100	40000	24068	60
24.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	140000	160810	115	200000	253291	127	200000	178820	89
25.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	10000	10375	104	8000	8005	100	7000	3608	52

राज्य का नाम : त्रिपुरा

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	15000	16018	107	12856	21762	169	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	2204000	2339400	106	1319000	2901000	220	1294000	1472000	114
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	600	595	99	-	-	-	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	53	0	0	60	0	0	-	-	-
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	420	564	134	600	518	86	795	437	55
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	5	0	0	1	0	0	-	-	-
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	10	0	0	7	0	0	-	-	-
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	67923	43305	64	66700	42336	63	68800	36633	53
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	11000	12790	116	11200	13370	119	-	-	-
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	1256	1604	128	1333	3518	264	-	-	-
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	19	19	100	19	19	100	19	19	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	2055	1672	81	2055	1771	86	2055	1855	90
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	7400	3376	46	12000	10108	84	19200	8230	43
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	10000	10795	108	10000	11618	116	13500	5595	41
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	1000	198	20	1000	866	87	1000	771	77
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	4000	3765	94	4000	3380	85	4250	472	11
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	431	635	147	340	567	167	1327	45	3
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	160	406	254	100	507	507	100	0	0
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	85	225	265	80	270	338	80	0	0
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	10000	8025	80	10000	12850	129	10000	6500	65
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	5000000	2813800	56	2150000	2263000	105	2365000	1882000	80
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	17700	8603	49	7728	7001	91	8500	9471	111
23.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	80	9	11	-	-	-	-	-	-
24.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	320	200	63	220	150	68	20	35	175
25.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	60	100	167	100	40	40	100	8	8
26.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	2040	102	2500	1968	79	2500	3664	147
27.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	50	37	74	50	22	44	50	21	42

राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	416354	445403	107	325353	362644	111	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	177957000	173918000	98	116544000	121438000	104	128350000	97500000	76
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	33000	32808	99	4400	6033	137	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	52570	3402	6	56970	11249	20	947	4125	436
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	5084	6159	121	10450	11283	108	12953	15664	121
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	17	14	82	17	14	82	-	-	-
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	15	13	87	20	11	55	-	-	-
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	4825324	4653000	96	4997800	4902000	98	5073500	4008000	79
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	700000	417781	60	600000	546000	91	-	-	-
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	803000	787864	98	913000	797471	87	-	-	-
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	361	361	100	433	433	100	540	540	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	30363	26977	89	37306	27909	75	48279	28870	60
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	314000	344248	110	326000	397868	122	326000	295827	91
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	4400	4207	96	4000	4036	101	4500	3867	86
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	50000	128160	256	75000	104590	139	75000	55009	73
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	100000	102272	102	100000	101523	102	10000	74112	741
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	44135	47722	108	45704	47555	104	189211	123472	65
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	5600	5122	91	4000	4553	114	4000	2544	64
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	2350	1962	83	1500	1595	106	1500	1075	72
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	150000	149761	100	150000	172371	115	150000	105985	71
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	320000000	292900000	92	350000000	319290000	91	200000000	226757000	113
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	85000	83723	98	92000	88662	96	101200	83534	83
23.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	650	650	100	300	377	126	800	710	89
24.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	12300	26848	218	16158	16193	100	25503	9091	36
25.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	350000	352528	101	330000	315764	96	300000	203993	68
26.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	12000	12055	100	10000	9601	96	10000	7082	71

राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	182836	75393	41	149552	157214	105	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	70117000	53854000	77	49898000	48937000	98	40118000	20004000	50
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	3500	1490	43	2500	1158	46	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	संख्या	33330	5000	15	32990	5267	16	98	5343	5452
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	एकड़	2008	1686	84	4500	5372	119	5578	3761	67
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	-	-	-	4	2	50	-	-	-
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	-	-	-	4	8	200	-	-	-
8.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1853885	1420065	77	1710500	1493066	87	1806700	974201	54
9.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	400000	327211	82	400000	325275	81	-	-	-
10.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	170722	84850	50	186389	88524	47	-	-	-
11.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	201	201	100	232	232	100	277	277	100
12.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	23340	23394	100	26700	23812	89	31906	26717	84
13.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	289000	67244	23	115000	121547	106	115000	75011	65
14.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	60000	20565	34	30000	28639	95	33700	14475	43
15.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	960	1585	165	1500	1804	120	1500	2621	175
16.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1808	0	0	1808	0	0	1808	0	0
17.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	19860	12815	65	17347	15456	89	69579	14523	21
18.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	25	25	100	2500	2000	80	3000	0	0
19.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	32	32	100	580	580	100	600	0	0
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	37000	7208	19	37000	42644	115	37000	46629	126
21.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	80000000	85427000	107	75800000	134695000	178	83380000	68119000	82
22.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	45000	41221	92	38000	46117	121	41800	38589	92
23.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	350	351	100	462	310	67	520	68	13
24.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	4700	2278	48	1000	2266	227	3640	1465	40
25.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	75000	84668	113	150000	117628	78	100000	62335	62
26.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	7000	7474	107	6000	7137	119	7000	5518	79

राज्य का नाम : अंडमान एवं निकोबार दीव समूह

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1726	1171	68	1421	1304	92	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	327000	181291	55	246000	259000	105	226000	45465	20
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	50	57	114	50	53	106	–	–	–
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	20	19	95	15	20	133	15	14	93
5.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	6087	6097	100	6200	6153	99	7000	4714	67
6.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2000	1792	90	2000	1672	84	–	–	–
7.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	872	701	80	928	705	76	–	–	–
8.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	4	4	100	4	4	100	4	4	100
9.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	247	261	106	247	257	104	247	277	112
10.	11ख	अ.ज. के परिवारों को सहायता	संख्या	500	883	177	450	929	206	1000	467	47
11.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	50	0	0	–	–	–	–	–	–
12.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	120	21	18	109	21	19	377	0	0
13.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	8	0	0	10	0	0	5	0	0
14.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	100	4	4	10	0	0	–	–	–
15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	250	250	100	400	400	100	400	300	75
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	500000	515100	103	600000	500010	83	500000	529078	106
17.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	3300	3490	106	3700	3507	95	3300	3453	105
18.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	16	25	156	–	–	–	–	–	–
19.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	6000	3514	59	2000	2211	111	2000	1961	98
20.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	5	100	5	5	100	5	3	60

राज्य का नाम : चंडीगढ़

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94			94 95			95-96		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल् जनवरी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	100	59	59	80	110	138	-	-	-
2.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	-	-	-	1	0	0	-	-	-
3.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	11848	11263	95	11500	13673	119	13400	10368	77
4.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2700	2833	105	2700	3038	112	-	-	-
5.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	3956	2850	72	4306	3116	72	-	-	-
6.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	2	2	100	2	2	100	2	2	100
7.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	200	212	106	200	212	106	200	212	106
8.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	500	311	62	1000	516	52	1000	458	46
9.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	1000	21	2	1000	0	0	1000	0	0
10.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	500	0	0	450	550	122	495	140	28
11.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	10	12	120	-	-	-	-	-	-
12.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	1300	1	0	1500	2280	152	2100	150	7
13.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	0	0	5	7	140	10	3	30

राज्य का नाम : दादर एवं नागर हवेली

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	372	301	81	300	302	101	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	273000	207000	76	229000	205802	50	236000	48706	21
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	15	21	140	20	51	255	-	-	-
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	1004	255	25	690	125	18	343	76	22
5.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	3	0	0	10	0	0	12	50	417
6.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	-	-	-	1	0	0	-	-	-
7.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	5016	5343	107	5800	5085	58	5000	3213	64
8.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	800	455	76	600	602	100	-	-	-
9.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	133	127	95	144	127	88	-	-	-
10.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	1	1	100	1	1	100	1	1	100
11.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	125	125	100	125	125	100	125	125	100
12.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	15	0	0	15	0	0	15	0	0
13.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	800	1062	135	800	953	119	800	343	43
14.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	71	60	85	59	59	100	205	15	7
15.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	5	5	100	5	0	0	-	-	-
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1200000	1247000	104	1450000	1439000	99	1595000	1385000	87
17.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	1100	1415	129	1000	788	79	1100	980	89
18.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	4	4	100	-	-	-	-	-	-
19.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	1000	1000	100	1000	1000	100	1000	646	65
20.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	5	100	3	3	100	3		

राज्य का नाम : दमन एवं द्वीव

क्र. सं.	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93-94 लक्ष्य	93-94 उपलब्धि	93-94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	690	467	68	561	289	52	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	163000	60400	37	148000	55200	37	155000	39000	25
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	45	95	211	50	57	114	–	–	–
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	25	22	88	23	23	100	29	23	79
5.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	0	0	–	–	–	–	–	–
6.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	2830	3133	111	2600	3763	145	2700	2016	75
7.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	400	467	117	400	436	109	–	–	–
8.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	244	284	116	267	250	94	–	–	–
9.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	2	2	100	2	2	100	2	2	100
10.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	79	84	106	79	84	106	79	87	110
11.	11ख	अ.ज. के परिवारों को सहायता	संख्या	732	540	74	675	696	103	700	425	61
12.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	30	25	83	30	30	100	30	30	100
13.	14ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	38	26	68	35	49	140	121	11	9
14.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिये गये आ.	संख्या	1	20	2000	10	0	0	0	0	–
15.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1	0	0	5	0	0	–	–	–
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	100000	75000	75	100000	103000	103	110000	196000	178
17.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	150	58	39	150	47	31	165	41	25
18.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	400	61	15	400	30	8	–	–	–
19.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	0	0	2	0	0	–	–	–

राज्य का नाम : लक्षद्वीप

क्र. सं	मद कोड	मद विवरण	इकाई	93 94 लक्ष्य	93 94 उपलब्धि	93 94 प्रतिशत	94-95 लक्ष्य	94-95 उपलब्धि	94-95 प्रतिशत	95-96 वार्षिक लक्ष्य	95-96 उपलब्धि अप्रैल जनवरी	95-96 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	159	73	46	140	100	71	-	-	-
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	262000	220200	84	138000	203000	147	145000	57000	88
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	40	40	100	40	40	100	-	-	-
4.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	2	3	150	2	2	100	5	2	40
5.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	1	1	100	3	2	67	-	-	-
6.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1310	3751	286	1300	1344	103	1500	615	41
7.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	100	24	24	40	27	68	-	-	-
8.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., सी.सी., ओ.पी.)	संख्या	244	57	23	106	60	57	-	-	-
9.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	1	1	100	1	1	100	1	1	100
10.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	60	71	118	60	71	118	60	65	108
11.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	400000	426953	107	410000	430935	105	451000	454235	101
12.	16ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	50	51	102	60	60	100	66	66	100
13.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	300	221	74	500	443	89	300	178	58

उच्च शक्ति प्राप्त जनसंख्या समिति की रिपोर्ट

109. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त जनसंख्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट पर कब तक विचार कर लिये जाने की सम्भावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 18 सितम्बर, 1993 को हुई अपनी 46 वीं बैठक में जनसंख्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया था और नोडल मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आगे कार्रवाई शुरु करने का निर्देश दिया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनसंख्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की सिफारिशों के संबंध में संक्षिप्त नोट

1. आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना

जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि परिवार कल्याण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी न्यूनतम आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने के वास्ते उप केन्द्रों की स्थापना में कमी को दूर किया जाये, उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बुनियादी भौतिक सुविधा प्रदान करके और रिक्त पदों को भरकर पूर्ण रूप से सक्रिय बनाया जाना चाहिए और औषधियों व अन्य सामग्री की उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप प्रभागीय अस्पतालों में एमटोपी/बन्ध्यीकरण सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए। जिला/उप प्रभागीय अस्पतालों में प्रसवोत्तर इकाइयां होनी चाहिएं। बाह्य सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए, जिसके लिए गैर-सरकारी संगठनों, निजी डाक्टरों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन को मजबूत बनाया जाने और उप केन्द्रों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति सुधारने के लिए एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए।

2. कार्मिकों का प्रशिक्षण

जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सभी स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वांछित दक्षताओं की सन्तोषजनक उपलब्धि को जोड़ते हुए प्रशिक्षण के लिए चुने हुए मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों का उपयोग करके वरिष्ठ कर्मचारियों को सेवाकालीन शिक्षण और प्रशिक्षण, पुन: प्रशिक्षण प्रदान करके मुक्त सेवा प्रशिक्षण द्वारा परिवार कल्याण में लगे कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश की है।

3. आधारभूत स्तर पर अन्तरक्षेत्रीय समन्वय

राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम स्तर पर विशेष रूप से पंचायत स्तर पर सभी विकास कार्यकलापों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और विकास कार्यकलापों के आयोजन और कार्यान्वयन में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, कार्यक्रम आयोजन और कार्यान्वयन के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने के वास्ते जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी जाये।

4. परिवार कल्याण कार्यक्रम में वीएचजी और टीबीए की सहभागिता

जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम की समीक्षा की जाये और उसे सुदृढ़ बनाया जाये। इसके अलावा परम्परागत जन्म परिचरों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित और सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5. नीति-निर्माण के लिए प्रणाली का विकास

राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-निर्देशों, कार्रवाई योजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ एक प्रणाली विकसित की जाये और उपयुक्त संगठनों के साथ राज्य और जिला स्तरों पर भी प्रणाली का विकास किया जाये।

6. विभेदक दृष्टिकोण

जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने में विभेदक दृष्टिकोण अपनाये जाये। राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को आयोजना, कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबन्ध के संबंध में ढील के अधिकार दिए जायें। जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के संबंध में भी विभेदक नीति होनी चाहिए।

7. विकेन्द्रीकृत आयोजना

जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि जिला स्तर माइक्रो योजना आधारित क्षेत्र विशेष सामाजिक और स्वास्थ्य संकेतकों को अपनाने के लिए विशेष रूप से प्रारम्भ में चुने गए 90 जिलों में इस दृढ़ जिला स्तर स्वास्थ्य प्रबन्ध सूचना मूल्यांकन पद्धति के विकास की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम आयोजना और कार्यान्वयन में सामाजिक-जैविकीय और जनांककीय विभेदकों वाले क्षेत्रों को समझने की जरूरत है। 1981 की जनगणना के आधार पर 90 जिलों की एक सूची को अद्यतन और संशोधित किया जाना चाहिए।

8. अन्तरक्षेत्रीय समन्वयन

जनसंख्या, विकास और पर्यावरण के संबंधम में एक एकीकृत, अन्तरक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और नीति निर्माण, आयोजना और मानीटरिंग की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

9. प्रशासनिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना

जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की सिफारिशों में तकनीकी विषयों का व्यावसायिक प्रबन्ध, आईईसी कार्यक्रमों, गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन और केन्द्रीय व राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबन्धकों की न्यूनतम तीन वर्ष की पर्याप्त लम्बी कार्यवाही सम्मिलित है। आयोजना, कार्यक्रम तैयार करने और मानीटरिंग तथा विभिन्न कार्यकलापों के विकास में राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

10. आईईसी में नये दृष्टिकोण

लोगों द्वारा परिवार कल्याण की जानकारी और अभ्यास के बीच कमी को पाटने के उद्देश्य से जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि लोक कला और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेरणा और परामर्श सम्पर्क किया जाए और साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, भाषा और बोलियों के विशेष सन्दर्भ में मुद्रण और इलैक्ट्रोनिक साधनों का व्यापक प्रयोग किया जाये। परिवार कल्याण शिक्षा अभियानों में गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक निकायो, राजनीतिक-धार्मिक नेताओं, व्यापार, उद्योग, श्रम यूनियन और सहकारिताओं के योगदान का उपयोग किया जाये। जनसंख्या नियंत्रण का सन्देश पहुंचाने के लिए स्कूल अध्यापकों के अलावा आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं, वीएचजी, टीबीए, एएनएम की सेवाओं का भी उपयोग किया जाये।

11. मानीटरिंग और मूल्यांकन पद्धति

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि समवर्ती मूल्यांकन और बाह्य देख-रेख की मानीटरिंग की जाए और दुष्प्रभावों व गर्भ-निरोधकों के असफल रहने की मानीटरिंग की एक पद्धति विकसित की जाए। समवर्ती मूल्यांकन की जिम्मेदारी आईसीएमआर, एनआईएचएफडब्ल्यू, आईआईपीएस जैसी राष्ट्र स्तर की संस्थाओं को सौंपी जा सकती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए एनआईसी नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तरीय आंकड़ा आधार कायम करने के लिए चुने हुए जिलों में प्रायोगिक अध्ययन किए जा सकते हैं।

12. अनुसंधान

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि गर्भ-निरोधक विकास और परीक्षण के लिए अनुसंधान के अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के वास्ते सामाजिक-जनांककीय संचार और स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। एमसीएच, पोषाहार, शिक्षा, महिलाओं और बाल विकास तथा ग्रामीण विकास के एकीकृत कार्यकलाप के क्षेत्र में भी अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

13. नेताओं की प्रतिबद्धता और समर्थन प्राप्त करने के लिए पद्धति

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने जन प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं, व्यावसायिक संगठनों, निजी चिकित्सकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करके और निगमित क्षेत्र को सक्रिय बनाकर पार्टी सम्बद्धता पर ध्यान दिए बगैर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में समर्थन प्राप्त करने के वास्ते राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक उपयुक्त पद्धति विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

14. व्यवस्थित क्षेत्र की भूमिका

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की सिफारिशों के अनुसार परिवार नियोजन को, गठित की जाने वाली परिवार कल्याण कार्यकलापों के आयोजन के लिए सहकारिताओं, वाणिज्य चैम्बर्स द्वारा विशेष परिवार कल्याण सैल के गठन को, निगमित आयोजन का एक एकीकृत भाग बनाया जाना चाहिए।

15. जनसंख्या नियंत्रण में अन्य परिवार कल्याण सम्बद्ध मुद्दे

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने महिलाओं की विवाह-आयु बढ़ाने, महिला साक्षरता में वृद्धि करने, लिंग भेद को दूर करने, महिलाओं का स्तर सुधारने, एमसीएच सेवायें सुधारने, वृद्धावस्था सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण की स्कीमें लागू करने की सिफारिश की है।

16. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का वित्तपोषण

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए आवंटन योजनागत परिव्यय के कुल सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रतिशत तक बढ़ा दिये जाने, संशोधित "गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला** के अंतर्गत सीबीआर, आईबीआर को कम करने के कार्य निष्पादन पर आधारित अधिक आवंटन और बजट के अन्दर से परिवार कल्याण खर्च (योजनोत्तर) के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को वहन करने, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा परिवार कल्याण के संबंध में खर्च के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है।

17. प्रोत्साहन और हतोत्साहन

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने छोटे परिवार मानदण्ड अपनाने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को इस समय उपलब्ध प्रोत्साहनों में संशोधन करने की सिफारिश की है। बाल-विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम का उल्लंघन करने अथवा दो से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए पदोन्नति और भर्ती से वंचित करके लोक सेवकों के लिए हतोत्साहनों का भी प्रस्ताव किया है।

18. पंचायती राज अधिनियम में संशोधन

जनसंख्या सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय/राज्य सरकारों को चाहिए कि वे चुने जाने के बाद छोटा परिवार मानदण्ड का उल्लंघन करने पर विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने के वास्ते राजस्थान सरकार की तरह विधान तैयार करने पर विचार करें।

19. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करना

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने की सिफारिश की है जिसमें कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश, अल्पावधिक और दीर्घावधिक लक्ष्य शामिल किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

शिक्षाप्रद फिल्में

110. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सह सच है कि देश में बच्चों और युवाओं के लिए बहुत ही कम संख्या में स्वास्थ्य और शिक्षाप्रद फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वस्थ, शिक्षाप्रद और मनोरंजनपूर्ण पारिवारिक फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) बच्चों तथा युवाओं से संबंधित शैक्षिक फिल्में जो कि विशिष्ट आयु वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, का एक समिति बाजार है अत: इस कारण भी ये समिति संख्या में बनाई जाती हैं।

(ग) सरकार, बच्चों तथा युवाओं के लिए फिल्म बनाने हेतु राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र (रा.बा. एवं यु.च.चि.के.) जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, को नियमित रूप से अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। इन फिल्मों को राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा सामान्यतया मनोरंजन कर से छूट दी जाती है। जिला स्तर पर, इस प्रकार की फिल्में प्रदर्शित करने हेतु कम किराए पर थिएटर उपलब्ध कराने में स्थानीय प्रशासन सहायता करता है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत की गई है।

[अनुवाद]

मन्द बुद्धि बच्चों के लिए संस्थान

111. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मन्द बुद्धि बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने हेतु और संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मानसिक रूप से मंद बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने में लगे गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान अनुमत्य है;

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता की योजना।

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान की योजना; और

(3) प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता।

प्रथम योजना सभी विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण सहित पुनर्वास के पहलुओं को शामिल करती है जिसमें मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी आते हैं। दूसरी योजना अनन्य रूप से मानसिक मंदता सहित विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए है। तीसरी योजना के अंतर्गत मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क अंगघात के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

इस समय उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत मानिसक मंदता से प्राप्त व्यक्तियों के लिए 143 गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्राप्त हो रहे हैं।

मानसिक मंदता के क्षेत्र में कार्यरत तथा भारत सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

क्र.	राज्य का नाम	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए केन्द्रों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	दिल्ली	11
5.	गुजरात	4
6.	हरियाणा	2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	9
9.	केरल	28
10.	महाराष्ट्र	12
11.	मध्य प्रदेश	2

1	2	3
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	1
14.	पंजाब	1
15.	राजस्थान	1
16.	तमिलनाडु	19
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	पश्चिम बंगाल	14
19.	त्रिपुरा	1
	कुल	143

स्वैच्छिक संगठन

112. डा. के.बी.आर. चौधरी :

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कल्याण गतिविधियों में लगे स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार को वित्तीय सहायता हेतु स्वैच्छिक संगठनों से कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(घ) अपेक्षित वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन स्वीकृत किए गए;

(च) इन स्वैच्छिक संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता के उपयोग की निगरानी के लिए सरकार ने कौन सी प्रक्रिया अपनायी है; और

(छ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) चूंकि कल्याण मंत्रालय बहुत बड़ी संख्या में कल्याण कार्यकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जिनके बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टें कुल मिलाकर अपर्याप्त होती हैं तथा नियमित रूप से प्राप्त भी नहीं होती। ऐसे संगठनों के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा करना सम्भव नहीं हो रहा है। तथापि, समय-समय पर किए गए निरीक्षणों से प्राप्त सीमित फीड-बैक के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किए गए हैं कि अच्छे कार्य व रिकार्ड वाले गैर सरकारी संगठनों को सहायता की जाए और उन्हें निर्मुक्त की गई निधियों को सुचारू रूप दिया जाए और युक्तिसंगत बनाया जाए।

(ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1992-93	1262
1993-94	2057
1994-95	2563

(घ) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान मंजूर/निर्मुक्त किए जाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का सामान्य रूप से अनुसरण किया जाता है :-

(1) संगठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, कम्पनी अधिनियम न्यास या कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(2) संगठन को कम से कम दो वर्षों तक सम्बद्ध क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।

(3) संगठन को वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए और उस योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाले कुल व्यय के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को वहन करने की स्थिति में होना चाहिए।

(4) संगठन का आवेदन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संस्तुत होना चाहिए और कल्याण मंत्रियों के हाल में - सम्पन्न सम्मेलन में सहायतानुदान मंजूरी हेतु पात्र गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करने और ऐसी सहायता को पद्धति के विकेन्द्रीकरण के लिए अंक और अधिक कड़े मानदंडों को सिफारिश की गई है। यह मामला विचाराधीन है।

(ङ) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1992-93	774
1993-94	1080
1994-95	1320

(च) गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध वित्तीय सहायता के उपयोग को प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा पूर्ववर्ती वर्ष के अनुदानों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित विवरण और लेखे के माध्यम से मानीटर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित और विस्तृत निरीक्षण करें किन्तु अनेक मामलों में ऐसा नहीं होता जिसके कारण इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। विशेष योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों से कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित किए जाते हैं।

(छ) वर्तमान वर्ष के लिए बजट अनुमान में निर्धारित राशि 85.53 करोड़ रुपए है जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है।

दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स

113. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. के दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स द्वारा लक्ष्य के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त काम्प्लेक्स द्वारा उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स के उत्पादों के वास्तविक उत्पादन तथा लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

उत्पाद	यूनिट	वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
कोयला	(मिलियन धर्म)	1993-94	4.84	3.93
गैस		1994-95	7.55	7.08
सिल	(टन)	1993-94	77,000	64,917
कोक		1994-95	1,22,570	80,061
कोक	(टन)	1993-94	15,500	15,812
फाइन		1994-95	21,880	18,996

(ग) इस संबंध में लक्ष्यों को मुख्यत: इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सका, चूंकि संयोजित उपभोक्ता, ग्रेटर कलकत्ता गैस आपूर्ति निगम (जोकि पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम है) गैस की वचनबद्ध मात्रा में निकासी किए जाने के मामले में विफल रहा है।

(घ) वर्तमान स्थिति में कोल इंडिया लि. इस यूनिट को उत्पादों के संबंध में तेजी से बाजार विकसित करने तथा उत्पादन को अधिकतम किए जाने के माध्यम से व्यवहार्य बनाए जाने हेतु प्रयास कर रहा है। ये प्रयास हाल के वर्षों में उत्पादन में निरंतन आये सुधार से प्रदर्शित होते हैं।

कोयले की ढुलाई

114. डा. मुमताज अंसारी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई की विद्यमान प्रणाली में अत्यधिक खामियों के कारण कोयले की चोरी की संभावना बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की चोरी की कितनी घटनाएं प्रकाश में आई है; और

(ग) कोयले की चोरी रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

जवाहर रोजगार योजना का क्रियान्वयन

115. डा. वसंत पवार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने विभिन्न राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उपर्युक्त राज्य में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) के कार्यान्वयन के प्रभाव और बाधाओं का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन कार्य किया था। यह एक तुरन्त अध्ययन था जो जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के सतत् मानीटरिंग से सम्बन्धित नहीं था। सुझावों के रूप में अध्ययन के परिणाम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कार्यान्वयन को तेज करने के लिए जवाहर रोजगार योजना को अधिक लक्ष्योन्मुख बनाया गया है तथा बजटीय आवंटन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। गहन जवाहर रोजगार योजना (आईजेआरवाई) के रूप में ज्ञात जेआरवाई का दूसरा चरण संसाधनों के अतिरिक्त प्रवाह के साथ 120 पिछड़े जिलों में 1993-94 में शुरु किया गया था। महाराष्ट्र में भी, आई जे आर वाई को 16 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1-1-96 से आई जे आर वाई को रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के साथ मिला दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास क्षेत्रक के अन्तर्गत महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्रक योजनायें हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जेआरवाई-1, जेआरवाई-2, रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) और सूखा प्रधान क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), महाराष्ट्र राज्य में राज्य सरकार द्वारा रोजगार गारंटी स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के संबंध में किए गए अध्ययन में दिए गए सुझाव

1. रोजगार के लिए उपलब्ध व्यक्तियों तथा जिन व्यक्तियों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वस्तुत: रोजगार प्राप्त हुआ, उनकी संख्या के संबंध में सूचना किसी भी स्तर पर नहीं रखी गई। इसलिए सुझाव है कि यह मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए योजना की उचित आयोजना और कार्यान्वयन के हित में ऐसी सूचना रखी जानी चाहिए।
2. चूंकि योजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, इसलिए सुझाव है कि ग्राम पंचायत चुनाव नियमित रूप से और समय पर कराए जायें।

3. सृजित रोजगार के मानव दिवसों की दृष्टि से वास्तविक उपलब्धियों के सभी स्तरों पर 1989-90 और 1990-91 के दौरान वित्तीय निष्पादन की तुलना में बेहतर परिणाम रहे, इसकी बारीकी से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जवाहर रोजगार योजना संहिता में दिए गए कार्यों की निदर्शी सूची प्रचालन स्तर पर विस्तृत सूची बन गई है। 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने निदेर्शी सूची में दी गई परिसम्पत्तियों के अलावा अधिक संख्या में परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया था। इसलिए सुझाव है कि क्षेत्र की अनुभव की गई जरूरत के अनुसार परिसम्पन्ति सृजन को लिया जाए और नेदर्शी सूची केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। तथापि, पशु चिकित्सालय, बस शेल्टर, सामाजिक वानिकी, आंगनवाड़ी आदि जैसी परिसम्पत्तियों के निर्माण में क्षेत्रक विभागों को प्रमुख जिम्मेदारी सम्भालनी चाहिए और जवाहर रोजगार योजना निधियां एक अतिरिक्त के रूप में कार्य करें।

5. क्योंकि अधिकांश मामलों में परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की कोटि या तो औसत अथवा घटिया पाई गई, इसलिए सुझाव है कि ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि उनके पास रहने वाली परिसम्पत्तियों का एक नियमित और अच्छी कोटि का अनुरक्षण सुनिश्चित हो सके। उच्च स्तर पर परिसम्पत्तियों का एक नियमित पर्यवेक्षक और मानीटरिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6. सुझाव है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों का प्रशिक्षण और योजना की समुचित जानकारी राज्य और जिला स्तरों पर कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। चूंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है और यह स्थानीय लोगों के लाभ के लिए है, इसलिए सुझाव है कि ठेकेदारों की सहभागिता को हतोत्साहित किया जाए।

7. सुझाव है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई योजना ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जानी चाहिए, न कि ब्लॉक प्राधिकारियों द्वारा, जहां इस समय यह प्रथा है।

8. अन्त में, किन्तु अन्तिम नहीं, यह सुझाव है कि उन क्षेत्रों में जहां गरीबों की संख्या अधिक है, योजना का कार्यान्वयन चयनात्मक आधार पर किया जाए। यह विशेष रूप से, ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन

116. श्री रूपचंद पाल :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार क्या-2 कमियां पाई गईं; और

(ग) उक्त कमियों को किस प्रकार दूर किए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गयी है।

(ख) औ (ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल संबंधी अन्वेषण

117. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का अपने इक्विटी आधार को बढ़ाने की विनिवेश योजना संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा आम जनता को अपने इक्विटी शेयर जारी करने से पहले एक व्यापक तेल संबंधी अन्वेषण नीति तैयार की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने ओ एन जी सी में अपनी इक्विटी को 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत करने का सैद्धांतिक रूप में निर्णय लिया है तथा 4 प्रतिशत इक्विटी की पहले ही निवेश निकासी कर ली गयी है। पुनश्च, अक्तूबर, 1995 में सरकार ने और 2.5 प्रतिशत इक्विटी की निवेश निकासी के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। बाजार में मंदी की स्थिति के कारण इस प्रस्ताव के प्रति प्रत्युत्तर बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अस्पतालों में नवजात शिशुत्वों का बदला जाना

118. डा. लाल बहादुर रावल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में नवजात शिशुओं की चोरी तथा इन्हें बदले जाने के कितने मामले दर्ज किए गए;

ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग) वर्ष 1995-96 (25.2.1996 तक) के दौरान दिल्ली में अस्पतालों से नवजात शिशुओं की चोरी और बदले जाने से संबंधित तीन मामले दर्ज किए गए। इनमें से दो मामले सफदरजंग अस्पताल से संबंधित हैं जबकि तीसरा मामला सुचेता कृपलानी अस्पताल से संबंधित है। इन मामलों में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुचेता कृपलानी अस्पताल से संबंधित मामला 26.2.1996 को पुलिस द्वारा "पता नहीं लगा** के रूप में फाइल किया गया।

अस्पताल के अधिकारियों से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के बीट और डिवीजन स्टाफ को अस्पतालों के नजदीक निगरानी रखने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस को सुचेता कृपलानी अस्पताल से संबंधित मामले को पुनः चालू करने और इन सभी मामलों की जांच-पड़ताल शीघ्र ही करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। [अनुवाद]

बी.पी.सी.एल. द्वारा धनराशि जुटाया जाना

119. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) द्वारा आंतरिक स्तर पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक वर्षवार कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान बी.पी.सी.एल. ने कोई विदेशी सहायता भी मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1995-96 एवं 1996-97 के लिए यदि ऐसी कोई योजना है तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बी.पी.सी.एल. द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक रूप से जुटाई गई धनराशियां वर्षवार निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	(रु. करोड़) आंतरिक रूप से जुटाए गए
1992-93 (वास्तविक)	296.78
1993-94 (वास्तविक)	337.55
1994-95 (वास्तविक)	503.19
1995-96 (अनुमानित)	503.04*
1996-97 (अनुमानित)	600.52*

*वार्षिक योजना प्रस्तुतीकरण 1996-97 के अनुसार।

(ख) और (ग) भारत सरकार और एशियन विकास बैंक (एडीबी) के बीच ऋण करार और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एशियन विकास बैंक (एडीबी) के बीच 10 दिसंबर, 1993 को हस्ताक्षरित परियोजना करार के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुधार परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए बी.पी.सी.एल. को 23.50 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया था। तथापि, बाद में इस ऋण का उपयोग नहीं किया गया और उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उसे रद्द कर दिया गया। इसके अलावा हाल में आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है।

कोयले का उत्पादन

120. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. और केन्द्र सरकार के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए कोयला उत्पादन के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितने श्रम दिवस निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि. निर्धारित श्रम दिवसों में उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोल इंडिया लि. को घाटे में जाने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) वर्ष 1995-96 के लिए सरकार और कोल इंडिया लि. के बीच हुए समझौता-ज्ञापन में कोयले के उत्पादन संबंधी लक्ष्यों तथा इसके लिए मानव दिवसों का निर्धारण नहीं किया गया है। किन्तु, समझौता-ज्ञापन में भूमिगत खानों से 61.40 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के प्रयोजन को शामिल किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु समझौता-ज्ञापन में कार्य-दिवसों का कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

कोल इंडिया लि. वर्ष 1991-92 से लाभ कमाता रहा है। इसका एकत्रित घाटा 31.3.1991 के 2498.98 करोड़ रुपये की राशि से 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 1647.37 करोड़ रुपये तक नीचे आ गया है। कोल इंडिया लि. को उत्पादकता में सुधार किए जाने और उत्पादन लागत में कमी किए जाने के संबंध में परामर्श दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में खानाबदोश तथा अर्द्धखानाबदोश जनजातियों को शामिल किया जाना

813. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ अनधिसूचित खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों को शामिल किए जाने के संबंध में अखिल भारतीय तपरीवास तथा विमुलेत जातियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। पंजाब की कतिपय खानाबदोश और अनधिसूचित समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए अखिल भारतीय तपरीवास और विमुलेत जाति परिसंघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय ये समुदाय पंजाब की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं।

(ग) कोई विशेष समय अनुसूची नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह मामला जटिल प्रकृति का है।

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में दाखिल छात्र

814. डा. लाल बहादुर रावल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कटक (उड़ीसा) स्थित राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में बी.एस.सी. (भौतिक चिकित्सा) और बी.एस.सी. (व्यावसायिक चिकित्सा) के पाठ्यक्रमों में जुलाई में दाखिल छात्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) बी.एस.सी. (भौतिक चिकित्सा) और बी.एस.सी. (व्यावसायिक चिकित्सा) के प्रथम वर्ष के उन छात्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने या तो ये पाठ्यक्रम छोड़ दिए हैं या दाखिला लेने के बाद ये पाठ्यक्रम छोड़ दिए हैं;

(ग) उन छात्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके योग्यता क्रम और विकल्प के अनुसार बी.एस.सी. (व्यावसायिक चिकित्सा) से बी.एस.सी. (भौतिक चिकित्सा) के पाठ्यक्रमों में रिक्तियों को भरने के लिए अंतरित कर दिया गया है; और

(घ) कटक स्थित इस संस्थान में बी.एस.सी. (भौतिक चिकित्सा) औ बी.एस.सी. (व्यावसायिक चिकित्सा) के प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1995-96 (जुलाई, 1995 बैच) के दौरान बी.एस.सी (भौतिक चिकित्सा) के लिए 20 छात्रों को दाखिल किया गया तथा बी.एस.सी (व्यावसायिक चिकित्सा) के लिए 18 छात्रों को दाखिल किया गया।

छात्रों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) बी.एस.सी. (भौतिक चिकित्सा) के प्रथम वर्ष के 5 छात्र तथा बी.एस.सी. (व्यावसायिक चिकित्सा) के 4 छात्र दाखिला लेने के बाद या तो नहीं आए अथवा प्रवेश के बाद उन्होंने पाठ्यक्रम को छोड़ दिया।

छात्रों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) श्री सुधाकर शर्मा ही एकमात्र छात्र हैं जिन्हें बी.एस.सी. (व्यावसायिक चिकित्सा) से बी.एस.सी. (भौतिक चिकित्सा) में स्थानान्तरित किया गया है। उत्कल विश्वविद्यालय के विनियम के अनुसार छात्रों के न आने क कारण रिक्तियों की इन पाठ्यक्रमों के प्रवेश की अंतिम तारीख से 30 दिनों के बाद नहीं भरा जा सकता है।

(घ) इस मामले को उत्कल विश्वविद्यालय तथा उड़ीसा राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

विवरण-I

1995-96 (जुलाई, 1995 बैच) के दौरान बी.एस.सी. (फिजियोथेरेपी) पाठ्यक्रम के लिए दाखिल छात्रों के नाम

1. सगुन अग्रवाल
2. अमरेश कुमार
3. धीरज कुमार सिंह
4. मनोज कुमार कथुरिया
5. हिमांशु अग्रवाल
6. नितिन कुमार जैन
7. सुधाकर सिंह
8. मोहम्मद वसीन अहमद
9. अमिल कुमार
10. सुनील कक्कड़
11. पी. कार्तिकेयन
12. शील कुमार गुप्ता
13. सुश्री पूनम गुप्ता
14. दयानन्द किरण
15. रणधीर पासवान
16. देनाक्रुष्णा जोना
17. रामा बाबू
18. मेहता लाल मीणा
19. धनराज मीणा
20. विनोद कुमार सिंह

1995-96 (जुलाई, 1995 बैच) के दौरान बी.एस.सी. (व्यावसायिक थेरेपी) पाठ्यक्रम के लिए दाखिल छात्रों के नाम

1. सुधाकर शर्मा
2. विजय बत्रा
3. मुन्ना प्रसाद गुप्ता
4. मुकुल कुमार
5. संतोष प्रसाद
6. राजीव कुमार सिंहा
7. मन्तु कुमार
8. वीर बहादुर यादव
9. सतीश कुमार
10. हरीश मोहन
11. रविन्द्र वरून
12. संजय कुमार सिंह
13. मो. यूसुफ

14. [illegible] मीणा

15. [illegible]मार

16. [illegible]नीत बतरा

17. सुधार कुमारी सिंह

18. हरिराम मीणा

विवरण-II

बी.एस.सी. (फिजीयोथेरेपी) के प्रथम वर्ष के छात्रों के नाम जिन्होंने दाखिला लेने के पश्चात नाम वापिस ले लिए या पाठ्यक्रम छोड़ दिया

1. हिमांशु अग्रवाल

2. नितिन कुमार जेन

3. मो. वसीन अहमद

4. सुनील कक्कड़

5. पी. कार्तिकेयन

बी.एस.सी. (व्यावसायिक थेरेपी) के प्रथम वर्ष के छात्रों के नाम जिन्होंने दाखिला लेने के पश्चात या तो नाम वापिस ले लिया या पाठ्यक्रम छोड़ दिया

1. मुकुल कक्कड़

2. संतोष प्रसाद

3. हरीश मोहन

4. भरत कुमार

बहादुरगढ़ में टेलीफोन सेवा में बाधा डालना

815. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कल्याणकारी संगठनों विशेषकर अखिल भारत अनुसूचित परिषद, बहादुरगढ़ से स्थानीय दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा उनकी टेलीफोन सेवा में प्राय: बाधा पहुंचाने को रोकने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद की दिनांक 22.1.96 को केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) यह शिकायत अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के दोषपूर्ण टेलीफोन नं. 310967 के बारे में है जिसे उनके अनुसार टेलीफोन स्टॉफ द्वारा बदले और दुर्भावना के आशय से जानबूझकर खराब रखा जा रहा है। टेलीफोन की खराबियां ठीक कर दी गई हैं और यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। 22.2.1996 को दूरसंचार जिला प्रबंधक, रोहतक द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की गई थी, जांच के बाद इस मामले में किसी कर्मचारी विशेष की कोई दुर्भावना ध्यान में नहीं आई है।

निविदा प्रक्रिया में भेदभाव

816. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.टी.आई. कर्मचारी संघ ने निविदा और क्रयादेश प्रक्रिया जिसमें सरकारी क्षेत्र के एककों की अपेक्षा कुछ निजी निर्माताओं, विशेषकर 2 जीएचजैड माइक्रोवेव उपकरण के लिए दुबारा क्रयादेश के मामले में भेदभाव बरतने के बारे में दूरसंचार विभाग से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कर्मचारियों की यूनियन ने, कुछ निविदाओं तथा आर्डरों की प्रक्रिया में भेद-भाव तथा पक्षपात का आरोप लगाया है। यूनियन द्वारा 2 जेगाहर्ट्ज माइक्रोवेव उपस्कर के दुबारा आर्डर (रिपीट आर्डर) देने के मामले का भी उल्लेख किया गया है।

दूरसंचार विभाग ने तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति हेतु जून, 1995 में 2 जेगाहर्ट्ज डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर के 1500 टर्मिनलों के क्रय का आर्डर दिया था। यह आर्डर, उस तारीख को उपस्कर हेतु वैध टाइप अनुमोदन वाली फैक्टरियों को दिए गए थे। इन फर्मों के नाम मैसर्स एच एफ सी एल, मैसर्स श्याम टेलीकाम और मैसर्स फजित्सु हैं, जिन्होंने 3500 टर्मिनलों की पूर्व निविदा में भी भाग लिया था आर्डर देते समय इन तीन फर्मों के अलावा, ऐसी अन्य कोई फर्म नहीं थी जिसके पास टाइप अनुमोदन था। विभाग के तकनीकी, वाणिज्य तथा वित्त स्कन्धों के अधिकारियों को मिलाकर विधिवत् रूप से गठित समिति द्वारा यथा अनुशंसित दरों की पेशकश की गई थी। समिति ने घटे हुए सीमा-शुल्क की संरचना के आधार पर दरों की सिफारिश की थी। यह उल्लेखनीय है कि इस खरीदारी हेतु अनुशंसित कीमतें इससे पहले कि निविदाओं हेतु अनुमोदित कीमतों से कम थीं। जून, 1995 में उक्त आर्डरों हेतु मै. आई टी आई पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि उस समय इनके पास टाइप अनुमोदन नहीं था। तथा इनके पास पर्याप्त आर्डर थे, चूंकि इन्होंने 1993 के दौरान दिए गए 840 टर्मिनलों के आर्डर में से उस समय तक मात्र 100 टर्मिनल ही सप्लाई किये थे।

इस प्रकार यूनियन का आरोप सही नहीं है।

अधिकारियों को टेलीफोन

817. श्री के.एम. मैथ्यू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों की ओर से उनके अधिकारियों के आवास पर अधिकाधिक टेलीफोन लगाने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, महानगर टेलीफोन निगम लि., नई दिल्ली को अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) जी हां। अधिकारियों को उनके घरों में सरकारी टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में, मुख्य महाप्रबंधक, महानगर टेलीफोन निगम लि., नई दिल्ली को विभिन्न मंत्रालयों विभागों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

ऐसे आवेदनों को, ओ वाई टी (विशेष) श्रेणी के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है जहां कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं है और तकनीकी सहायता के आधार पर आसानी से टेलीफोन उपलब्ध हो जाते हैं।

तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र होने के मामलों में नए केबिल बिछाकर उस क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

दूरदर्शन चैनल के कार्यक्रम

818. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के चैनल डी.डी. तीन और डी.डी; सीएनएन लिंक अप चैनल के कार्यक्रम सामान्य एंटीना के साथ घरों में लगे हुए टी.वी. सेट पर देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या दर्शकों को इन चैनलों के कार्यक्रम देखने के लिये अपने टी.वी. सेट के लिये डिश एंटीना लगाना पड़ेगा या केबिल आपरेटरों की सेवायें ली जा सकती हैं;

(ग) चैनल डीडी तीन डीडी सीएनएन लिंक अप का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त चैनल के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि उनके कार्यक्रम दर्शक द्वारा सामान्य एंटीना के साथ लगे टी.वी. सेट पर देखे जा सकें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) डी.डी.-सी.एन.एन. लिंक अप पर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचार और सामयिक घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम के दिन और समय क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) हालांकि उपयुक्त टी.वी. एंटीना से सामान्य टी.वी. सेटों पर डीडी-3 के कार्यक्रमों को देखा जा सकता है तथापि दिल्ली में उपयुक्त डिश एंटीना स्थापित करके ही डीडी-सीएनएन के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।

(ख) जी, हां। भारत में कहीं भी डीडी-सीएनएन के कार्यक्रमों को देखने के लिए यह आवश्यक है।

(ग) डीडी-3 के कार्यक्रम 4610 मैगाहर्ट्ज पर तथा डीडी-सीएनएन के कार्यक्रम इनसैट-2 के जरिए 4170 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से डीडी-3 के कार्यक्रम स्थलीय रूप से प्रसारित किए जाते हैं : दिल्ली (चैनल-5), बम्बई (चैनल-9), कलकत्ता (चैनल-9), मद्रास (चैनल-8)।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) डीडी-सीएनएन के कार्यक्रमों की समय-सारणी संबंधी एक विवरण संलग्न है।

विवरण

19.11.1995 से डीडी-सीएनएनआई पर प्रसारित कार्यक्रमों की समय सारणी निम्न प्रकार से है :-

शुक्रवार	
सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	टुडे (एनडीटीवी)
सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक	इंडिया न्यूज एंड बिजनेस प्लस (डीडी तथा प्लस चैनल)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फर्स्ट एडिशन (इंडिया प्लस टीवी)
सांय 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	कश्मीर फाइल (अरूण कौल प्रोडक्शस)
शनिवार	
सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	टुडे (एनडीटीवी)
सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक	इंडिया न्यूज एंड बिजनेस प्लस (डीडी तथा प्लस चैनल)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फर्स्ट एडीशन (इंडिया प्लस टीवी)
सांय 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	नार्थ-ईस्ट फाइल (सुकृति फिल्म्स/वैकल्पिक शनिवारों को)
रविवार	
सुबह 9.00 बजे से 9.15 बजे तक	इंडिया न्यूज (डीडी)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फर्स्ट एडिशन (इंडिया प्लस टीवी)
दोपहर 12.00 बजे से 12.30 बजे तक	न्यूज ट्रैक (टीवी टुडे)
अपराह्न 2.30 बजे से 3.30 बजे तक	इंडिया दिस वीक एंड बुक्स एंड आइडियाज (मूविंग पिक्चर कंपनी तथा एटसेट्रा कम्युनिकेशंस)
सांय 8.00 बजे से 9.00 बजे तक	राउण्ड टेबल (डीडी)
सोमवार	
सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	टुडे (एनडीटीवी)
सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक	इंडिया न्यूज एंड बिजनेस प्लस (डीडी तथा प्लस चैनल)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फ़र्स्ट एडिशन (इंडिया प्लस टीवी)
मंगलवार	
सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	टुडे (एनडीटीवी)
सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक	इंडिया न्यूज एंड बिजनेस प्लस

	(डीडी तथा प्लस चैनल)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फर्स्ट एडिशन (इंडिया प्लस टीवी)

बुधवार

सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	टुडे (एनडीटीवी)
सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक	इंडिया न्यूज एंड बिजनेस प्लस (डीडी तथा प्लस चैनल)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फर्स्ट एडिशन (इंडिया प्लस टीवी)

बृहस्पतिवार

सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे तक	टुडे (एनडीटीवी)
सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक	इंडिया न्यूज एंड बिजनेस प्लस (डीडी तथा प्लस चैनल)
सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक	द फर्स्ट एडिशन (इंडिया प्लस टीवी)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशियों के जाने पर प्रतिबन्ध

819. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों की यात्रा करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किन-2 क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यह पाबन्दी किस अधिनियम/आदेश के तहत लगाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) दिनांक 19.5.1995 की अधिसूचना के द्वारा असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों से प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शासन को पूर्णतः हटा लिया गया था। तथापि, विदेशी नागरिकों को पूर्वोत्तर रीजन में निर्बन्धित क्षेत्रों का दौरार करने के लिए परमिट प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ख) विदेशियों विषयक (निर्बन्धित क्षेत्र) आदेश, 1958, के तहत सम्पूर्ण अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम को निर्बन्धित क्षेत्र घोषित किया गया है।

"ऑपरेटर्स स्टोरिंग पेजर मैसेजेज" संबंधी समाचार

820. **श्री सनत् कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1996 के नई दिल्ली से प्रकाशित "आब्जर्वर ऑफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स" के संस्करण" ऑपरेटर्स स्टोरिंग पेजर मैसेजेज एज् सिक्योरिटी रेन-चेक शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेडियो पेजिंग सेवा-प्रचालनों के लिए लाइसेंस-करार में निम्नलिखित खंड शामिल किया गया है :-

> "जब तक प्राधिकारी रिकॉर्ड नष्ट करने की मंजूरी नहीं दे देते, तब तक लाइसेंसधारक, नेटवर्क पर हुए संचार आदान-प्रदान के संबंध में सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड अनुरक्षित रखेगा। सुरक्षा संबंधी कारणों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा करने हेतु, ऐसे रिकॉर्डों का अभिलेख कम-से-कम एक वर्ष तक रखा जाना चाहिए।"

पेजिंग ऑपरेटर, लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार संदिश अनुरक्षित कर रहे हैं।

छठी अनुसूची

821. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की छठी अनुसूची में देश के कुछ जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर मध्य प्रदेश को शामिल किये जाने की मांग काफी दिनों से की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि छठी अनुसूची का विस्तार बढ़ाये जाने का गैर जनजातीय लोगों द्वारा अक्सर अत्यधिक विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समीक्षा अथवा आंकलन किया गयाा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए संविधान की छठी अनुसूची के अनुप्रयोग का विस्तार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रथमतः राज्य सरकार ने झबुआ, मंडला तथा बस्तर जिलों के लिए छठी अनुसूची का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है जहां अनुसूचित जनजातियां इन जिलों में कुल जनसंख्या का दो तिहाई हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श से मामले की जांच की जा रही है।

(ग) बस्तर जिला संघर्ष समिति ने अनुसुचित क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची के उपबंधों के विस्तार के विरोध में बैठकें आयोजित की थीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, संविधान की पांचवी तथा छठी अनुसूची के उपबंधों के कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन कार्य एक संगठन को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

डाक कर्मचारियों की कमी

822. श्री राम सिंह कस्वां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में डाक कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुपात में उनकी भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को देश में डाक कर्मचारियों, विशेषत: डाकियों, की कमी को पूरा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों में डाक कर्मचारियों की कोई भारी कमी नहीं है।

(ग) और (घ) जनसंख्या, डाक परियात में वृद्धि और मौजूदा नगरक्षेत्रों के सीमावर्ती और बाह्य क्षेत्रों में उप-नगरों के बसने के कारण सरकार विशेषकर पोस्टमैन संवर्ग में डाक कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता महसूस करती है। सरकार 878 पोस्टमैन और 88 सार्टिंग पोस्टमैन के अतिरिक्त पदों की मंजूरी के लिए एक समेकित प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

823. श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालर की तुलना में रुपए की अवमूल्यन का पेट्रोलियम, डीजल तथा मिट्टी के तेल के आयात पर अलग-2 क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इन वस्तुओं के आयात पर आयत शुल्क को स्थिर करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि उपर्युक्त पेट्रोलियम उत्पादों के आंतरिक मूल्य में वृद्धि नहीं की जाएगी?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जबकि अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में हुई हाल की भिन्नताओं के कारण अब तक संविदाकृत मात्राओं के संबंध में भारतीय रुपए के संदर्भ में आयात बिल बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में 1995-96 से संबंधित आयात बिल में निश्चित वृद्धि, आयात होने वाली मात्रा तथा वर्ष 1995-96 की शेष अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर निर्भर करेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फिलहाल मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत संयंत्र की स्थापना

824. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाना लिमिटेड का एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने रिफाइनरी में उपलब्ध उपशिष्ट ईंधन तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग के आधार पर 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन परियोजना का संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव प्रथम चरण की स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया में है।

ओ.एन.जी.सी. विदेश का पुनर्गठन

825. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओ.एन.जी.सी. विदेश (ओ.वी.एल.) के पुनर्गठन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनर्गठन प्रस्ताव अभी किस स्तर पर है;

(घ) क्या इस समय ओ.वी.एल. में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त वित्त निदेशक सहित कोई भी पूर्णकालिक निदेशक नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या हाल ही में ओ.वी.एल. ने कुछ पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति देने के लिए उनके मंत्रालय से सम्पर्क किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) हाल के महीनों में सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्त करने और विदेशों में इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और इससे क्या सफलता मिली?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) आरम्भ में चूंकि कम्पनी के क्रियाकलाप बहुत कम थे, इसलिए पूर्णकालिक निदेशकों को रखने जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(च) जी हां।

(छ) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के अनुरोध पर मंत्रालय पूर्णकालिक

निदेशकों के दो पदों का सृजन करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है।

(ज) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हाल में वियतनाम, ट्यूनिशिया, यमन और मिश्र में परियोजनाओं में व्यस्त है। वियतनाम में असम्बद्ध प्राकृतिक गैस की खोज कर ली गई है।

कोयले की कमी

826. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में सीमेंट उद्योग हेतु कोयले की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की आपूर्ति में कमी से देश में सीमेंट उत्पादन में बाधा पहुंच रही है; और

(घ) यदि हां, तो सीमेंट उद्योग को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान सीमेंट संयंत्रों को कोयले का प्रेषण किए जाने के मामले में कुछ गिरावट आई है। अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए 70.48 लाख टन प्रेषण की तुलना में 67.34 लाख टन कोयले का प्रेषण किया। प्रेषण में कमी, जिसका कि सीमेंट के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, इसका कारण रेल द्वारा विद्युत क्षेत्र को कोयले के संचलन के मामले में उच्च प्राथमिकता दिया जाना है। सीमेंट क्षेत्र की कोयले की आपूर्ति पर भी दो गैर-कानूनी रूप से की गई हड़तालों से पड़ा, जिन्हें सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. में अप्रैल, 1995 और अक्तूबर/नवम्बर, 1995 माह में आतंकवादी तत्वों द्वारा कराया गया था और कोरबा में रेल संचलन क्षमता भी प्रतिबंधित थी।

(घ) सीमेंट संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति का सुनिश्चय करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(i) सीमेंट संयंत्रों को कोयले का संचलन किए जाने के लिए वैगनों की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने हेतु रेलवे के साथ निकटतम समन्वय रखा जाना।

(ii) ऐसी सीमेंट यूनिटें, जोकि रेलवे के साथ संयोजित हैं, उन्हें सड़क द्वारा कोयले का संचलन किए जाने का कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने का विकल्प दिया जाना, जोकि उन्हें रेल द्वारा इच्छित सीमा तक प्रस्तुत कार्यक्रम के एवज़ में दिया जाएगा।

विद्युत परियोजनाओं में तेल और गैस की कमी

827. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को तेल और गैस का भारी अभाव का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तेल और गैस के अभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूर्णत: पूरा किया जा रहा है। चूंकि देश में फिलहाल एफओ की कमी है अत: इस कमी को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। एलएसएचएस की देशी उपलब्धता में भी कमी है, जिसे विद्युत संयंत्रों द्वारा अपनी कैप्टिव खपत के लिए समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत उत्पाद के सीधे आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

फिलहाल विद्युत परियोजनाओं को 20.3 एमएमएससीएमडी के आवंटन की तुलना में 18.3 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है।

सरकार ने विद्यमान विद्युत संयंत्रों और निर्माणाधीन नये संयंत्रों की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. एलएसएचएस तथा नैप्था के आयात को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है ताकि रुचि रखने वाले पक्षकार इन उत्पादों का मुक्त आयात कर सकें।
2. विशेष आयात लाइसेंस के तहत मिट्टी के तेल (एफओ) के आयात की अनुमति दी गयी है।
3. नैप्था, एफओ/एलएसएचएस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आगामी वर्षों में नयी रिफाइनरियां आरम्भ की जाएंगी।
4. नये क्षेत्रों का विकास करके तथा कुछ विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास करके घरेलू स्रोतों से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ायी जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बिटुमेन की आपूर्ति

828. श्री रामपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु सप्लाई किया गया बिटुमेन घटिया गुणवत्ता का है;

(ख) क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला बिटुमेन, डीजीएसएण्डडी दर संविदा में बिटुमेन आपूर्तियों के लिए विनिर्दिष्ट आईएस: 73-1961 विनिर्देश को पूरा करता है।

(ख) और (ग) बिटुमेन की गुणवत्ता के संबंध में मै. इरकान से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उपभोक्ता को आपूर्ति किए गए थोक बिटुमेन के नमूने कार्यस्थल से एकत्र किए गए थे और आईओसी ने अपने फरीदाबाद स्थित अनुसंधान और विकास केन्द्र पर इनका परीक्षण किया था। यह पाया गया कि उत्पाद आईएस: 73-1961 विनिर्देशों को पूरा करता है और उपभोक्ता को तदनुसार सूचित कर दिया गया था। [अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

829. श्रीमती दिल कुमार भंडारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सिलीगुड़ी में 13, 14 और 15 जनवरी, 1996 को बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये लोग भारतीय नागरिक थे; और

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सिलीगुड़ी में इन तारीखों को कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

830. श्री विजय एन. पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां दूरसंचार सुविधाओं की आवश्यक्रता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करना है, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों के गांवों सहित देश के सभी गांवों को उत्तरोत्तर रूप से 1997 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) 29.2.1996 की स्थिति के अनुसार, दुर्गम क्षेत्रों के गांवों सहित, 201840 गांवों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

पश्चिमी कोसी नहर के लिए धनराशि का आवंटन

831. श्री भोगेन्द्र झा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमला और पश्चिमी कोसी नहर के बीच साइफन के निर्माण के लिए 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान योजना आयोग द्वारा बिहार को कुल कितनी राशि आवंटित की गई?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : केन्द्रीय योजना सहायता राज्य योजना में ब्लॉक ऋण और ब्लॉक अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है और इसे "विशेष समस्या" मानदंड के अंतर्गत निर्धारित राशि के अलावा किसी परियोजना/कार्यक्रम से सहबद्ध नहीं किया जाता। चूंकि सिंचाई संविधान में राज्य सूची का विषय है अत: बाढ़ नियंत्रण सहित सभी प्रकार के सिंचाई कार्यों की आयोजना, निर्माण, निष्पादन, वित्त पोषण और प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। कमला नदी और पश्चिमी कोसी नहर के बीच साइफन का निर्माण परिचमी कोसी नहर परियोजना का एक भाग है। वर्ष (1994-95) और (1995-96) के दौरान बिहार की राज्य वार्षिक योजना में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए यथा निर्धारित अनुमोदित परिव्यय क्रमश: 30.00 करोड़ रुपये और 30.5 करोड़ रुपये था। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान इस परियोजना के लिए कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया था किन्तु इस परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय सूचित के अनुसार 9.22 करोड़ रुपये था।

गुजरात में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. केन्द्र

832. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रतिलाल वर्मा :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सभी पर्यटन-केन्द्रों में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधा प्रदान कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह सुविधा किन-2 स्थानों पर उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां, सपूतारा, उभाराट और लोथल को छोड़कर।

(ख) निम्नलिखित पर्यटक स्थलों पर एस.टी.डी./पी.सी.ओ. प्रदान किए गए हैं :-

1. अहमदाबाद 2. नलसरोवर 3. पालिताना 4. पावागढ़ 5. गल्तेश्वर 6. द्वारका 7. भेट-द्वारका 8. सोमनाथ 9. ससनगीर 10. चोरवाड़ 11. जूनागढ़ 12. पोरबंदर 13. तुलसीश्याम 14. दकोर 15. गांधीनगर 16. मोधेरा 17. सिद्धपुर 18. बेचराजी 19. मौहदी 20. पाटन 21. अम्बाजी 22. तीथल 23. दीव 24. दमन 25. सिलवासा

(ग) उभाराट में, एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है और दो अन्य स्थानों पर, एस.टी.डी./पी.सी.ओ. को फ्रैंचाइज आधार पर चलाने के लिए उपयुक्त आवेदक आगे नहीं आ रहे हैं।

(घ) और (ङ) उभाराट में मार्च, 97 तक एस.टी.डी. सुविधाएं चालू होने के बाद और अन्य दो स्थानों पर, एस.टी.डी./पी.सी.ओ. को फ्रैंचाइज आधार पर चलाने के लिए पात्र उम्मीदवारों के मिलने पर, एस.टी.डी./पी.सी.ओ. प्रदान कर दिए जाएंगे।

मछुआरों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

833. श्री रतिलाल वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात में परम्परागत मछुआरों के लिए मिट्टी के तेल का पृथक कोटा आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन का आधार क्या है; और कितना आवंटन किया गया;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने मत्स्यन के लिए मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) पूर्व आधार पर गुजरात को मिट्टी के तेल के मासिक आवंटन में मात्स्यिकी क्षेत्र को देने के लिए 390 एम.टी. सम्मिलित है।

राज्य सरकारों से समय-समय पर और अधिक मिट्टी के तेल के आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। गुजरात सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुआ था। परन्तु उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें भारी राज सहायता की कठिनाई के कारण राज्यों की सम्पूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है। तो भी, मिट्टी के तेल की 7983 मिलियन टन की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन 1995-96 के दौरान गुजरात को किया गया है।

राज्यों के कल्याण मंत्रियों की बैठक

834. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2 और 3 सितम्बर, 1995 को राज्यों के कल्याण मंत्रियों की बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मामलों पर चर्चा हुई;

(ग) कितने राज्य मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया; और

(घ) सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि के लिए उन कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण तथा विकलांग कल्याण के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 22 मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार तथा लक्षद्वीप के प्रशासक ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

(घ) विभिन्न कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सम्मेलन में अनेक सिफारिशें की गई थीं जिनकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2-3 फरवरी को हुए दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण मंत्रियों तथा जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की सिफारिशें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण मंत्रियों ने सचिवों द्वारा की गई सिफारिशों का आमतौर पर अनुमोदन करते हुए, प्रधानमंत्री जी के ध्यानार्थ एवं विचारार्थ निम्नलिखित पर बल दिया :

1. आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत निधियों का निर्धारण कम से कम संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए और इसे अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकताकरण करने एवं ऐसी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए आवंटित करने हेतु जिसमें आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचता है, जैसाकि कुछ राज्यों द्वारा पहले ही सहमति दी गई है, के लिए आदिवासी विकास विभाग को सौंपी जानी चाहिए। विशेष संघटक योजना के लिए निर्धारित की गई निधियों को भी इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग को सौंपा जाना चाहिए।

2. कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग और उनके सरकारी उपक्रम बार-बार अनुरोधों के बावजूद भी आदिवासी उप योजना/विशेष संघटक योजना तैयार नहीं कर रहे हैं। योजना आयोग को यह निदेश दिया जाए कि वह उन मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजनाएं तब तक अनुमोदित न करें जब तक वे अपनी आदिवासी उप-योजना/विशेष संघटक योजना तैयार न करें।

3. आदिम जनजाति समूह एक बहुत ही अनिश्चित जीवन जी रहे हैं और उनमें से कुछ तो समापन के कगार पर हैं। वर्तमान विकास कार्यक्रम उनकी स्थिति में सुधार नहीं कर पाए हैं। पूरी खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य कवर उनके सामाजिक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के अनुसार विकास कार्यकलापों को शामिल करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं। ऐसी प्रत्येक जनजाति और उसके वातावरण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई योजना में स्वनिर्मित लचीलापन होना चाहिए। पड़ौसी सामाजिक समूहों द्वारा हमले के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम के साथ प्रतिबद्ध अधिकारियों, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, मानव विज्ञानियों को सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए चल रहे विभिन्न

कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण विकास सहित विशिष्ट संसाधन आवंटित किए जाएं। इस कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन आदिवासी विकास विभाग और संबंधित जिला कलैक्टरों की कार्यसूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।

4. आदिवासी जनसंख्या और शेष जनसंख्या के बीच चौड़ी साक्षरता की खाई को पाटने के लिए "सभी अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा-दशक" की एक भावी दसवर्षीय योजना तैयार करके उनकी सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित की जानी चाहिए जो आदिवासियों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल हो और उसे अपेक्षित संसाधनों के आवंटन से सहायता दी जाए। इस योजना का मुख्य बल शिक्षा के पहले चरण में आदिवासी बोली के माध्यम से अनुदेश देना और ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जिससे युवाओं के लिए समुचित आर्थिक अवसर पैदा हों। इसके अतिरिक्त, नए जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम को अगले वित्त वर्ष के दौरान शुरु किया जाए और नवीं योजना अवधि में प्राथमिकता पर आदिवासी जिले/ब्लॉक शामिल किए जाने चाहिएं।

4.2 अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या के बीच साक्षरता खाई को पाटने के लिए इसी प्रकार की भावी योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं।

5. आदिवासी महिलाओं के लिए जो कार्य स्थानों पर और शोषण की अन्य पद्धतियों तथा जादू टोने से अत्याचारों की निरन्तर शिकार बन रही हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित सामाजिक-आर्थिक विषय-सूची से शक्ति प्राप्त करने वाले विशेष कार्यक्रम तैयार करके, यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान कार्यक्रमों को उचित रूप से ठीक करके उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किए जाने चाहिएं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ऐसा ही प्रयास किया जाना चाहिए।

6. कठोर कानूनी प्रावधानों और सहायक संस्थागत प्रबन्धों के बावजूद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की बढ़ती प्रवृत्ति और दोषी व्यक्तियों को सजा की कम दर गम्भीर चिंता का विषय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन उपबंधों के प्रशासन संबंधी वर्तमान व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करनी चाहिए और इस प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उन्हें इन उपबंधों को मजबूत बनाना और लागू करना चाहिए। अत्याचार प्रवण क्षेत्रों के लिए निवारणात्मक अन्वेषात्मक तथा घटनाओं के बाद पुनर्वास संबंधी उपयों को शामिल करते हुए कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए और इसका कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टी आर-27 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक निदेश देना चाहिए ताकि मुआवजे का भुगतान समय पर और निर्धारित दरों के अनुसार हो सके जिसकी भरपाई बाद में बजट प्रावधानों द्वारा कर ली जाएगी। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

7. केन्द्र सरकार को भावी तथा चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासियों के लिए आगे बिना किसी विलंब के एक अलग पुर्नस्थापन और पुनर्वास नीति को अंतिम रूप देना चाहिए।

8. आय सृजन कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अधिक संख्या में शामिल करने और इन कार्यक्रमों से संबंधित मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु आदिवासी उप-योजना और विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और अन्य क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अंतर को समयबद्ध आधार पर पाटने के लिए यह निहायत जरूरी है।

9. आदिवासियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों और कार्यान्वयन के क्रम में उनके शोषण को समाप्त करने में आदिवासी समुदायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांव के परम्परागत आदिवासी संगठनों/संस्थाओं को केन्द्र में रखा जाए। वांछित सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से गरीबी उन्मूलन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विस्थापित व्यक्तियों इत्यादि के पुनर्वास संबंधी चालू कार्यक्रमों को भी उनके माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है।

10. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की बढ़ी दरों और इस समय अन्तिम रूप दिए जा रहे पात्रता संबंधी मानदण्ड को कार्यान्वयन के लिए शीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिए। तथापि, ये संशोधित दरें वास्तविक जरूरतों और कुछ राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की वर्तमान स्तरों से भी कम है। इन कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति की दरों में आवधिक वृद्धि संबंधी तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में "प्रतिबद्ध देयता" की धारणा जो राज्य के वित्त पर भारी बोझ बन रहा है, की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के बोझ को समानता के आधार पर बांटने पर विचार करें अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम को गैर-अनुसूचित जातियों के लिए भी अनुमत्य बनाया जाना चाहिए।

11. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के वर्तमान असंतोषजनक कार्यान्वयन की गहराई

से जांच करनी चाहिए। महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए वास्तविक सफाई कर्मचारियों की पहचान, व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए वृत्तिका दरों में वृद्धि तथा समर्थक संस्थानिक प्रबन्ध सहित सुधारात्मक पहलुओं को तत्काल शुरु करना चाहिए। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति विकास की कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान पर होना चाहिए।

12. "विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955" के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाए। केन्द्र तथा राज्य सरकारें आवश्यक संस्थानिक प्रबन्ध करें तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त बजट सम्बन्धी प्रावधानों सहित अन्य उपाय शुरु करें। विकलांग कल्याण की वर्तमान योजनाएं राज्य सरकारों को निधियां भी आवंटित करें तथा इसे केवल गैर-सरकारी संगठनों तक सीमित नहीं रखें।

13. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों की बराबर भागीदारी के साथ अतिशीघ्र स्थापित की जाएं।

14. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों को अविलम्ब केन्द्रीय क्षेत्र में भी शुरु किया जाए तथा योजना आयोग से इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित संसाधनों के आवंटन के लिए अनुरोध किया जाए। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी उपबन्धों को उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनीटरिंग की जाए।

15. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अल्पसंख्यक समुदाय में सुरक्षा का महत्वपूर्ण विवेक पैदा करने तथा एकान्तता की भावना को दूर करने के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से विकासात्मक पहलुओं को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम को अद्यतन बनाया जाए। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उद्यमी कौशल के लिए उनके अवसरों को बढ़ाने तथा चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को लाभों के उपार्जन की नियमित आधार पर मॉनीटर करें। शारीरिक स्वस्थता में परीक्षा पूर्व कोचिंग पुनर्वास सेवाओं और अर्द्ध-सैनिक बलों में रोजगार के लिए समान शर्तों पर प्रतियोगी होने के लिए पात्र अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को सुलभ बनाने के लिए शुरु की जाए। अल्पसंख्यक समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को समुदाय द्वारा उनके अधिक उत्साहपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए उचित ढंग से पुन: निर्मित किया जाना चाहिए। सभी अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय योजनाएं अतिशीघ्र ही तैयार की जाएं। साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को मुआवजे की अदायगी के संबंध में दिशानिर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू होने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान की जाए। तब तक, जिलाधीश मुआवजे के समय से भुगतान के लिए टी आर 27 के तहत कोषागार से धन आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए जाएं, जिसकी बाद में उपयुक्त बजट आवंटन द्वारा वापस किया जाए। राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ सम्पत्तियों के बेहतर अनुरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए नए वक्फ अधिनियम के उपबंधों की शर्तों में पुन: बनाया जाए।

16. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समाज कल्याण विभागों के विभिन्न समाज रक्षा कार्यक्रमों के संबंध में कार्य आवंटित करें जिससे उपयुक्त नीति संबंधी ढांचा तैयार किया जा सके तथा कार्यान्वयन एजेंसियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए संगठनात्मक प्रबन्ध किए जा सकें। समाज रक्षा क्षेत्र में योजनाएं उपयुक्त ढंग से पुन: तैयार की जानी चाहिएं जिससे उनके लाभ समान रूप से राज्य सरकार तथा समान रूप से देश के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लक्षित समूहों को पहुंच सकें।

17. कल्याण मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों की पहचान उनकी परियोजनाओं के स्थान तथा उन्हें वित्तीय सहायता के मानदंडों के सुझाए गए पैरा-मीटरों पर सहमति व्यक्त करते समय सशक्त रूप से यह पूरी-पूरी सिफारिश की गई है कि गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की पद्धति का विकेन्द्रीकरण किया जाए। इस उद्देश्य के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर एक उचित समन्वय मंच स्थापित किया जाए।

जिला स्तरीय मंच को गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, पंचायती राज संगठनों तथा विकास अधिकारियों के साथ निर्धारित पैरामीटरों के अनुसार परियोजनाओं की पहचान तथा वित्तीय सहायता के पैमाने को निर्धारित करना चाहिए। राज्य स्तरीय मंच को गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण सुविधा, पंचायती राज संस्थाओं के साथ उनका नेटवर्क के साथ सम्बद्ध करना चाहिए। देश के 39 क्षेत्रों के संबंध में जहां गैर सरकारी संगठनों की गतिविधि कमजोर या अविकसित हों तो कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम अन्य एजेन्सियों अर्थात डी.आर.डी. सं., पंचायतों, सरकारी निगमों या सरकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाएं। गैर सरकारी संगठन फारमेस्टन के लिए उन क्षेत्रों में जहां गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्य न किए जा रहे हों या कम कार्य किए जा रहे हों, तो गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण भी दिए जाए।

18. वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के बावजूद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों के बीच विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट सुविधा के विस्तार में बैंकों के आनाकानी करने के कारण असंतोष बढ़ रहा है। केन्द्रीय सरकार को यह

सुनिश्चित करने के लिए तत्काल समुचित उपाय करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों के लिए विलम्ब तथा परेशान किए बगैर बैंकों द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट का विस्तार किया जाए तथा अग्रता बैंकों को ऋण देने में बाधा न हो, केन्द्र स्तरीय वित्त एवं विकास निगमों तथा राज्य माध्यम एजेन्सियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रामाणिक लाभार्थियों की पहचान की जाए, व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार की जाएं, कौशल विकास में प्रशिक्षण दिए जाएं तथा कमियों को दूर करने के लिए वितरण प्रणाली को उपयुक्त तरीके से सुदृढ़ किया जाए, समर्थन सेवाएं तथा समय पर ऋण अदायगी के प्रावधान किए जाएं।

19. राज्य माध्यम एजेन्सियां जिनके द्वारा कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं; का नवीकरण किया जाना चाहिए और जब भी आवश्यक हो अपनी जिम्मेदारियों को कारगर ढंग से निभाने के लिए सुदृढ़ किया जाए। वर्तमान गठित डी.आर.डी.ए./आई.टी.डी.पी. को क्षेत्र एकक के रूप में समुचित रूप से प्रयोग किया जाए जहां जिला स्तर पर माध्यम एजेंसियों के पास उनके स्वयं के सांस्थानिक प्रबंध न हों।

20. कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के वित्त एवं विकास निगमों तथा राज्य स्तर के एजेंसियों दोनों के बीच संतोषजनक प्रबंध सृजन के लिए प्रतिबंधिता जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता का विस्तार किया जाता है सहित समस्त सप्तक संबंधों को शीघ्र गहन समीक्षा शुरु कर सकता है।

21. कल्याण मंत्रालय वितरण प्रणाली में सुधार तथा प्रभावी मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए राज्यों के अंतर्गत उनके कार्यक्रमों के आधार पर समान आधार पर निधियों को वृहत्तर प्रतिशतता को अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

मानवाधिकार न्यायालय

835. श्री गभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर मुकदमों के बोझ को कम करने क लिए राज्यो में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में, मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हो रहे अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट करने की व्यवस्था है। यह एक सामर्थ्यकारी उपबंध है और उच्च न्यायालयों की सहमति से मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करने के प्रश्न पर निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है।

(ग) और (घ) दिनांक 28.1.1996 के "डेकन क्रोनिकल" में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केवल मानवाधिकारों से निपटने के लिए न्यायालयों की स्थापना करने का आह्वाहन किया, क्योंकि नियमित न्यायालयों को "मानवाधिकार न्यायालयों" के रूप में मनोनीत करने से न्यायालयों पर कार्य का अधिक बोझ हो जाएगा और मामलों के निपटान में विलम्ब होगा।

(ङ) और (च) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में, मानवाधिकारों के मामलों के विचारण के लिए, नियमित सत्र न्यायालयों से भिन्न पृथक सत्र न्यायालयों के गठन पर कोई रोक नहीं है। तथापि, निपटाए जाने वाले मानवाधिकार मामलों की संख्या और नियमित न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर कि क्या इस प्रकार के अपराधों के लिए पृथक न्यायालय होने चाहिएं, निर्णय लेने का कार्य, उच्च न्यायालय की सहमति से, राज्य सरकार का है।

सरकारी अधिकारियों को सेल्युलर फोन

836. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने सरकारी अधिकारियों को सेल्युलर फोन दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार आयोग ने यह सिफारिश की है कि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान की जाएं।

(ग) सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के लिए सेल्युलर टेलीफोन सेवा पर प्रतिबंध हटाने के लिए व्यय विभाग से अनुरोध करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में पदोन्नतियां

837. श्री छेदी पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों के बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा संबंधी शिकायतों के संबंध में न्यायालयों की शरण में जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त कितने अधिकारी न्यायालयों में गए और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा संबंधी अपनी शिकायतों के बारे में अर्द्ध-सैनिक बलों में 85 वरिष्ठ अधिकारी (कमान्डेन्ट और उससे ऊपर के रैंक के) न्यायालयों की शरण में गए। न्यायालयों ने इनमें से 40 मामलों के संबंध में निर्णय दिया, जिनमें से 32 मामलों में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया और 8 मामलों में संबंधित अधिकारियों के पक्ष में निर्णय हुआ।

(ग) अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए, अधिकारियों की शिकायतों पर समय-समय पर विचार किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार, शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बम्बई हाई तेल क्षेत्र में विकास

838. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवन चन्द्र खण्डूरी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई तेल क्षेत्र के कतिपय ढांचों के निर्माण हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, रिलायंस ग्रुप और एनरान के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार समझौते की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पन्ना-मुक्ता तथा तापी क्षेत्रों के विकास से संबंधित संविदा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को 40 प्रतिशत तथा एनरान और रिलायंस ग्रुप प्रत्येक को 30 प्रतिशत प्रतियोगिता उपलब्ध कराती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"एच.सी.एल." द्वारा सहायता

839. श्री तारा सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में "एच.सी.एल." से सहायता लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं। सरकार का दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि. (एच.सी.एल.) की सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण

840. श्री रामकृष्ण कौंताला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आतंकवाद की समस्या पर काबू पाने हेतु राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने के संबंध में केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान के लिए सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

द्वारका, गुजरात में अधिष्ठापित ट्रांसमीटर का स्थानांतरण

841. श्री दिलीपभाई संघाणी :
श्री हरिभाई पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका, गुजरात में अधिष्ठापित टी.वी. ट्रांसमीटर को राज्य में अन्यत्र स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) द्वारिका में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए एक नये स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है। धनराशि, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए इस परियोजना को लगभग तीन वर्षों में पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन के खम्भे

842. डा. परशुराम गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों में टेलीफोन के खम्भे तो लगा दिए गए हैं परन्तु तीन-चार वर्षों के बाद भी अब तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश से ऐसे असामान्य विलंब के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक की वस्तुओं का अवरोधन

843. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेंसर के संबंध में किसी व्यक्ति की डाक सामग्री की सुरक्षा एवं गोपनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी डाक वस्तु को खोलकर देखने या जांच करने के संबंध में अधिकार देने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किये गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इसे जारी कर दिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, की धारा 26 में "केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अधिकारी, जिसे इस बारे में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, को किसी लोक-आपातकालीन स्थिति की दशा में अथवा लोक-सुरक्षा के हित में अथवा प्रशान्ति की स्थिति में किसी डाक सामग्री का अवरोधन करने" की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। जैसा कि भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है, हमने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सुझाव दिया है कि धारा 26 के अधीन जिस न्यूनतम स्तर पर आदेश पारित किया जा सकता है तथा जिसे आवश्यक रूप से प्राधिकृत किया जाना चाहिए, वह संबंधित राज्य का सचिव होना चाहिए जो सुरक्षा संबंधी विषय से संबंधित हो तथा इस मामले में उचित अनुदेश जारी करता हो। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, गृह मंत्रालय में सचिव को यह अधिकार दिया गया है।

केरल में टेलीफोन-एक्सचेंजों के लिए भवनों का निर्माण

844. श्री पी.सी. थॉमस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में, विशेष रूप से कोट्टायम और एर्णाकुलम जिलों में टेलीफोन एक्सचेजों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण-कार्य अब शुरु किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रगति का एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक एक्सचेंज के भवनों को निर्माण लागत, उन्हें पूरा करने हेतु निर्धारित समय और उसमें लगाए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण-1 और 2 के अनुसार।

विवरण-1

1. जिले का नाम : कोट्टायम

एक्सचेंज का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	उपस्कर का प्रकार	वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा हो जाने की आशा है
कांजिरापल्ली	60.00	एम.बी.एम.	कार्य पूरा हो गया है
कुरूप्प नथारा	25.00	एस.बी.एम.	1996-97
कुमाराकोम	15.00	एस.बी.एम.	1996-97
पामपाडी	18.76	आरएलयू वीई	1996-97
इरुपेट्टा	16.44	आरएलयू (एमबीएम1+1)	1996-97
इट्टुमानूर	20.97	आरएलयू	1996-97
अथारकुन्नाम	21.07	एस.बी.एम.	1996-97
थालाचोल पारंबा	20.67	एस.बी.एम.	1996-97
पिन्नाक्कानाडु	21.07	एस.बी.एम.	1996-97
वाजहूर	20.67	एस.बी.एम.	1996-97

2. जिले का नाम : एर्नाकुलम

पांडापल्ली	22.11	एस.बी.एम.	1996-97
अर्थाकुलम	15.30	एस.बी.एम.	1996-97
उदायमपेरूर	17.64	नई प्रौद्योगिकी	1996-97
पीथानीकॉड	22.10	एस.बी.एम.	1996-97
ट्रिकाकारा	29.17	आरएसयू	1996-97
कालूर	22.10	एस.बी.एम.	1996-97
अम्बालामुगल	22.10	एस.बी.एम.	1996-97
नेट्टूर	22.10	एस.बी.एम.	1996-97
पाम्पाकुडा	22.10	नई प्रौद्योगिकी	1996-97
नेदुम्कानदाम	22.10	एस.बी.एम.	1996-97
कालूरकाड	22.10	एस.बी.एम.	1996-97
अलवाय	32.83	ई-10बी	1996-97
अंगामाली	216.20	सी-डॉट	1996-97
पाल्लुरूथी	11.34	आरएलयू	कार्य पूरा हो गया
थोडुपुझा	204.72	सी-डॉट	कार्य पूरा हो गया
अदीमाली	9.61	एम/डब्ल्यू भवन	1996-97
कालामास्सेरी	7.66	आरएलयू	1996-97

विवरण-2

1. जिले का नाम : अल्लेप्पी

एक्सचेंज का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	उपस्कर का प्रकार	वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा हो जाने की आशा है
इडाथुआ	16.82	आरएलयू	1996-97
कोल्लाकाडावु	24.88	आरएलयू	1996-97
मान्नार	15.96	एमबीएम	1996-97
नूरानाडु	22.73	एसबीएम	1996-97
थाइकाट्टुसेरी	22.73	आरएएक्स	1996-97
चेनगान्नुर	13.50	आरएलयू	1996-97
अम्बालापुजहा	17.50	आरएलयू	1996-97
अल्लेप्पी	49.67	ई-10बी	1996-97
2. जिले का नाम : कालीकट			
मंजेरी	159.00	ओसीबी	1996-97
तिरूर	103.00	ओसीबी	1996-97
पेरिन्थालमन्ना	15.22	एसबीएम	1996-97
नीलाम्बूर	26.02	एसबीएम	1996-97
पेरम्बरा	21.20	एसबीएम	1996-97
कालापाकानचेरी	20.00	एसबीएम	1996-97
कोडुवाल्ली	26.48	आरएलयू	कार्य पूरा हो गया है
मीनानगाडी	18.60	एसबीएम	1996 97
तिरूवामबाडी	19.84	एसबीएम	1996-97

नाडापुरम	26.78	एसबीएम	कार्य पूरा हो गया है
बाडागारा	153.38	नई प्रौद्योगिकी	कार्य पूरा हो गया है
3. जिले का नाम : त्रिवेन्द्रम			
किलीमानुर	21.14	नई प्रौद्योगिकी	1996-97
माडावूर पाल्लीक्कला	21.14	एसबीएम	1996-97
वारकालो	11.44	एमबीएम	1996-97
कांजीरामकुलम	12.13	आरएलयू	1996-97
आरयानाडु	12.85	आरएलयू	1996-97
पाचापालोड्	4.2	आरएएक्स	1996-97
4. जिले का नाम : कन्नानोर			
आइरिट्टी	13.49	आरएलयू	1996-97
कान्हानगाड	39.92	एमबीएम	1996-97
चोरूकुन्नु	20.40	आरएलयू	1996-97
अन्जारान्कांडी	18.10	आरएलयू	1996-97
माट्टानुर	34.12	आरएलयू	1996-97
उदुमा	34.22	नई प्रौद्योगिकी	1996-97
माहे	17.93	एमबीएम	1996-97
तालियापरान्बा	221.46	एमबीएम	निविदाएं संवीक्षाधीन हैं
निलेस्वर	17.93	एमबीएम	1996-97
पारयानगाडी	36.75	एमबीएम	एनआईटी जारी की जानी है
5. जिले का नाम : त्रिचूर			
पूनकुन्नाम	16.76	आरएलयू	1996-97
वालाप्पाड	26.95	आरएलयू	1996-97
पुन्नायुरकुलाम	26.56	आरएलयू	1996-97
पूवाथुर	26.56	आरएलयू	1996-97
काट्टूर	26.98	नई प्रौद्योगिकी	1996-97
6. जिले का नाम : पथ्थनमथिट्टा			
कुम्बान्नाड	15.15	एसबीएम	1996-97
पांडालाम	16.03	एसबीएम	1996-97
कोन्नी	20.78	आरएलयू	1996-97
कोजहेनचेरी	13.87	आरएलयू	1996-97
पथ्थनमथिट्टा	30.85	ई-10बी	कार्य पूरा हो गया है
मास्लापल्ली	14.90	आरएलयू	1996-97
7. जिले का नाम : पालघाट			
त्रिथाला	20.00	एसबीएम	1996-97
कोजहिनज्ञामपारा	20.25	एसबीएम	1996-97
कांजीकोड	19.12	आरएलयू	1996-97
ओट्टापलाम	19.40	एमबीएम	1996-97
शोरनुर	21.23	एमबीएम	कार्य पूरा हो गया है
अलाथुर	18.94	एसबीएम	1996-97
चित्तूर	22.00	एसबीएम	1996-97

वाडाक्कानचेरी	19.12	एमबीएम	1996-97
8. जिले का नाम : क्विलोन			
ओआचिरा	32.69	एसबीएम	1996-97
कोट्टायाम	12.60	आरएलयू	1996-97
चाचारा	6.06	आरएलयू	1996-97
अंचालमुटु	21.14	आरएलयू	1996-97
कारिकोडी	21.14	आरएलयू	1996-97
सास्थानकौट्टा	8.14	एसबीएम	कार्य पूरा हो गया है
करूनागापल्ली	14.50	एमबीएम	1996-97
पुन्नाला	3.70	आरएएक्स	1996-97

[हिन्दी]

गुजरात में सार्वजनिक एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन बूथ

845. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में इस समय कितने सार्वजनिक एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन बूथ काम कर रहे है; और

(ख) इस तरह के नये बूथों के आवंटन के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 29.2.96 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कार्यरत एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या 11710 है।

(ख) एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आवंटन हेतु 3970 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

[अनुवाद]

मुजफ्फरनगर कांड के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

846. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुजफ्फरनगर में 2 अक्तूबर, 1994 को पुलिस द्वारा की गई हत्याओं, छेड़छाड़ तथा बलात्कार की घटनाओं के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) इस निर्णय में बहुत से मुद्दे कवर किए गए हैं जैसे गोली-बारी और बलात्कार के पीड़ितों को मुआवजा देना, संवैधानिक अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करना और मुआवजा देना, राज्य द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन करना, न्यायिक पुनरीक्षा हेतु आए आवेदन पत्रों पर क्षतिपूर्ति के संबंध में भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों की जांच करना तथा प्रशासनिक जांच-पड़ताल के दौरान दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना। इस निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरु की गई है।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दान

847. **श्री लालबाबू राय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्थानों ने स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी से संबंधित स्थापनाओं तथा संगठनों तथा अन्य स्वैच्छिक/निकायों को धनराशि दान में दी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विकास परियोजना

848. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में किसी बड़ी परियोजना को लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है अथवा करने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) किसी राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

इसमें राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से दी जाती है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय तथा ग्रामीण दर्शकों के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम

849. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी तथा ग्रामीण दर्शकों हेतु दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिये आवंटित प्रसारण समय का अलग-2 अनुपात क्या है; और

(ख) ग्रामीण तथा क्षेत्रीय दर्शकों के अनुकूल कार्यक्रम प्रसारण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) दूरदर्शन इस आधार पर कार्यक्रमों के लिए समय आवंटित नहीं करता है।

(ख) क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त, दूरदर्शन ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अपने दर्शकों के व्यापक जन समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विषय-वस्तुओं को मिला कर एक उपयुक्त कार्यक्रम भी सुरक्षित कर रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हथियारों के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

850. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आपराधिक चरित्र वाले व्यक्तियों को हथियारों के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लाइसेंसों को रद्द करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्म सेंसर बोर्ड

851. श्री रामकृपाल यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति को फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य नामित करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ व्यक्तियों को सेंसर बोर्ड का सदस्य नामित करने के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) जैसे कि सामाजिक कार्यकर्त्ता अध्यापक, गृहिणियों और अन्य कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में, सामान्य दर्शकों पर फिल्मों के प्रभाव को समझाने में सक्षम होते हैं, जैसे जीवन के विभिन्न आयामों से जुड़े व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ग) अभी पिछले दिनों सरकार को कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में तेल और गैस संयंत्र

852. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने तेल और गैस संयंत्र हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान और अभी तक इन संयंत्रों में हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे कुछ और संयंत्र लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा में कार्यरत एलपीजी भरण संयंत्रों तथा विपणन तेल कंपनियों के तेल डिपो का ब्यौरा निम्नवत् है :

एलपीजी भरण संयंत्र	उत्पादन एमटीपीए में (1994-95)	(1995-96)	
(क) जाटनी	28154	25860	अप्रैल-जनवरी
(ख) बालासोर	32054	33335	अप्रैल-जनवरी
(ग) खुरदा	13065	10865	अप्रैल-दिसंबर
तेल डिपो			
(क) कटक	169257	77510	अप्रैल-दिसंबर
(ख) सम्बलपुर	112021	56206	अप्रैल-दिसंबर
(ग) बहरामपुर	41861	19293	अप्रैल-दिसंबर

(ग) से (घ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने हाल ही में संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में उड़ीसा में 6 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (केपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रथम चरण का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके अलावा पारादीप, बालासूर, राउरकेला तथा रायगढ़ में नए तेल डिपो स्थापित करने की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की योजनाएं हैं।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी बेसिन में अन्वेषी कार्य कर लिया है तथा तट पर 4 कूपों और अपतट में 11 कूपों का वेधन किया है, लेकिन हाइड्रोकार्बनों की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गई है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड की 1996-97 में उड़ीसा में उत्तर-पूर्व तट अपतट में एक अन्वेषी कूप का वेधन करके वेधन का द्वितीय चरण आरम्भ करने की योजना है।

डा. अम्बेडकर स्मारक तथा संग्रहालय

853. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. अम्बेडकर स्मारक तथा संग्रहालय बनाने के लिए सरकार द्वारा अलीपुर रोड दिल्ली को समुचित रूप से अधिग्रहीत करने के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त स्मारक तथा संग्रहालय के लिए आधारभूत संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक बनाकर पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) डा. बी.आर. अम्बेडकर के लिए एक स्मारक बनाने हेतु 26-अलीपुर रोड दिल्ली की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुरोध किया गया है। इस अधिग्रहण के लिए निधियों की उपलब्धता की उन्हें पहले ही पुष्टि कर दी गई है।

(ख) इसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने है।

(ग) इस स्मारक का काम पूरा करने के लिए इस चरण पर कोई संभावित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

"इंटरनेट सर्विस" का निजीकरण

854. श्री राम कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इंटरनेट सर्विस" के निजीकरण के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों की जाचं करने के संबंध में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके निदेश पद क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। "मूल्य वर्धित सेवाओं" के संबंध में एक स्थायी समिति है, जो सेल्युलर मोबाईल टेलीफोन और रेडियो पेजिंग सेवाओं के अतिरिक्त ऐसी सेवाओं पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है। समिति ने निजी तथा सरकारी, दोनों प्रकार के विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा "इंटरनेट सर्विस" अभिगम्यता के तरीके तैयार कर लिए हैं।

(ग) समिति की रिपोर्ट दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

विमान ईंधन का आयात

855. श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और कुछ निजी एयरलाइनों ने केन्द्र सरकार से विमान ईंधन के सीधे आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अनुमति से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स और निजी एयरलाइन्स ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध विशेष आयात लाइसेंसों पर अपने एटीएफ आयातों की संभाल में सहायता के लिए अनुरोध किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां उक्त लाइसेंसों पर घरेलू एयरलाइन्स की ओर से वाणिज्यिक शर्तों पर एटीएफ का आयात कर सकती है।

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखानों की स्थापना

856. श्री जगबीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में कितने तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि की गई ;

(ख) 1996-97 के दौरान कितने तेल शोधक स्थापना का प्रस्ताव है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) करनाल स्थित तेल शोधक कारखाने की क्षमता का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान कोचीन रिफाइनरीय लिमिटेड (सी.आर.एल.) की क्षमता को 4.5 एम.एम.टी.पी. से बढ़ाकर 7.5 एम.एम.टी.पी.ए. कर दिया गया है।

(ख) 1996-97 के दौरान एम.आर.पी.एल. (एच.पी.सी.एल. और इंडियन रेगन के बीच संयुक्त उद्यम) के आरंभ होने का अनुमान है।

(ग) करनाल (अब पानीपत) रिफाइनरी की शोधन क्षमता 6.00 एम.एम.टी.पी.ए. है।

[अनुवाद]

महानगरों में नए दूरदर्शन चैनल

857. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महानगरों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल खोलने की मांग विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-2 पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। हालांकि एक उपयुक्त डिश एन्टीना प्रणाली का प्रयोग करके उपग्रह के जरिए पूरे देश में द्वितीय चैनल (डीडी-2) सेवा उपलब्ध है, तथापि, आरंभिक रूप में देश में राज्य की राजधानियों तथा प्रमुख शहरों को यह सेवा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवायी जा रही है। इस समय भिन्न-भिन्न शक्तियों के 42 ट्रांसमीटर इस सेवा को स्थलीय रूप से मिल रहे हैं। स्थलीय डीडी-2 नेटवर्क का और विस्तार करने की दृष्टि से इस समय 8 और ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण

858. श्री चित्त बसु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजीकरण के बाद भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण शुरु करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मुद्दे की जांच की थी तथा दिनांक 16.3.1993 के अपने का.ज्ञा.सं. 18(8)/92-जी.एस. के तहत निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए थे :-

1. जहां एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को बी.आई.एफ.आर. के जरिए अथवा अन्यथा पुनर्गठित किया जाना है तो ऐसे पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए पुनर्प्रशिक्षण एवं पुन: तैनाती हेतु नेशनल रिन्यूअल फंड से धन लेने की आवश्यकता होगी और वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पहले भेजा जाए।
2. जहां आंशिक पुनर्गठन हो, तो वहीं प्रतिनिधित्व का अनुपात ऐसे आंशिक पुनर्गठन के प्रारम्भ से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विद्यमान था, कायम रखा जाए, यदि यह प्रतिनिधित्व के निर्धारित न्यूनतम अनुपात से कम था।
3. पूर्ण पुनर्गठन के मामले में, नये मालिकों के साथ एक समुचित पैकेज पर बातचीत करना संभव होगा जिससे कि वे कर्मचारियों की छंटनी न कर सकें। तथापि, कार्यबल का यौक्तिकीकरण पैकेज के पुनर्गठन का एक आवश्यक भाग है, तो आगे वाले पैराग्राफ में स्पष्ट किए गए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बाध्यकारी मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में माना जाए।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के कौशलों का उन्नयन तथा प्रशिक्षण आवश्यक है विशेष तौर से उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए इन पहलुओं पर योजना कार्यक्रमों में विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है लेकिन उपलब्ध नौकरी के अवसरों के लिए वास्तविक पहुंच प्रदान करने के लिए यह विकल्प नहीं हो सकता जहां आरक्षण का एक उपाय समुचित समयावधि के लिए जारी रखना हो।
5. पुनर्गठन तथा पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में कार्यबल के यौक्तिकरण में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में पहले से ही रोजगार प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध यौक्तिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रोजगार में प्रतिनिधित्व के विद्यमान अनुपात में कमी होनी चाहिए।
6. पूर्ण पुनर्गठन के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण की नीति अपनाना शामिल करते हुए जैसा कि आई.आई.एस.सी.ओ. के मामले में किया गया है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियोजन सुरक्षा के लिए, नए मालिकों को बाध्य किया जाना चाहिए जिसमें स्वीकार करना भी शामिल है, जैसा कि इसके बारे में किया गया है।
7. निजी क्षेत्रों में जहां ऐसे आरक्षण की नीतियां प्रचलन में नही हैं उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देना वांछनीय होगी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबुद्ध नीति का अनुसरण करना उनके अत्यधिक हित में है।
8. उपरोक्त विषय पर, उक्त विभाग ने निम्नलिखित और पत्र जारी किए हैं :- तथापि, इस दिशा में शून्य प्रगति या मामूली प्रगति के मामले में तथा सामाजिक सद्भाव, स्थिरता और सिलसिलेवार वृद्धि के हित में, इस प्रयोजन हेतु संविधान में संशोधन करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ऐसा विकल्प हमेशा खुला रखा जाना चाहिए तथा ऐसी सकारात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं को समायोजित करने हेतु समाज को अच्छे अंतराल यानी 5-6 वर्ष उपलब्ध करवा कर इस पर विचार किया जाना चाहिए।
9. तथापि, वर्तमान के लिए इस प्रयोजन हेतु कोई संवैधानिक संशोधन न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। संविधान के विद्यमान ढांचे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की विद्यमान नीति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए जारी रह सकती है। सभी उद्यमों के संबंध में इस नमनीय सिद्धांत के विस्तार के प्रश्न पर निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ समय के बाद जब मनाने और स्वैच्छिक

सकारात्मक कार्रवाई के असफल होने पर विचार किया जा सकता है।

इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्विसेज

859. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्विसेज शुरु करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) मुम्बई में, जिन स्थानों पर संस्थापना के लिए उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं, वहां वर्ष 1996-97 के दौरान, नि:शुल्क फोन-सेवा, 'वर्चुअल नेटवर्क, क्रेडिट कार्ड-कॉलिंग, प्रीमियर रेट सर्विसेज जैसी सेवाओं की शुरुआत करने की योजना है। अन्य शहरों में चरणबद्ध तरीके से इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवा प्रदान की जाएगी।

वृत्तचित्रों हेतु रायल्टी

860. श्री रवि राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने गत कई वर्षों से दूरदर्शन पर दिखायी जाने वाली वृत्तचित्रों के लिए रायल्टी की दरों में संशोधन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या यह भी सच है कि दूरदर्शन पर रायल्टी के आधार पर वृत्तचित्रों को दिखाये जाने हेतु कोई साप्ताहिक समय निर्धारित नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि कोई निर्धारित साप्ताहिक स्लॉट नहीं है तथापि, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सप्ताह में एक से अधिक बार वृत्तचित्र प्रसारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति व्यय

861. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री** द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश का सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरी राज्यों में सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले प्रति व्यक्ति व्यय की वर्षवार तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम व्यय किया और इसका राज्य में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों पर क्या असर पड़ा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, नही।

सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये)

उत्तरी राज्य	1992-93	1993-94	1994-95*
उत्तर प्रदेश	38	46	61
मध्य प्रदेश	63	69	91
राजस्थान	73	89	126
हरियाणा	146	142	208
पंजाब	101	145	199
जम्मू व कश्मीर	278	250	340
हिमाचल प्रदेश	330	345	386
दिल्ली	450	443	731

*अनुमोदित परिव्यय से संबंधित, क्योंकि वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर सबसे कम व्यय किया है। विकास के विभिन्न शीर्षों पर व्यय संसाधन उपलब्धता की समग्र स्थिति तथा उनको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

टेलीफोन-बिल

862. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान टेलीफोन बिलों के बकायों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बकाया धनराशि वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कितने मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और इनमें कुल कितनी धनराशि फंसी पड़ी है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में 1994-95 के दौरान टेलीफोन-बिलों की बकाया राशि में वृद्धि इस प्रकार है :

वर्ष	इस वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	31.3.95 को स्थिति के अनुसार बकाया राशि	वृत्ति
		(आंकड़े करोड़ रुपये में)	
1992-92	663	1379	716
1992-93	906	1379	473
1993-94	1158	1379	221

(ग) बिल जारी करना और उनकी वसूली एक सतत प्रक्रिया है और टेलीफोन-बिलों की बकाया राशि की वसूली के लिए समुचित रूप से निर्धारित प्रक्रियाएं मौजूद हैं। बिलों से संबंधित विवादों/न्यायालयों मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जाते हैं। अन्य मामलों में वसूली, पत्र-व्यवहार/व्यक्ति दौरों और कानूनी कार्रवाई के जरिए की जाती है।

(घ) सूचना नीचे दी गई है :-

28.2.95 की स्थिति के अनुसार,
मुकदमेबाजी में फंसे मामलों की
सं. 36079 इनमें निहित राशि : 6858.1 लाख रुपये

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार

863. श्री हरिलाल ननजी पटेल :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर जिले में प्राकृतिक गैस तथा तेल की भारी मात्रा पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वहां के तेल संसाधनों का उपयोग करने के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र में विभिन्न भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं। राजकोट के नजदीक लोधिका-1 नामक एक प्राचल कूप का वेधन 3501 मीटर के लक्ष्य गहराई तक किया गया था तथा इसका परित्याग कर दिया गया क्योंकि मेसोजोइक परत में हाइड्रोकार्बन वाला कोई क्षेत्र नहीं था। फिलहाल इस क्षेत्र में एकीकृत भूभौतिकी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विभिन्न अन्वेषण चक्रों के तहत निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण के लिए दो ब्लाक अर्थात जी.के.ओ. एन-90/1 तथा जामनगर जिले के भाग को शामिल करते हुए जी.एस. ओ.एन./1 का प्रस्ताव किया था लेकिन इसके लिए कोई ठेका नहीं दिया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में इजराइल की "ईसीआई" द्वारा निवेश

864. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल की ई.सी.आई. टेलीकॉम दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-2 विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया गया है और कुल कितना निवेश किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश/संयुक्त उद्यम लगाने हेतु विदेशी कम्पनियों को अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के लिए इजराइल के मै. ई.सी.आई टेलीकॉम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने, दूरसंचार उपस्कर उत्पादन और दूरसंचार सेवाओं में विदेशी निवेश की अनुमति दी है। नई औद्योगिक नीति, 1991 के तहत, दूरसंचार उत्पादन में 51 प्रतिशत इक्विटी तक विदेशी निवेश के स्वत: अनुमोदन हेतु एक कार्यविधि स्थापित की गई है। दूरसंचार सेवाओं में संयुक्त उद्यम के मामले में अधिकतम 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये भवन

865. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवनों के ब्यौरे

क्र.सं.	अवस्थिति	भवनों की किस्म	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	जवाहर (रायगढ़ जिला)	टी.ई. भवन	कार्य पूरा हो गया है
2.	कल्याण	टी.ई. भवन में/वी/ई	कार्य प्रगति पर है
3.	परभनी	एमएएक्स I भवन	कार्य प्रगति पर है
4.	मनचार	आई.एल.टी. भवन	कार्य पूरा हो गया
5.	सिल्लोड़	एमएएक्स II भवन	कार्य प्रगति पर है
6.	उस्मानाबाद	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
7.	अंबड	आई.एल.टी. भवन	कार्य पूरा हो गया
8.	मुरम	टी.ई. भवन	कार्य पूरा हो गया
9.	बीड	एमएएक्स भवन में वी/ई	कार्य पूरा हो गया
10.	मापुका	एमएएक्स I भवन	कार्य प्रगति पर है
11.	बारशी	एमएएक्स I भवन	कार्य प्रगति पर है
12.	कराड	एमएएक्स I भवन	कार्य प्रगति पर है
13.	करमाला	एमएएक्स II एवं माइक्रोवेव	कार्य पूरा हो गया
14.	वेंगूरला	एमएएक्स II भवन	कार्य प्रगति पर है
15.	गांधीनगर	एमएएक्स II भवन	कार्य अभी शुरु हुआ
16.	सतारा	एमएएक्स II भवन	कार्य पूरा हो गया
17.	खेरदी	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
18.	कुदाल	टी.ई. भवन	कार्य अभी शुरु हुआ
19.	वाई	टी.ई. भवन	कार्य अभी शुरु हुआ
20.	अटपाड़ी	टी.ई. भवन	कार्य अभी शुरु हुआ
21.	करदाद	टी.ई. एमआईडीसी	कार्य अभी शुरु हुआ
22.	ओरस	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
23.	उचट	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
24.	पंगरी	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
25.	टेम्बनहुरनी	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
26.	करखुंभ	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
27.	रेथरे धरन	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
28.	दुधानी	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
29.	मोडनीब	टी.ई. भवन	कार्य अभी शुरु हुआ
30.	तासगांव	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
31.	नागपुर	टीए एक्स भवन वी/ई	कार्य प्रगति पर है
32.	भंडारा (फेज-I)	डीओटी भवन	कार्य प्रगति पर है
33.	वर्धा	एमएएक्स- I	कार्य प्रगति पर है
34.	खामगांव	सी-डॉट भवन	कार्य प्रगति पर है
35.	नंदनवन नागपुर	आरएलयू भवन	कार्य प्रगति पर है
36.	भंडारा (फेस-II)	सी-डॉट भवन	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4
37.	देवरी (भंडारा)	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
38.	यवतमाल (फेस-II)	एमएएक्स-I भवन	कार्य प्रगति पर है
39.	चन्द्रापुर	एमएएएक्स-I डी.ई. भवन में वी/ई	कार्य प्रगति पर है
40.	धुलिया	एमएक्स-I भवन में वी/ई	कार्य प्रगति पर है
41.	चिमूर	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
42.	देवली (वर्धा)	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
43.	रिसोड (अकोला)	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
44.	भंडारा (अमरावती)	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
45.	चिखली	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
46.	मेहाकर	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
47.	देवलगन राज	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
48.	पिम्पलगांव	एमएएक्स-II भवन	कार्य प्रगति पर है
49.	राजूरा	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
50.	येवला	एमएएक्स-II भवन	कार्य प्रगति पर है
51.	निफाड़	एमएएक्स-II भवन	कार्य प्रगति पर है
52.	सप्तश्रीगढ़	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
53.	भीवापुर	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
54.	छिंदवाड़ा रोड	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
55.	कटोल रोड	आरएलयू भवन	कार्य प्रगति पर है
56.	नंदनवन	एमएएक्स-II भवन	कार्य प्रगति पर है
57.	उमेरखेड़	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
58.	पंडरकावाड़ा	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
59.	कालेब	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
60.	मारागांव	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
61.	शिरपुर	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
62.	अमगांव	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
63.	तिरोरा	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
64.	मोहाडी	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
65.	मूल	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
66.	अहेरी	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
67.	अल्लापल्ली	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
68.	घोट	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
69.	सिरॉचा	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
70.	चामोरशी	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
71.	मुटीजापुर	माइक्रोवेव भवन	कार्य प्रगति पर है
72.	मालेगांव	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
73.	पतूर	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
74.	मंकूलूपुर	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
75.	वोरशी	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
76.	टिवासा	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4
77.	चिखलदारा	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
78.	धरनी	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
79.	शिरूद	छोटा टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
80.	अक्कालपाड़ा	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
81.	मुक्ति	छोटा टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
82.	कपाड़नेव	छोटा टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
83.	थालनेर	छोटा टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
84.	लमखने	छोटा टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
85.	देवलाली	आरएलयू भवन	कार्य प्रगति पर है
86.	पंचवटी	आरएलयू भवन	कार्य प्रगति पर है
87.	त्रिम्भाकेश्वर	आईएलटी भवन	कार्य प्रगति पर है
88.	एमआईडीसी (भंडारा)	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
89.	सिलेगांव	माइक्रोवेव भवन	कार्य प्रगति पर है
90.	धादगांव	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
91.	देवगांव	ओएफसी रिपीटर स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
92.	कफी परेड (बीवाई)	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
93.	वेसोवा (बीवाई)	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
94.	भयान्दर (बीवाई)	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
95.	कलबादेवी (बीवाई)	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है
96.	कुम्बाला हिल (बीवाई)	टी.ई. भवन	कार्य प्रगति पर है

रसोई गैस कनेक्शन

866. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल निगम लिमिटेड द्वारा गत एक वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न कोटों के अंतर्गत रसोई गैस के कितने कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) क्या विभिन्न कोटों के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के संबंध में जारी किए गए पत्रों के गुम हो जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने विभिन्न कोटा के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर लगभग 1.37 लाख इंडेन कनेक्शन जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता वाउचरों के प्राप्त न होने की शिकायतों को दूर करने के लिए, एक विशेष प्राथमिकता वाउचर प्रणाली शुरु की गयी है। विशेष प्राथमिकता वाउचर माननीय संसद सदस्यों को त्रैमासिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं। अन्य श्रेणियों के अंतर्गत तेल कंपनियों द्वारा पंजीकृत ए.डी. के तहत भेजे गए प्राथमिकता वाउचरों के प्राप्त नहीं होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में अभिलेखों की जांच की जाती है। यदि अपूर्ण पता होने के कारण पंजीकृत ए.डी. के तहत भेजा गया प्राथमिकता वाउचर तेल कंपनी के पास वापस आ जाता है तो नया पत्र जारी करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है। यदि प्राथमिकता वाउचर पक्षकार को नहीं मिलता है अथवा न ही यह तेल कंपनी के पास आता है तो आवश्यक निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरांत दूसरा प्राथमिकता वाउचर जारी किया जाता है।

पहाड़ी राज्यों में खोल गए नए टेलीफोन एक्सचेंज

867. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कतिपय अधिकारियों द्वारा निधियों का गबन

868. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के कतिपय अधिकारियों ने राज्य में आदिवासी कल्याणार्थ निर्धारित निधियों का गबन किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. की कमी

869. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़ संसदीय चुनाव क्षेत्र तथा गुजरात के अन्य पिछड़े जिलों में एल.पी.जी. की अत्याधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में एल.पी.जी. के उन विद्यमान ग्राहकों की मांग को कमोबेश पूर्णतया पूरा किया जा रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटरों के पास सूचीबद्ध है। उत्पन्न होने वाले अस्थायी बकायों को भरण संयंत्रों का वर्द्धित कार्य घंटों तथा अवकाश के दिनों में चलाकर एल.पी.जी. की आपूर्तियों को बढ़ाकर तथा आस-पास के क्षेत्रों के भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है।

[अनुवाद]

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

870. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में 1992 से कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए पेशकश की है;

(ख) क्या उन सभी कर्मचारियों को सारे लाभ उपलब्ध कराए गए है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सभी को सारे लाभ कब तक प्राप्त हो जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आई.टी.आई. में वर्ष 1992 से कुल 3815 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ली है।

(ख) कुछ मामलों में वास्तविक भुगतान, वेतन/महंगाई-भत्ते के संशोधन के फलस्वरूप देय राशि का भुगतान अभी किया जाना है।

(ग) और (घ) कंपनी द्वारा उक्त भुगतान धन की कमी के कारण नहीं किया जा सका। इसका भुगतान 31.3.96 तक कर दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार

871. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सभी खोखों (कियोस्क) पर विज्ञापन स्थान के लिए कम दर पर मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विज्ञापन स्थान के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा अनियमितितापूर्ण ढंग से ठेका दिए जाने की जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार व्यवस्था में तीव्रता लाने संबंधी योजना

872. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार व्यवस्था में तीव्रता लाने और इसके विस्तार के संबंध में कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना (72-97) के दौरान 75 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराकर टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि की गयी है। 31 जनवरी, 1996 तक 51.72 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन पहले ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। इस बढ़ी हुई सप्लाई के परिणामस्वरूप प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों के नामों में कमी आई है और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसार 1997 तक सम्पूर्ण देश में मांग किये जाने पर टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने की परिकल्पना की गयी है। जिसके लिए दूरसंचार विभाग के प्रयत्नों की भागीदारी में निजी क्षेत्रों के लिए मूलभूत टेलीफोन सेवाओं का क्षेत्र खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

तेल खोज के कार्य में संलग्न निजी कम्पनियां

873. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निजी कंपनियां तेल खोज के कार्य में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके साथ हुए समझौतों की मुख्य-2 बातें क्या हैं; और

(घ) निजी कंपनियों द्वारा तेल की कितनी अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अब तक निम्नांकित ब्लॉकों के अंतर्गत तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए संविदायें देने का अनुमोदन कर दिया है :-

चौथा दौर :

	कंपनी/परिसंघ का नाम	ब्लॉक का नाम
1.	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी) तथा मफतलाल इंडस्ट्रीज, दोनों ही भारत की कंपनियों, का परिसंघ	जीएन-ओएन-90/3
2.	यूएसए की मै. अलबियोन इंटरनेशनल रिसोर्सिस, इंक, आस्ट्रेलिया की कोप्लेक्स रिसोर्सिस लिमिटेड, मेसर्स नीको रिसोर्सिस, कनाडा तथा भारत की एचओईसी से बना परिसंघ।	केजी-ओएस-90/1
3.	मैसर्स पैन, इनर्जी रिसोर्सिस, यूएसए, स्टीलिंक रिसोर्सिस आस्ट्रेलिया, आकलैंड आयल कंपनी, यूएसए, पैन पैसापिक पेट्रोलियम एनएच आस्ट्रेलिया तथा ट्रांस एशिया कंसलटेन्ट्स, इंडिया से बना परिसंघ।	जीके-ओएन-90/2
4.	शेल इन्टरनेशनल, नीदरलैण्ड्स,	आरजे-ओएन-90/1
5.	भारत की एचओईसी, यूएसए की वाल्को इनर्जी इंक तथा भारत की टाटा पेट्रोडाइन का परिसंघ।	सीवाई-ओएस-90/1

पांचवां दौर :

1.	एस्सार आयल लिमिटेड, भारत	आरजे-ओएन-90/4 आरजे-ओएन-90/5 बीबी-ओएस/5
2.	एचओईसी, भारत-टाटा पेट्रोडाइन, भारत, वाल्को इनर्जी, यूएसए	सीवाई-ओएस/2
3.	कमाण्ड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, वीडियोकोन, इंडिया	केजी-ओएस/6
4.	रेक्सवुड-आक लैंड कारपोरेशन, यूएसए	जीके-ओएस/5

	कंपनी/परिसंघ का नाम	ब्लॉक का नाम
	छठा दौर :	
1.	एच ओ ई सी, भारत-वाल्को इनर्जी इंक, यूएसए, टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.लि.) इंडिया	सीबी-ओएस/1
2.	सेमसन-इण्टरनेशन लि. यूएसए	सीबी-ओएन/7
3.	एचओईसी भारत, सेमसन इंटरनेशनल लि. यूएसए गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत	सीबी-ओएन/2
4.	फीनिक्स ओवरसीज लि. नई दिल्ली	आरजे-ओएन/6
5.	कमाण्ड पेट्रोलियम होल्डिंग एनएल, आस्ट्रेलिया-टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.)	सीबी-ओएस/2

(ग) संविदाओं की प्रमुख शर्तें यह हैं :

यह कच्चे तेल और संबद्ध गैस के मामले में 25 वर्ष तक की संविदा अवधि समेत उत्पादन भागीदारी संविदायें हैं। कंपनियों को अधिलाभ तथा सांविधिक उद्ग्रहणों के भुगतान के संबंध में छूट हैं। भारत सरकार को ऐसी कंपनयों के साथ, जिन्हें कि उनके तेल हिस्से के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भुगतान किया जा रहा है। इन संविदाओं के अधीन उत्पादित तेल के संबंध में मनाही का प्रथम अधिकार प्राप्त होगा। अन्वेषण और/अथवा विकास स्तर पर उद्यम के अन्तर्गत आयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन/ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया है तथा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक भागीदारी हित ग्रहण कर सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहनीय प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं।

(घ) खोजे गए तेल क्षेत्रों के अन्वेषण में निजी भागीदारी के परिणामस्वरूप 1995-96 के लिए तेल का अनुमानित उत्पादन 0.81 एमएमटी है।

पुलिस थानों से चुराए गए कार टायर

874. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसंबर, 1995 के "द स्टेट्समैन" में "स्ट्रीट अर्चिन्स मैकिंग बिंग बक्स आउट आफ स्टोलेन कार टायर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/या उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा यह

पाया गया कि यद्यपि, रिपोर्ट में उल्लिखित स्थानों पर पुराने टायर/ट्यूबों को बेचने का धंधा चल रहा है, फिर भी इस धंधे में लिप्त लोग इन वस्तुओं को पुरानी टायर मार्किट, रानी झांसी रोड, सहित विभिन्न स्रोतों से खरीदते हैं और न कि पुलिस स्टेशनों से। तथापि, रानी झांसी रोड के पुराने टायर विक्रेताओं में से एक ने पहले दिल्ली पुलिस की प्रोवीजनिंग और लाईस यूनिट में की गई एक नीलामी से बेकार हो गए टायर खरीदे थे।

ये आरोप हैं कि इन टायरों को पुलिस की सांठगांठ से पुलिस हिरासत में रखे गए वाहनों में से शरारतपूर्ण ढंग से निकाला जाता है, साबित नहीं हो सके।

(ग) सभी थाना प्रभारियों/डिवीजन स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि चोरी के टायर बेचने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखे और यदि कोई व्यक्ति चोरी से टायर बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस द्वारा जब्त/बरामद किए गए वाहनों से टायर निकालने/बदलने का यदि कोई मामला जानकारी में आता है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

875. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पेट्रोलियम उत्पादों के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में 15 से 40 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिना बारी के टेलीफोन-कनेक्शन

876. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1995 के बाद लोक सभा के सदस्यों द्वारा बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने हेतु कितने सिफारिशी पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितनों को टेलीफोन कनेक्शन की स्वीकृति दी गई;

(ग) क्या संसद सदस्य के चुनाव क्षेत्र के लोगों को ही टेलीफोन कनेक्शन की स्वीकृति दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो उन मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें इस परिपाटी का पालन नहीं किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो लंबित सिफारिशी मामलों के संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) माननीय संसद सदस्य एक केलैंडर वर्ष में अपने कोटे से 25 टेलीफोन-कनेक्शनों की सिफारिश कर सकते हैं (10 कनेक्शन अपने निर्वाचन क्षेत्र में तथा 15 कनेक्शन भारत में किसी भी स्थान के लिए)। इन टेलीफोन कनेक्शनों को मंजूर करने के अधिकार दूरसंचार सर्किल/जिला-प्रमुखों को प्राप्त हैं।

जब कभी भी माननीय संसद-सदस्यों द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश उनके अपने कोटे के अतिरिक्त उनके निर्वाचन क्षेत्र में या इससे बाहर के लिए की जाती है तो प्रक्षिप्त जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन कनेक्शनों की मंजूरी प्रदान कर दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाक एवं दूरसंचार सुविधाएं

877. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में डाक और दूरसंचार सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य राज्यों के समान उत्तर प्रदेश में उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक सुविधा - जी नहीं। एक डाकघर द्वारा औसतन जितने क्षेत्र और जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है, उसका राज्यवार विवरण-1 में दिया गया है। एक डाकघर द्वारा औसतन जितनी जनसंख्या और क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है, उसका अखिल भारतीय औसत क्रमश: 5526 और 21.49 है। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में एक डाकघर द्वारा औसतन 6233 की जनसंख्या और 14.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सेवा प्रदान की जाती है जो अन्य राज्यों की तुलना में सामान्यत: संतोषजनक है।

दूरसंचार सुविधा -

जी नहीं। यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 की जनसंख्या पर टेलीफोन घनत्व इस समय कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है परंतु इसमें तेजी से सुधार हो रहा है और यह संभावना है कि वर्ष 1997 तक, जब टेलीफोन मांग पर उपलब्ध होंगे, उत्तर प्रदेश के टेलीफोन घनत्व के आंकड़े देश के अन्य राज्यों के बराबर पहुंच जाएंगे। प्रति हजार जनसंख्या पर टेलीफोन घनत्व की राज्य-वार स्थिति, 1.1.96 की स्थिति के अनुसार, विवरण-2 में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक सुविधा

उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के बराबर डाक सुविधा का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघर :

	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	195
	विभागीय उप डाकघर	28
(ii)	स्थापित की गई बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संख्या	149
(iii)	आधुनिक बनाए गए डाकघरों की संख्या	35
(iv)	मंजूर किए गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या	229

दूरसंचार सुविधा

उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एक डाकघर द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले औसत क्षेत्र और जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एक डाकघर द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	एक डाकघर द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली जनसंख्या
1	2	3	4
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	16.97	4095
2.	असम	20.60	5887
3.	अरूणाचल प्रदेश	295.91	3054
4.	बिहार	14.70	7423
5.	गोवा	14.86	4693
6.	गुजरात	22.01	4643
7.	हरियाणा	17.10	6368
8.	हिमाचल प्रदेश	20.42	1897
9.	जम्मू एवं कश्मीर	130.85	3782
10.	कर्नाटक	19.62	4579
11.	केरल	7.73	5789
12.	मध्य प्रदेश	26.55	5897
13.	महाराष्ट्र	25.13	6417
14.	मणिपुर	33.27	2722
15.	मेघालय	46.98	3683
16.	मिजोरम	55.04	1791
17.	नागालैंड	55.44	4065
18.	उड़ीसा	19.28	3922
19.	पंजाब	12.96	5197
20.	राजस्थान	33.27	4279
21.	सिक्किम	36.20	2059
22.	तमिलनाडु	10.67	4583
23.	त्रिपुरा	14.95	3933
24.	उत्तर प्रदेश	14.69	6233
25.	पश्चिम बंगाल	10.46	3038
संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान एवं निकोबार	49.02	2866
2.	चंडीगढ़	2.28	2814
3.	दादर एवं नगर हवेली	14.44	3049
4.	दमन एव द्वीव	6.59	5975
5.	दिल्ली	2.68	17035
6.	लक्षद्वीप	3.2	5173
7.	पांडिचेरी	4.92	5894
	अखिल भारतीय योग	21.49	6526

विवरण-II

1000 की जनसंख्या पर, दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोनों की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1000 की जनसंख्या पर, दिनांक 1.1.96 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोनों की स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11.1
2.	असम	4.53
3.	बिहार	3.1
4.	गुजरात	20.29
5.	दादर एवं नगर हवेली	11.09
6.	दमण एवं द्वीव	28.5
7.	हरियाणा	16.79
8.	हिमाचल प्रदेश	17.97
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6.49
10.	कर्नाटक	15.88
11.	केरल	20.83
12.	लक्षद्वीप	66.52
13.	मध्य प्रदेश	8.59
14.	महाराष्ट्र (एमटीएनएल बंबई सहित)	27.39
15.	गोवा	40.1
16.	अरूणाचल प्रदेश	10.93
17.	त्रिपुरा	4.12
18.	मिजोरम	16.06
19.	नागालैंड	7.8
20.	मेघालय	8.64
21.	मणिपुर	6.03
22.	उड़ीसा	4.92
23.	पंजाब	21.31
24.	चंडीगढ़	77.78
25.	राजस्थान	9.79
26.	तमिलनाडु (मद्रास सहित)	15.57
27.	पांडिचेरी	22.13

1	2
28. उत्तर प्रदेश	5.31
29. पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित)	7.86
30. सिक्किम	10.99
31. अंडमान एवं निकोबार	5.37
32. दिल्ली	110.75
अखिल भारतीय योग	12.78

[अनुवाद]

संवर्ग पुनर्गठन

878. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में संवर्ग पुनर्गठन योजना शुरु की गई है;

(ख) यदि हां, तो विधिवत रूप से पुनर्गठित संवर्गों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सभी दूरसंचार सर्किलों में लागू की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना को सभी दूरसंचार सर्किलों में कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग में एक संवर्ग पुनर्गठन योजना प्रारंभ की गई है।

(ख) नई प्रौद्योगिकी की प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने निम्नलिखित पुनर्गठित संवर्गों की शुरुआत की है:

1. फोन मैकेनिक
2. दूरसंचार तकनीकी सहायक
3. वरिष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायक

(ग) जी, हां। तथापि, जिन कर्मचारियों का पुनर्गठन संवर्गों में आमेलन किया जाना है उन्हें, बैच बनाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अंतिम बैच को 31 मार्च, 1997 तक प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में यू.एच.एफ. प्रणाली

879. श्री प्रेम धूमल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंजों की अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू.एच.एफ.) प्रणाली में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990 के पश्चात कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गए तथा उनमें से कितने एक्सचेंजों में इलैक्ट्रानिक प्रणाली को सुविधा उपलब्ध कराई गई थी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां। जहां कहीं व्यवहार्य होता है, टेलीफोन एक्सचेंजों की यू.एच.एफ/सूक्ष्मतरंग-माध्यम युक्त बनाया जा रहा है।

(ख) आज की तारीख तक 66 एक्सचेंज यू.एच.एफ/सूक्ष्मतरंग माध्यम पर काम कर रहे हैं। स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1990 के बाद, 189 टेलीफोन केन्द्र लगाए/खोले गए हैं। सभी एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक हैं।

विवरण

क. 31.3.95 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश, दूरसंचार सर्किल में यूएचएफ/ सूक्षमतरंग प्रणाली पर काम कर रहे एक्सचेंजों की सूची।

क्र.सं.	एक्सचेंजों का नाम	प्रणाली की किस्म
1.	मंडी	34 एमबी/एस सूक्ष्मतरंग
2.	सुरथ	30 चैनल यू एच एफ
3.	निहरी	30 चैनल/10 चैनल यू एच एफ
4.	चुरग	10 चैनल
5.	जोगिंदर नगर	30 चैनल बी एच एफ
6.	शिमला	140 एमबी/34 एमबीएम/डब्ल्यू
7.	थानेधर	120 चैनल यू एच एफ
8.	रामपुर	120 चैनल यू एच एफ
9.	सरहन बुशहर	30 चैनल यू एच एफ
10.	निर्मंड	30 चैनल यू एच एफ
11.	कुमार सैन	30 चैनल यू एच एफ
12.	दलाश	30 चैनल यू एच एफ
13.	नरकंडा	30 चैनल यू एच एफ
14.	ननखरी	30 चेनल यू एच एफ
15.	कसौली	140 एमबी/एस एम/डब्ल्यू
16.	बद्दी	120 चैनल यू एच एफ
17.	पाओंटा	120 चैनल यू एच एफ
18.	नाहन	60 चैनल यू एच एफ
19.	कलाअंब	30 चैनल यू एच एफ
20.	सुबधू	6 चैनल यू एच एफ
21.	हमीरपुर	140 एमबी/एस एम/डब्ल्यू
22.	बिलासपुर	120 चैनल यू एच एफ
23.	ऊना	120 चैनल यू एच एफ
24.	नैनादेवी	30 चैनल यू एच एफ
25.	स्वरघाट	6 चैनल यू एच एफ
26.	धर्मशाला	140 एम बी/एस एम/डब्ल्यू
27.	डलहौजी	76 हर्ट्ज सूक्ष्मतरंग

1	2	3
28.	चम्बा	120 चैनल यू एच एफ
29.	कांगड़ा	120 चैनल यू एच एफ
30.	पालमपुर	120 चैनल यू एच एफ
31.	नूरपुर	120 चैनल यू एच एफ
32.	ज्वालामुखी	30 चैनल यू एच एफ
33.	बकलोह	30 चैनल यू एच एफ
34.	बरोह	30 चैनल यू एच एफ
35.	रोहण	30 चैनल यू एच एफ
36.	डेरागोपीपुर	30 चैनल यू एच एफ
37.	खुण्डियां	30 चैनल यू एच एफ
38.	बैजनाथ	30 चैनल यू एच एफ
39.	चारी	30 चैनल यू एच एफ
40.	शाहपुर	30 चैनल यू एच एफ
41.	चोलथड़ा	34 एमबी/एस एम/डब्ल्यू
42.	राजगढ़	120 चैनल यू एच एफ
43.	चेल	120 चैनल यू एच एफ
44.	निथेर	30 चैनल यू एच एफ
45.	टोनीदेवी	30 चैनल यू एच एफ
46.	गैलोर	30 चैनल यू एच एफ
47.	सूनी	30 चैनल यू एच एफ
48.	सरहन	30 चैनल यू एच एफ
49.	जुब्बर हट्टी	30 चैनल यू एच एफ
50.	नार्दी	30 चैनल यू एच एफ
51.	सर्वाघाट	30 चैनल यू एच एफ
52.	इन्दौरा	30 चैनल यू एच एफ
53.	बादल थोड़े	10 चैनल यू एच एफ
54.	मासरेहर	10 चैनल यू एच एफ
55.	हरसर	10 चैनल यू एच एफ
56.	दादा शिबा	10 चैनल यू एच एफ
57.	पन्नोवाल	10 चैनल यू एच एफ
58.	जंगा	10 चैनल यू एच एफ
59.	दुराह	10 चैनल यू एच एफ
60.	मेरमासित	10 चैनल यू एच एफ
61.	दुभल	10 चैनल यू एच एफ
62.	कारकोह	10 चैनल यू एच एफ
63.	जाबली	10 चैनल यू एच एफ
64.	नैना टिक्कड़	10 चैनल यू एच एफ
65.	रजियाना	6 चैनल यू एच एफ
66.	कुफ्नू	6 चैनल यू एच एफ

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

880. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निर्धारित किए गए राज्यवार लक्ष्य और 31.3.96 तक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्य-वार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल/यूनिट	लक्ष्य 95-96	31.1.96 तक उपलब्धियां
1.	आंध्र प्रदेश	148500	104835
2.	असम	14600	16208
3.	बिहार	69300	21781
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन और नगर हवेली सहित)	163100	75103
5.	हरियाणा	64900	26808
6.	हिमाचल प्रदेश	35300	14546
7.	जम्मू और कश्मीर	9300	4140
8.	कर्नाटक	168200	85216
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	326300	96307
10.	मध्य प्रदेश	173800	32476
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	437900	232793
12.	उत्तर-पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और त्रिपुरा सहित)	16100	9924
13.	उड़ीसा	45500	22413
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	182500	73864
15.	राजस्थान	147500	42793
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	326900	91611
17.	उत्तर प्रदेश	195200	93885

1	2	3	4
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान और निकोबार सहित)	128700	56450
19.	दिल्ली (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड)	272700	87384
	जोड़	2926300	1188537

अभियुक्त से लिए गए बयान की प्रतियां उपलब्ध कराना

881. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों की जांच करने वाली पुलिस द्वारा आरोपित उल्लिखित व्यक्ति से लिए गए बयान की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए विधि सम्मत कोई उपबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग). दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 207 और 208 में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया उपलब्ध कराने और किसी सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को ब्यानों और दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

20-सूत्री कार्यक्रम

882. डा. बसंत पवार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई परिवर्तन करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सुझावों का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या संशोधन किए गए हैं; और

(ग) ऐसा परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अमलापुरम के पास तेल के कुएं में भीषण आग

883. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अमलापुरम के पास 1995 में तेल के कुएं में भीषण आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए गठित किये गये एक सदस्यीय आयोग के निष्कर्ष क्या है;

(ख) आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है; और

(ग) अंततः कुल कितनी धनराशि की हानि हुई?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कृष्णा गोदावरी बेसिन में पर्सलापुडी स्थित आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के कूप में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई एक सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) आग लगने के कारण आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को हुई कुल हानि अब लगभग 26 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

केरल को ऑप्टीकल केबल से जोड़ना

884. श्री बी.एस. विजयराघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय समुद्र में सिंगापुर और दुबई को जोड़ने वाली सब-मेरिन आप्टीकल केबल से केरल को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंगापुर व दुबई (सी-एमई-डब्ल्यू ई-2) को जोड़ने वाली भारतीय महासागर गत समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल अंतर्राष्ट्रीय परियात के वहन हेतु अभिप्रेत है। भारत में इसका एकमात्र अवतरण स्थल मुंबई में है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोजन प्रदान करने हेतु देश के अंतर्राष्ट्रीय वाहक, विदेश संचार निगम लिमिटेड, द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः केरल को इस केबल पर सीधा लिंक प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि डॉट/वी एस एन एल के मौजूदा नेटवर्क के जरिए उसे पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की कार्यक्षम सेवाएं मिल रही हैं।

एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

885. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1996 को देश में कुल कितने एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्यरत थे;

(ख) इनमें से कितने संचालक रहित कार्ड फोन हैं;

(ग) क्या ये कार्ड फोन देश में निर्मित किए जाते हैं और यदि हां, तो इनकी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उत्पादक क्षमता कितनी है; और

(घ) संचालक रहित कार्ड फोन बूथ की और अधिक संख्या में स्थापना करने के लिए सरकार की नीति क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत एस.टी.डी./पी.सी.ओ.एस. की संख्या 1,07,424 है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विद्यमान नीति में फ्रेन्चाइलेंस के माध्यम से संचालक रहित कार्ड टाइप के और अधिक पेफोन प्रदान करने का प्रावधान नहीं है ताकि केवल शिक्षित बेरोजगारों को एस.टी.डी./पी.सी.ओ. एस प्रदान करने के प्रावधान पर कोई असर न हो।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

886. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(ग) उक्त धनराशि को किन-2 क्षेत्रों में खर्च किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने दूरसंचार विभाग में कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है :

	परियोजना का नाम	यूएनडीपी सहायता की कुल राशि
1.	दूरसंचार उत्पादों, संघटकों एवं सामग्रियों के निर्माण में गुणवत्ता आश्वासन सुविज्ञता हेतु सहायता।	0.73 मिलियन अमरीकी डालर
2.	मानव संसाधन विकास/दूरसंचार में प्रबंधन	2.84 मिलियन अमरीकी डॉलर
	जोड़	3.57 मिलियन अमरीकी डॉलर

(ग) उपर्युक्त (।) के तहत दी गई सहायता का उपयोग, दूरसंचार विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण सुविज्ञता बढ़ाने में किया जाएगा। उपर्युक्त (।।) के तहत प्रदान की गई सहायता का उपयोग, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में किया जाएगा जिसमें सात दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे का दर्जा बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

तेल शोधक कारखानों की स्थापना

887. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. द्वारा देश में कितने तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गई;

(ख) इन कारखानों की स्थापना कहां-कहां की गई है और उनमें से प्रत्येक की क्षमता क्या है;

(ग) क्या हाल ही में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भी कुछ तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसीएल) की देश में दो रिफाइनरियां हैं, एक 5.5 एमएमटीपीए की क्षमता की बंबई में और दूसरी 4.5 एम एम टी पी ए की क्षमता की विशाखापटनम में। सरकार ने विभाग रिफाइनरी का 4.5 एम एम टी पी ए से 7.5 एम एम टी पी ए तक विस्तार करने के लिए सितम्बर, 1995 में अनुमोदन कर दिया था।

एच पी सी एल मंगलौर (पश्चिमी तट) में मैसर्स इंडियन एण्ड इंडस्ट्रीज लि. के साथ एक 3 एम एम टी पी ए की संयुक्त उद्यम रिफाइनरी लगा रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने महाराष्ट्र में देवगढ़ (पश्चिमी तट) में एच पी सी एल और मैसर्स ओमान तेल कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में एक 6 एम एम टी पी ए की ग्रासरुट रिफाइनरी लगाने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

888. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994-95 और 1995-96 के दौरान केरल विशेष रूप से वाईनाड जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्य का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए केरल में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में विस्तार कार्य का जिला-वार ब्यौरा वाईनाड जिला सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. केरल सर्किल में 1994-95 और 1995-96 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	1994-95 के दौरान विस्तार किए गए एक्सचेंजों की सं.	1995-96 के दौरान विस्तार किए गए एक्सचेंजों की संख्या (29.2.96 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	त्रिवेन्द्रम	11	11
2.	क्विलोन	22	12
3.	पठनमथिट्ठ	9	11
4.	अल्लेप्पली	15	0
5.	कोट्टायम	18	20
6.	एर्नाकुलम	18	17

1	2	3	4
7.	इडुकी	15	7
8.	त्रिचूर	16	11
9.	पालघाट	11	15
10.	मालप्पुरम	27	18
11.	कोझीकोड	27	20
12.	वाईनाड	0	7
13.	कन्नूर	23	23
14.	कासरागोड़	5	8

2. 1994-95 और 1995-96 के दौरान वाईनाड जिलों में विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम :

1994-95		1995-96 (29.2.1996 की स्थिति के अनुसार)	
1.	कोरोम	1.	वडुवंचल
2.	माननथोडी	2.	माननथोडी
3.	नलपूज्ञा	3.	मेप्पाडी
4.	पंनामारंभ	4.	सुल्तान की बैटरी
5.	पुलपल्ली	5.	कालपेट्टा
6.	सुल्तान की बैटरी	6.	पनामारम
		7.	पुलपल्ली

बिहार में तेल और प्राकृतिक गैस की खुदाई

889. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के मधुबनी और उत्तर चम्पारन सहित अनेक स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस हेतु प्रयास किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) उत्तर बिहार में कुल छः अन्वेषी कूपों (मधुबनी जिले में मधुबनी-1, पूर्वी चम्पारण जिले में रक्सौल-1, पश्चिमी चम्पारण जिले में गन्डक-1, गनौली-1, और कदमह्न-1 तथा पूर्णिया जिलान्तर्गत पूर्णिया-1) का वेधन किया गया था। यह सभी कूप सूखे साबित हुए।

केरल में दूरदर्शन के दूसरे चैनल का प्रसारण

890. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में त्रिचूर के लिए दूरदर्शन के दूसरे चैनल के प्रसारण शुरु करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो यह चैनल कब तक शुरु करने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी राज्यों में एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र

891. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारतीय तेल निगम का दक्षिण भारत के राज्यों में अनेक एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ उनके स्थान, उनकी क्षमता, प्रत्येक संयंत्र पर होने वाले व्यय आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयंत्रों की स्थापना के स्थान के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या वे भारतीय तेल निगम के स्थान के चयन से सहमत हैं अथवा उन्होंने अन्य किसी स्थान का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन संयंत्रों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च) जी हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन की दक्षिण क्षेत्र में आठ एल पी जी भराई संयंत्र स्थापित करने की योजनाएं हैं। स्थल, क्षमता, अनुमानित व्यय संबंधी ब्यौरा और चालू किए जाने की संभावित तारीख निम्नानुसार है :-

संयंत्र	भूमि संबंधी स्थिति	क्षमता (टीएमटी पीए)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	संभावित तारीख
1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
1. त्रिची	भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, निर्माण कार्य प्रगति पर है।	22	20	मार्च-अप्रैल, 1996

1	2	3	4	5
2. मद्रास	भूमि अधिग्रहण का कार्य अग्रिम चरण में है।	66	40.77	भूमि ले लिए जाने से 30 माह
3. मदुरै	भूमि सितम्बर, 1995 में ले ली गई थी	22	22	बोर्ड द्वारा अनुमोदन से 30 माह
4. पेरूनचेरी	भूमि फरवरी, 1996 में ले ली गई थी और निर्माण कार्य प्रगति पर है।	10	6	फरवरी, 1998
आंध्र प्रदेश				
1. कुडप्पा	भूमि जून, 1994 में ले ली गई थी तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।	44	33.74	अगस्त, 1997
2. सिकंदराबाद	भूमि अगस्त, 1995 में ले ली गई थी	26	24	बोर्ड द्वारा अनुमोदन मोदन से 30 माह
केरल				
1. क्विलोन	भूमि जुलाई, 1994 में ले ली गई थी और निर्माण कार्य प्रगति पर है।	22	7.32	अगस्त, 1996
कर्नाटक				
1. बेलगांव	संयंत्र का गैस-इस जनवरी, 1996 में किया गया था तथा संयंत्र यांत्रिक रूप से पूरा हो गया है।			

उद्योग द्वारा भराई संयंत्रों को अंतिम रूप, संभारतंत्रीय तत्वों के आधार पर दिए गए स्थानों पर मांग पूरी करने के लिए तेल समन्वय समिति के साथ परामर्श से दिया जाता है। परन्तु, भराई संयंत्रों की स्थापना करने के लिए भूमि के प्रापण में राज्य सरकार की सहायता ली जाती है।

कोयला सप्लाई के लिए माल डिब्बे

892. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया के लिए तथा रेलवे के बीच मालडिब्बों के आवंटन में सामंजस्य के अभाव के कारण लघु उद्योग एककों को कोयले की सप्लाई समय पर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या गुजरात के औद्योगिक एककों को निम्न स्तर के कोयले की सप्लाई मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं अथवा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोयले की वितरण प्रणाली का निजीकरण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। वैगनों की उपलब्धता तथा कोयले के संचलन से संबंधित मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, जिसमें कोयला मंत्रालय, रेलवे तथा अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और जहां कहीं अपेक्षित होता है विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए उपयुक्त रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। कभी-2 एस.एस.आई. यूनिटों को भी रेल संचलन में महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण रेल द्वारा कोयला प्राप्त करने के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले के ग्रेड का निर्णय कोयला जलाने वाले उपकरणों अथवा परिष्करण, विनिर्माण संबंधी क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले की किस्म की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। तद्नुसार कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है।

उपभोक्ताओं में, जिसमें गुजरात के उपभोक्ता भी शामिल है, उन्हें

आपूर्तित किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

कोयले का उत्खनन, भूमि के क्रेशर से किया जाता है। भारतीय कोयले की अधिकांश: सीमें, कंकड़/पत्थर से अन्तर-बेन्ड के स्वरूप में होती हैं। इनमें से पत्थर/कंकड़ उत्खनन की प्रक्रिया के दौरान कोयले के साथ मिश्रित हो जाते हैं। उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों में, निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(1) कोयले की गुणवत्ता का सुनिश्चिय किए जाने के लिए फीडर ब्रेकरों तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु एक कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) जहां भी व्यवहार्य होता है, कोयले का लदान करते समय पत्थरों को अलग किया जा रहा है।

(3) लदान के समय बेहतर पर्यवेक्षण किया जा रहा है ताकि कोयले की गुणवत्ता को बनाया रखा जा सके और कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा रेलवे साइडिंगों पर कार्यरत अधिकारियों में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता विकसित की जा सके।

(4) सभी उपभोक्ता, जिसमें गुजरात के उपभोक्ता भी शामिल हैं, कोयले के प्रेषण को सुनिश्चय किए जाने के लिए, लदान स्थल पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) कोयले की वितरण पद्धति को निजीकृत किए जाने के संबंध में सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करना

893. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र को अधिक सक्षम और त्वरित सेवा के लिये महानगर टेलीफोन निगम लि. मुम्बई के क्षेत्राधिकार में लाने की सार्वजनिक मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। विभिन्न वर्गों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि मुम्बई में मेट्रोपोलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को मुम्बई इकाई में मिलाकर इसके समस्त क्षेत्र में स्थानीय कॉल सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(ख) मुम्बई मेट्रोपोलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम.एम.आर.डी.ए.) के समस्त क्षेत्र में स्थानीय कॉल सुविधाओं संबंधी मांग की गई थी तथा इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवक

894. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में बेरोजगार युवकों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितने युवक बेरोजगार हैं और उनमें से शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों की पृथक-2 संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान देश में रोजगार की तलाश में लगे बेरोजगार युवकों की संख्या में हुई वृद्धि का भी आकलन कराया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपलब्धियां अर्जित की गईं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल बेरोजगारी के 13.85 मिलियन होने का अनुमान था। शिक्षित और अशिक्षित के अनुसार अनुमान का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। बहरहाल, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1987-88) के 43 वें दौर के अनुसार कुल बेरोजगारों में से 39.3 प्रतिशत के लगभग शिक्षित थे।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरु में बेरोजगारी के 17 मिलियन होने का अनुमान था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रमिक बल में 35 मिलियन की वृद्धि प्रक्षेपित है। योजना में योजना अवधि (1992-97) के दौरान 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है।

(च) योजना आयोग में किए गए एक मूल्यांकन से पता चलता है कि आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 18.78 मिलियन के लगभग अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित हो सकते थे।

मानवाधिकार संगठन

895. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मानवाधिकार संगठन की शाखा खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस स्थान पर इसे खोला जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) सरकार को किसी भी मानवाधिकार संगठन से भारत में एक शाखा खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि मानवाधिकार आयोग का गुवाहाटी, जम्मू, बंगलौर और पुणे में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

896. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुव्यवस्थित प्रशिक्षण का अभाव, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने में अनियमितताएं, क्षमता से अधिक सवारियां लादना और सवारियां लेने के लिए गाड़ी भगाना भारतीय सड़कों के असुरक्षित बनने के प्रमुख कारण हैं और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में लगभग आधे लोग पैदल चलने वाले होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इस मुद्दे का कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में हाल ही में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिनमें बड़े पैमाने पर निर्दोष लोग हताहत हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

सड़कों के सुधार हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा धन उपलब्ध कराना

897. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कृष्णा-गोदावरी बेसिन में सड़कों के सुधार हेतु धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और धनराशि जारी कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऋण सहायता की शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का निर्यात

898. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. का विस्तार नान-कोकिंग कोयले को निजी कंपनियों एवं व्यापारिक घरानों को निर्यात के लिए नीलाम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले की निर्यात के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था में बदलाव लाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जी, हां। सितम्बर, 1995 के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं. लि.) ने 1995-96 के दौरान नेपाल तथा बांग्लादेश को कोयले का निर्यात किए जाने हेतु निविदाएं जारी की थीं। नेपाल तथा बांग्लादेश के आयातकों के अलावा, भारतीय निर्यात घरानों को इस निविदा में भागेदारी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। सफल निविदाकर्ताओं के माध्यम से निर्यात की आपूर्ति जारी है।

उपर्युक्त पद्धति से यह आशा है कि कोयले की अधिप्राप्ति किए जाने के मामले में देश में बेहतर स्थिति होने की आशा है।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

899. श्री एन.जे. राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो एक्सचेंज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
1.	अहमदाबाद	67
2.	अहमदाबाद (नगर)	32
3.	अमरेली	61

1	2	3
4.	बनासकांठा	94
5.	भड़ूच	61
6.	भावनगर	74
7.	जाम नगर	77
8.	जूनागढ़	84
9.	खेड़ा	128
10.	कच्छ	114
11.	मेहसाणा	124
12.	पंचमहल	71
13.	राजकोट	97
14.	राजकोट (नगर)	6
15.	साबरकांठा	100
16.	सूरत	50
17.	सूरत (नगर)	12
18.	सुरेन्द्र नगर	71
19.	वडोदरा	53
20.	वड़ोदरा (नगर)	11
21.	वलसाड़	68
	कुल :	1455

[अनुवाद]

पुलिस अत्याचार के पीड़ितों को प्रतिपूर्ति

900. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री बलराज पासी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुजफ्फरनगर में 2 अक्तूबर, 1994 को हुए पुलिस अत्याचार के परिणामस्वरूप पीड़ित हुये व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति दिये जाने के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान पीड़ितों को कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) न्यायालय के निदेशों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा हकदार व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, सुझाव दिया जाएगा।

टेलीफोन-उपभोक्ता

901. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगर में टेलीफोन-उपभोक्ताओं की संख्या अन्य महानगरों की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली, बंबई और मद्रास महानगरों में उपभोक्ताओं की संख्या क्रमश: 1054324, 1355797 और 312209 की तुलना में कलकत्ता महानगर टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 413593 है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता की टेलीफोन प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या 54837 है। इस प्रतीक्षा-सूची को 1997 तक क्रमिक रूप से निपटा दिये जाने की संभावना है।

तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में कलकत्ता सहित सम्पूर्ण देश में मांग-आधार पर 1997 तक टेलीफोन प्रदान किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

[हिन्दी]

त्वरित कार्रवाई बल की संख्या

902. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित कार्रवाई बल की संख्या कितनी है, अब तक इसकी कितनी इकाइयां गठित की गई हैं तथा उनको कहां-2 तैनात किया गया है;

(ख) त्वरित कार्रवाई बल में भर्ती के समय धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितने-कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) क्या त्वरित कार्रवाई बल का मूलभूत उद्देश्य एक संयुक्त बल गठित करना और उसमें अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को और अधिक प्रतिनिधित्व देना है; और

(घ) यदि हां, तो यह उद्देश्य किस सीमा तक हासिल किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) त्वरित कार्य बल की संस्वीकृत संख्या 13,180 है। इस बल में अब 10 बटालियनें हैं जोकि हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मुम्बई, दिल्ली, अलीगढ़, तिरुवनंतपुरम, जमशेदपुर, भोपाल और मेरठ में अवस्थित हैं।

(ख) त्वरित कार्य बल, जोकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक अंग है, में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की उचित रूप से जांच की जाती है तथा उन्हें त्वरित

कार्य-बल, जोकि संयुक्त बल है, में तैनात किया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का त्वरित कार्य-बल में वर्तमान प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :-

धार्मिक अल्पसंख्यक	17.21 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	13.64 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	4.76 प्रतिशत

(ग) और (घ) त्वरित कार्य-बल अपने मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा है जिसका कार्य साम्प्रदायिक दंगों तथा दंगे जैसी स्थिति से निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण तरीके से निपटना, समाज के सभी वर्गों मे विश्वास पैदा करना और दंगों के कारण बर्बाद हुए निर्दोष व्यक्तियों को मुसीबत में सहायता उपलब्ध कराना है।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन

903. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में, विशेषरूप से हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की पृथक-पृथक तथा श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनेक्शन मांगे जाने के तुरंत पश्चात ही इसे उपलब्ध करने की योजना लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आंध्र प्रदेश में 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची में 1,46,204 व्यक्ति हैं, प्रतीक्षा-सूची के श्रेणीवार ब्यौरे हैदराबाद और सिकन्दराबाद सहित नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	स्टेशन	प्रतीक्षा-सूची		
		ओ.वाई.टी.	गैर-ओ.वाई. टी.	कुल जोड़
1.	हैदराबाद	10	12166	12176
2.	सिकन्दराबाद	85	25941	26026
	हैदराबाद और सिकन्दराबाद सहित आंध्र प्रदेश सर्किल	719	145485	146204

(ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, वर्ष 1997 तक आंध्र प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में मांग किए जाने पर टेलीफोन कनेक्शनों को उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा तदनुसार विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्रों की सहायता भी ली जा रही है।

रसोई गैस कनेक्शन

904. **श्री रामकृपाल यादव :**

डा. वसन्त पवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान संसद सदस्यों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिश पर मंत्री के विवेकाधीन कोटे से कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) संसद सदस्यों की ओर से कुल कितनी सिफारिशें प्राप्त हुईं और इनमें से कितनी सिफारिशें अस्वीकृत की गयीं;

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या उन संसद सदस्यों को उत्तर भेजे जाते हैं जिनकी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1.1.1995 से 31.12.1995 की अवधि के दौरान विवेकाधीन शक्तियों के तहत 123219 घरेलू एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए एल पी जी विपणन कंपनियों को आदेश जारी किए हैं। इन कनेक्शनों को सरकार के विवेक पर तत्काल तथा पात्र मामलों में ससंद सदस्यों एवं पूर्व सांसदों सहित जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों तथा व्यक्तियों के अनुरोध पर जारी किया गया है। जिन लोगों की सिफारिशों पर ये कनेक्शन दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करने में लगने वाला प्रयास इसके इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के अनुरूप नहीं होगा। उन सांसदों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उत्तर भेजना साध्य तथा व्यवहार्य नहीं है जिनकी सिफारिशों पर गैस कनेक्शनों को स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

नई टेलीफोन प्रणाली में बेतार प्रौद्योगिकी

905. **श्री राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतार प्रौद्योगिकी पर आधारित नई टेलीफोन प्रणाली विकसित की जा रही है;

(ख) क्या यह उद्यम स्वतंत्र रूप से अथवा किसी एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली को कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) में वायरलेस नामक वायरलेस ऐक्सेस प्रौद्योगिकी को

दूरसंचार विभाग को नेटवर्क में शामिल करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

(ख) यह डी ई सी टी मानकों पर आधारित सी-डॉट और आई-आई-टी मद्रास द्वारा की जा रही है।

(ग) सी-डॉट स्वतंत्र रूप से इसे विकसित कर रहा है और आई-आई-टी एक निजी फर्म के सहयोग से इसे विकसित कर रहा है।

(घ) सफलतापूर्वक क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर वर्ष 1997-98 तक।

शिकायत टेलीफोन नम्बर 198 का कम्प्यूटरीकरण

906. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुम्बई के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में शिकायत टेलीफोन नम्बर 198 के कम्प्यूटरीकरण के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दिल्ली और मुम्बई में सभी मुख्य एक्सचेंजों, बिल्डिंगों और दूरस्थ लाइन/दूरस्थ उपभोक्ता यूनिटों में शिकायत टेलीफोन संख्या-198 के कम्प्यूटरीकण को मार्च, 97 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) 198 सेवा (दोष ठीक करने संबंधी सेवा-एफ आर एस) को दिल्ली में 16 मुख्य एक्सचेंज बिल्डिंगों में से 12 और मुम्बई में 32 में से 25 को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। कुछ दूरस्थ लाइन/दूरस्थ उपभोक्ता यूनिटों को भी अलग-2 कम्प्यूटरीकृत एफ आर एस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली में ऐसी 24 यूनिटों में से 4 को और मुम्बई में 14 में से 15 को अलग-अलग कम्प्यूटरीकृत एफ आर एस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की दोषपूर्ण प्रणाली की जांच-पड़ताल के लिए ब्रिटिश प्रणाली

907. **श्री हरिन पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की दोषपूर्ण प्रणाली की जांच-पड़ताल के लिए ब्रिटिश प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) कृपया लोकसभा में दिनांक 20.3.95 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 920 का उत्तर देखें (तत्काल संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है) जो बाह्य संयंत्र रिकार्ड, डाटा कैप्चरिंग तथा प्योरिफिकेशन के लिए प्रयुक्त प्रणाली से संबंधित है।

(ग) इस प्रकार की एक प्रणाली प्रयोगिक आधार पर खरीदी गई, जिसे एम.टी.एन.एल., दिल्ली के एक टेलीफोन एक्सचेंज में संस्थापित किया गया तथा इसका परीक्षण किया गया।

(घ) डाटा-संग्रह का कार्य प्रगति पर है। इसका कार्यान्वयन पर्याप्त डाटा तथा लागत के विशलेषण के बाद ही किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्यक्रमों की गुणवत्ता

908. **श्री धर्मण्णया मॉडय्या सादुल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1996 को नये प्रसारण भवन के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री के आह्वान के फलस्वरूप राज्यों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने का निर्देश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, हां।

(ख) सभी आकाशवाणी केन्द्रों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में गुणवत्ता वाले कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन करना

909. **श्री छेदी पासवान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया गया?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रसोई गैस की एजेन्सियां

910. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार कितनी रसोई गैस एजेन्सियां खोली गई हैं;

(ख) सरकार के पास रसोई गैस की एजेन्सियां खोलने संबंधी कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) क्या आरक्षित कोटा अभी तक नहीं भरा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का राज्य में किन-2 स्थानों पर ऐसी एजेन्सियां खोलने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान उड़ीसा में एल पी जी की 16 डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरु की गयी थी।

(ख) और (ङ) उड़ीसा सहित देश के सभी भागों से एल पी जी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। विद्यमान नीति के अनुसार उत्पाद की उपलब्धता तथा स्थान की आर्थिक साध्यता होने पर 20,000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाती हैं। तदनुसार 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में उड़ीसा के लिए 28 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गयी हैं।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण की व्यवस्था है :

अ.जा./अ.ज.जा.	-	25 प्रतिशत
प्रतिरक्षा	-	7.50 प्रतिशत
विकलांग	-	7.50 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	-	3 प्रतिशत
असाधारण खिलाड़ी	-	2 प्रतिशत
खुली	-	55 प्रतिशत

प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण प्रतिशत को विपणन योजनाओं में पूर्णत: पूरा किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

911. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री दत्ता मेघे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों तथा उनके लिये प्रतीक्षारत आवेदकों की वर्तमान संख्या पृथक-2 तथा जिला-वार कितनी है; और

(ख) टेलीफोन कनेक्शन पाने के लिये प्रतीक्षारत सभी व्यक्तियों को ये कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज आवेदकों को उत्तरोत्तर रूप से मार्च, 1997 तक टेलीफोन प्रदान करने की योजनाएं बनाई गई हैं बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य संसाधन समय पर उपलब्ध हों। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण देश में 1997 तक, व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मूलभूत टेलीफोन सेवा के क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी ली जा रही है।

विवरण

31.1.1996 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या तथा प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की जिलेवार संख्या।

जिले का नाम		31.1.1996 तक प्रदत्त कनेक्शनों की संख्या	31.1.1996 तक प्रतीक्षा-सूची
1.	अंकोला	17120	6001
2.	अमरावती	21745	3120
3.	भण्डारा	10932	1889
4.	बुल्दाना	11266	1346
5.	चन्द्रपुर	12877	1996
6.	गढ़चिरोली	2134	325
7.	वर्धा	9500	1233
8.	यवतमाल	8626	1893
9.	जलगांव	26179	8126
10.	रायगढ़	37495	5138
11.	रत्नागिरि	12803	3410
12.	सिन्धु दुर्ग	5303	1407
13.	सांगली	28359	5839
14.	सतारा	28778	4288
15.	सोलापुर	28463	7743
16.	नासिक	54579	18676
17.	धूले	14987	4689
18.	अहमदनगर	29997	18983
19.	औरंगाबाद	29041	1245
20.	जालना	6579	1953
21.	बीड	7959	3107
22.	लातूर	11170	595
23.	ओस्मानाबाद	5476	1030
24.	नांदेड़	13608	1207
25.	परभनी	10137	69418
26.	थाणे	223269	62420
27.	कोल्हापुर	49800	12121
28.	नागपुर	73465	13163
29.	पूणे	189919	49743
30.	ग्रेटर मुम्बई	1207891	53748

[अनुवाद]

सांसदों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

912. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा निर्माण कार्यों के लिए निधियों की आगामी आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक सांसद के हिसाब से एक करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष में दो बार जारी की जाती है। इसी प्रकार 1996-97 के लिए निधियों को जारी किया जाएगा।

डाकघरों में बचत बैंक खाते

913. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने डाकघरों में बचत बैंक खाते चल रहे हैं;

(ख) दिसंबर 1995 तक इन डाकघरों में कुल कितनी धनराशि जमा है;

(ग) क्या सरकार का बचत बैंक खातों को कारगर बनाने के लिए आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) देश में 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, बचत बैंक सुविधा से युक्त डाकघरों की संख्या 1,49,705 थी।

(ख) बचत बैंक खातों में, 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार 53,51,23,09,000 रुपये की राशि बकाया थी।

(ग) और (घ) डाकघरों में काउंटर सेवाओं के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के अनवरत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बचत बैंक कार्यों का कम्प्यूटरीकण करना आरंभ किया गया है। अभी तक बचत बैंक कार्यों का कम्प्यूटरीकण चार डाक सर्किलों अर्थात् दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में शुरु किया गया है। चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न सर्किलों के 100 डाकघरों में काउंटर सेवाओं के साथ-साथ बचत बैंक कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करने का लक्ष्य है। अधिक उत्पादनशीलता और कार्यकुशलता के लिए छः सर्किलों में बचत बैंक नियंत्रण संगठनों के कार्यों के लिए भी कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ किया जा रहा है।

केरल में टेलीफोन-कनेक्शन

914. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन-कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदनों संबंधी जिला-वार अद्यतन आंकड़े क्या हैं; और

(ख) टेलीफोन-कनेक्शन हेतु लंबित पड़े आवेदकों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) केरल में संघ शासित क्षेत्र माहे, लक्षद्वीप व मिनीकॉय द्वीप-समूह सहित जिलावार टेलीफोन कनेक्शनों के लंबित आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, केरल सहित समूचे देश में 1997 तक, मांगने पर टेलीफोन कनेक्शन देने की परिकल्पना है। तदनुसार, विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, डॉट के प्रयासों में मदद के लिए निजी क्षेत्र की सहायता भी ली जा रही है।

विवरण

केरल में जिलावार टेलीफोन कनेक्शनों के लंबित आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा-सूची
1.	एलैप्पी	21289
2.	कालीकट	38309
3.	कन्नानूर	35071
4.	एर्णाकुलम	43419
5.	इडुक्की	10653
6.	कसरगोड	19165
7.	कोट्टायम	30927
8.	मलप्पुरम	38895
9.	पालघाट	16362
10.	पटनमथिट्टा	23092
11.	क्विलॉन	22868
12.	त्रिचूर	37540
13.	त्रिवेंद्रम	34859
14.	यप्रपूनॉड	6325
15.	संघ शासित क्षेत्र माहे (पाण्डिचेरी), लक्षद्वीप व मिनीकॉय द्वीप-समूह	1432
	जोड़	380286

एन.एफ.डी.सी.

915. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) लंबे समय से चेयर-मैन के बिना ही कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निगम के चेयरमैन की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

916. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान अलग-2 कोल इंडिया तथा सिंगरेनी कोयला खानों में प्रति माह कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विद्युत केन्द्रों को कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी रही;

(ग) क्या उक्त कोयला कंपनियों से विद्युत केन्द्रों को कोयले की कम सप्लाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त कंपनियों द्वारा विद्युत केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 (फरवरी, 1996 तक) की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) में कोयले का मासिक उत्पादन औसतन क्रमश: 18.60 मिलियन टन तथा 19.05 मिलियन टन रहा। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. का औसतन मासिक उत्पादन इसी अवधि के दौरान क्रमश: 2.14 मि. टन तथा 2.05 मि. टन रहा।

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 (फरवरी, 1996 तक) विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता औसतन क्रमश: 14.17 मि. टन और 15.35 मि. टन रही।

(ग) क्षेत्रवार मांग, का योजना आयोग द्वारा उपयोगकर्ता मंत्रालयों, कोयला मंत्रालय तथा रेलवे के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से निर्धारण वार्षिक आवश्यकताओं के आधार पर विद्युत गृह-वार संयोजन स्थाई समिति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उपर्युक्त मांग की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए समग्र आपूर्ति में कोई कमी नहीं रही है।

(घ) विद्युत गृहों की आपूर्ति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और अपेक्षा अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

नई औद्योगिक योजनाएं

917. **डा. मुमताज अंसारी** :
श्री राजेश कुमार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उन औद्योगिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) बिहार राज्य को नई केन्द्रीय प्रायोजित विकास केन्द्र स्कीम के अंतर्गत आठवीं योजना अवधि के दौरान छ: विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं, जो बेगुसराय, हजारीबाग, भागलपुर, दरभंगा, छपरा और मुजफ्फरपुर प्रत्येक में एक स्थापित किया जाना है। हजारीबाग और बेगुसराय में विकास केन्द्र परियोजनाओं को मई, 1995 में अनुमोदित किया गया तथा प्रत्येक को 50 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के रूप में दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) की अन्य नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान बिहार के हाजीपुर में एक ई पी आई पी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

918. **श्री मंजय लाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र एवं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवगठित स्वैच्छिक संगठनों को ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का अधिकार दिए जाने के संबंध में कोई प्रावधान है अथवा इस प्रकार का प्रावधान करने हेतु कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न योजनाएं हैं अर्थात (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, (2) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन स्टेप, (3) आसृजन एवं उत्पादन (नोराड), (4) शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (सी एस डब्ल्यू बी) जिनके द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को महिलाओं, पद दलितों तथा पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) नव गठित स्वैच्छिक संगठन स्वयं प्रशिक्षण केन्द्र शुरु कर सकतें है और भारत सरकार को इन केन्द्रों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत मानदण्डों और शर्तों को पूरा करने की शर्त पर सहायता करने का अनुरोध कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

919. श्री रूपचन्द पाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1996 में सिरी फोर्ट स्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को कोई जगह नहीं दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अधिकारियों द्वारा ऐसे निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी प्रचार माध्यमों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

920. कुमारी उमा भारती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों में लगे भारतीय जिलों में पाकिस्तानी प्रचार माध्यमों द्वारा किये जा रहे भारत-विरोधी प्रचार से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : इन उपायों में, नए केन्द्रों को चालू करके सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को सुधारने के लिए इनके स्थलीय नेटवर्क को सुदृढ़ करना, कुछ मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाना और समाचार बुलेटिनों सहित कार्यक्रम जो, तथ्यों को उनके उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं, का प्रसारण करना शामिल है।

उड़ीसा में तेल शोधक कारखाना

921. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने का स्थल तय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन को उनकी ईस्टर्न इंडिया रिफाइनरी परियोजना के लिए प्रथम चरण स्वीकृति दे दी है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किए जाने के संबंध में कार्रवाई आरंभ की गई है। रिफाइनरी के लिए सही स्थान का निर्धारण विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

पिछड़ी जातियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करना

922. श्री रवि राय : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों की सूची में सम्मिलित कुछ पिछड़ी जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी पिछड़ी जातियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) केवल वे पिछड़े वर्ग जो मंडल आयोग की सूची तथा राज्य सूची दोनों में हैं, केन्द्रीय सूची में शामिल किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के लिए अनुरोधों तथा अधिक शामिल किए जाने और कम शामिल किए जाने संबंधी शिकायतों पर विचार करने, जांच करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक स्थाई निकाय स्थापित करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अधिनियमित किया गया था।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप में दोहन

923. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों पर बड़ी संख्या में व्यापारी प्रवेश कर रहे हैं और वे वहां की वन एवं समुद्री सम्पदा का दोहन कर रहे हैं और द्वीप समूहों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, द्वीपों में आने वाले व्यापारियों द्वारा वन-सम्पदा का दोहन किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। जहां तक समुद्री-सम्पदा का प्रश्न है, मछली पकड़ने के प्रयोजनार्थ पोतों को कुछ लाइसेंस जारी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस संबंध में कोई प्रतिकूल बात ध्यान में नहीं आयी है।

विभागेतर कर्मचारी

924. श्री हरिकिशोर सिंह :

श्री नरेश कुमार बालियान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभागेतर कर्मचारियों की सर्किल-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अतिरिक्त

विभागीय एजेंटों की सर्किल-वार संख्या, 31.3.95 की स्थिति के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को चलाने के लिए की जाती है। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का कार्यभार प्रतिदिन 2 से 5 घंटे के बीच होता है। जब किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर का कार्यभार अधिकतम सीमा से ज्यादा हो जाता है तब अतिरिक्त विभागीय डाकघर को विभागीय डाकघर में बदलने की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। ऐसे परिवर्तन के पश्चात डाकघर को उपयुक्त ग्रेड के विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को कार्यभार के आधार पर निर्धारित समेकित मासिक भत्ता दिया जाता है। सेवा की एक शर्त के अनुसार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पास स्वतंत्र जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त विभागीय डाकघरों अथवा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का विभागीयकरण करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसा करना इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के विरूद्ध होगा। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए विभागीय ग्रुप "घ" और पोस्टमैन काडरों में नियुक्ति के लिए उचित अवसर पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंट, जो उपर्युक्त पदों पर भर्ती हो जाते हैं, वे विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं और अधिकारों के स्वत: ही हकदार हो जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	असम	9043
2.	आंध्र प्रदेश	30677
3.	अरूणाचल प्रदेश	534
4.	बिहार	20412
5.	दिल्ली	525
6.	गोवा	427
7.	गुजरात (दादर, नगर हवेली, दीव और दमण सहित)	17784
8.	हरियाणा	4387
9.	हिमाचल प्रदेश	6659
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2957
11.	कर्नाटक	17446
12.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	12974
13.	मध्य प्रदेश	24737
14.	महाराष्ट्र	24951
15.	मणिपुर	1980
16.	मेघालय	1200
17.	मिजोरम	1062
18.	नागालैंड	633
19.	उड़ीसा	18572
20.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	6382
21.	राजस्थान	16434
22.	सिक्किम	368
23.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	25136
24.	त्रिपुरा	1711
25.	उत्तर प्रदेश	42298
26.	पश्चिम बंगाल (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)	22147

पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य नीति

925. श्री प्रेम चन्द राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों तथा रसोई गैस की खुदरा कीमतें पूरे देश में रुपये के अलावा रेजगारियों में भी वसूल की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की मूल्य नीति से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है क्योंकि बिल्कुल सही मूल्य का भुगतान करना अथवा शेष में से वापस लेना अव्यवहारिक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) एम.एस., एच.एस.डी. और एल. पी.जी. जैसे आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में खुदरा बिक्री लेनदेन निकटतम पांच पैसे कर दिए जाते हैं ताकि छोटे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

सेल्युलर टेलीफोन

926. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोबाईल सेल्युलर टेलीफोन-सेवा ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों का ब्यौरा क्या है, जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है तथा इस प्रकार के टेलीफोनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या और शहरों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा 4 महानगरों यथा, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में प्रचालनरत है। 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार, इन चार महानगरों में सेल्युलर उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग 52,700 है।

(ग) जी हां। 18 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों में सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा के प्रचालन हेतु आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं। यह सेवा समग्र देश में उपलब्ध होगी।

(घ) निर्गमित आशय-पत्रों/लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क. सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा के लाइसेंसधारकों और सर्किलों के नाम

क्र.सं.	लाइसेंसधारक/विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	सर्किल
1	2	3
1.	जे टी मोबाइल/टेलिया, स्वीडन	आंध्र प्रदेश, पंजाब
2.	बिड़ला कम्यू./ए टी एंड टी, यू एस ए	गुजरात महाराष्ट्र
3.	यू एस वेस्ट-बीपीएल टेलीकॉम/ यू एस वेस्ट, यू एस ए	तमिलनाडु केरल महाराष्ट्र
4.	एयरसेल डिजिलिंग/स्विस पी टी टी, स्विटजरलैण्ड	हरियाणा उत्तर प्रदेश (पूर्वी)
5.	एस्कोटिल/फर्सट, पैसिफिक, हांगकांग	उ.प्र. (पश्चिमी) हरियाणा केरल
6.	कोशिका/फिलिपिनो टेलीकॉम, फिलीपीन्स	उ.प्र. (पूर्वी) उ.प्र. (पश्चिमी) उड़ीसा
7.	सेलूलर कम्यू./एयर टच, यू एस ए	मध्य प्रदेश
8.	रिलायंस टेलीकॉम/नाइनेक्स, यू एस ए	मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल उड़ीसा बिहार उत्तर पूर्व असम हिमाचल प्रदेश
9.	हेक्साकॉम/कुवैत मोबाइल, कुवैत	उत्तर पूर्व
10.	भारतीय टेलीनेट/एस टी ई टी, इटली	हिमाचल प्रदेश
11.	टाटा कम्यू/बेल, कनाडा	आंध्र प्रदेश
12.	फैस्सेल/बेजेक, इजराइल	गुजरात

कंपनियों और सर्किलों के नाम जिन्हें सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा हेतु आशय-पत्र जारी किए गए हैं

क्र.सं.	बोलीदाता कम्पनी/विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	प्रस्तुत सर्किल
1.	जे टी मोबाइल/तेलिया, स्वीडन	कर्नाटक
2.	मोदीकॉम/वैंगार्ड, यू एस ए	पंजाब कर्नाटक
3.	एयरसेल डिजिलिंग/स्विस पी टी टी, स्विटजरलैण्ड	राजस्थान
4.	कोशिका/फिलिपिनो टेलीकॉम, फिलिपिन्ज	बिहार
5.	हिन्दुजा एच सी एल/सिंगापुर टेलीकॉम, सिंगापुर	तमिलनाडु
6.	हेक्साकॉम/कुवैत मोबाइल कुवैत	राजस्थान

[हिन्दी]

दूरसंचार के क्षेत्र में फिनलैंड की सहायता

927. श्री सत्यदेव सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड सरकार दूरसंचार सेवा को सुदृढ़ करने के लिए भारत को सहायता की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) फिनलैंड के एक निजी संगठन से पूंजी-निवेश के लिए तीन प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) (i) : 3 मिलियन अमरीकी डालर के प्रारंभिक पूंजी-निवेश से फिनिश कंपनी की 100 प्रतिशत भारतीय सहायक कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव।

(ii) एक मिलियन अमरीकी डालर के प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव।

(iii) संयुक्त उद्यम वाला एक राज्य सरकार के उपक्रम का प्रस्ताव, तथापि, इस प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

सरकार द्वारा तीनों ही प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है।

[अनुवाद]

संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति

928. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों ने संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति के संबंध में कानून बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला आयोग ने संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति के संबंध में कानून बनाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ) सरकार को दिनांक 8.3.90 का एक ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के लिए सभी पारिवारिक सम्पत्तियों में समान अधिकारों की मांग तथा वैवाहिक सम्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करने की मांग की गई है। सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार किया है। संयुक्त वैवाहिक सम्पत्ति के संबंध में किसी कानून का अधिनियमन करने से अल्पसंख्यकों पर लागू होने वाली स्वीय विधियों सहित कानूनों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। सरकार की यह घोषित नीति है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाए जब तक कि इसके लिए उस समुदाय द्वारा स्वयं कोई पहल नहीं की जाती है। अत: इस मामले में सरकार द्वारा किसी प्रकार का विधायन बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तराखंड के विकास हेतु सचिवालय

929. **श्री बलराज पासी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के विकास हेतु सचिवालय की स्थापना के लिए धनराशि मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) इसके निर्माण का कार्य कब तक शुरु और पूरा किये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चमोली जिले में गैरसैण में पर्वतीय विकास विभाग का मुख्यालय स्थापित करने की सम्भाव्यता के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का वापस लिया जाना

930. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून में "आपराधिक" मामले के संबंध में फरियादी द्वारा पुलिस के पास दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को वापस लेने की अनुमति देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कानून में प्रथम सूचना रिपोर्ट को वापस लेने का प्रावधान कर देने से देश के न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पुलिस में दर्ज "प्रथम सूचना रिपोर्ट**" को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के एक बार दर्ज हो जाने पर कानून अपना काम करता है।

(घ) और (ङ) फिलहाल इस संबंध में कोई भी कदम अपेक्षित नहीं है।

राजस्व वसूली

931. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में लेखा और वित्त में ग्रुप "क" के पद सहित अनेक पदों को नियमित आधार पर न भरे जाने के कारण राजस्व वसूली में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व वसूली में सर्किल-वार कितनी कमी आई; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दूरसंचार विभाग के पूर्ण राजस्व समाहरण में कोई कमी नहीं आयी है। विभिन्न कारकों जिसमें सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या में वृद्धि भी शामिल है, के कारण यथा उल्लिखित निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार राजस्व में वृद्धि हुई है। किसी कारण विशेष का राजस्व समाहरण पर उर्ध्वगामी अथवा अधोगामी दबाव का पता लगाना कठिन है :

वर्ष	दूरसंचार विभाग का कुल राजस्व समाहरण
1992-93	4103.14 करोड़ रुपये
1993-94	5484.98 करोड़ रुपये
1994-95	6721.76 करोड़ रुपये

(ख) पिछले तीन वर्षों में एक सर्किल नामत: पश्चिम बंगाल सर्किल के राजस्व में मामूली रूप से कमी आयी है। वर्ष 1992-93 में राजस्व, 48.28 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1993-94 में यह 47.85 करोड़ रुपये रहा।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर वैज्ञानिक अनुसंधान शैक्षिक कार्यक्रम

932. **डा. बसंत पवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर वैज्ञानिक अनुसंधान शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु कुल कितने घंटे का समय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या निर्धारित समय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को दर्शकों का उत्साहवर्द्धक समर्थन मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) लगभग 120 घंटे प्रति माह।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित "टर्निंग पॉइन्ट", "लिविंग ऑन दी एज", "क्वेस्ट", हेड्स एण्ड टेल्स", आदि जैसे वैज्ञानिक, शैक्षिक एवं पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम दर्शकों तक अच्छी तरह पहुंच चुके हैं।

सीमा पर बाड़ लगाने हेतु कांटेदार तार का आयात

933. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए संवेदी इलेक्ट्रानिक कांटेदार तार का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो कांटेदार तार का आयात किन-किन देशों से किया जाएगा;

(ग) प्रस्तावित कांटेदार तार की प्रणाली लगाने के लिए किन-किन देशों की पहचान की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक घुसपैठ पर रोक लगने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई कोयला कंपनी

934. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई कोयला कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ग) उपर्युक्त कंपनी में किन-2 कोयला क्षेत्रों को शामिल किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी-यात्रियों के लिए रुपया फोन कार्ड-सुविधा

935. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश-यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए स्प्रिंट आर.पी.जी. इंडिया लिमिटेड की फोन कॉलिंग कार्ड-सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सुविधा एवं इससे मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरसंचार विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में लागू किए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) रुपया फोन कार्ड सुविधा शुरु किए जाने से अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा बचायी जा सकेगी;

(ङ) क्या उक्त फोन कार्ड-सुविधा घरेलू यात्रियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) इससे यात्रियों को विदेशों से कॉल करने में सहायता मिलेगी, जिसके लिए भुगतान भारत में रुपयों में किया जाएगा।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बचत, प्रयोक्ताओं की संख्या पर निर्भर करेगी और प्रयोक्ताओं की संख्या सेवा की लोक-प्रियता पर निर्भर करेगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी नहीं।

(छ) इसके लिए समस्त देश में इन्टेलीजेन्ट टेलीकॉम नेटवर्क की आवश्यकता है, जो इस समय भारत में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1. दूरसंचार विभाग द्वारा लागू किये गये विनियमों का ब्यौरा:

(i) भारतीय ग्राहकों को दिये जा रहे कार्डों का प्रयोग केवल भारत से बाहर किया जाएगा।

(ii) ग्राहकों को, इस कार्ड का प्रयोग करते हुए भारत से कॉल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) भारतीय ग्राहक, भारत में अपने फोन कार्ड के इस्तेमाल हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा लागू विनियमों के अनुसार भुगतान करेंगे।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू विनियमों का ब्यौरा :

(i) लाइसेंसधारक को कार्डों का स्टॉक, विदेशी कंपनी द्वारा नि:शुल्क दिया जाना चाहिए।

(ii) यह अनुमोदन, मूल यात्रा कोटा-स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले तथा एडी/एफएफएमसी से विदेशी मुद्रा लेने वाले सभी भारतीय यात्रियों पर लागू होगा।

(iii) कार्डधारक द्वारा की गई कॉलों का भुगतान रुपयों में वसूल किया जाएगा। लाइसेंसधारक की कमीशन काटने के बाद स्प्रिंट आरपीजी द्वारा विदेशी पार्टी को रिमिटेंस की अनुमति दी जाएगी।

(iv) कार्डों का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, भारत से की जाने वाले कॉलों के लिए नहीं किया जाएगा।

(v) स्प्रिंट आर पी जी, एडी को, जिसके जरिए रिमिटेंस किया जाता है, किसी चार्टर्ड लेखाकार से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि यह रिमिटेंस रुपया डिनोमिनेटेड कॉलिंग कार्ड का प्रयोग करके भारतीय यात्रियों द्वारा विदेशों से की गई टेलीफोन कॉलों के प्रभारों के प्रति निवासियों से वसूल की गई रुपया निधि है। लाइसेंसधारक को आवश्यक रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि चार्टर्ड लेखाकर ऐसा प्रमाण पत्र दे सकें।

(vi) प्रति कार्ड, प्रतिवर्ष रुपया लेखे से किया गया रिमिटेंस 500 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए और एक यात्री को एक से अधिक कार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई धारक उक्त सीमा से अधिक कार्ड प्राप्त करता है तो वह डॉलर आधारित फोन कार्ड का प्रयोग करके अथवा पूर्व प्रदत्त टेलीफोन कार्ड विदेशी मुद्रा में खरीदकर ऐसा कर सकता है।

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन-एक्सचेंज

936. श्री रतिलाल वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में पांच, दस हजार लाइनों वाले इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन-एक्सचेंजों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) 8 वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, गुजरात में जिन पांच हजार, दस हजार तथा अधिक लाइनों वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, उनके स्थान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	उन संभावित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की लाइनें, जिनकी योजना बनाई गई है
1	2	3
1.	अहमदाबाद	77,000
2.	सूरत	45,000
3.	बड़ोदरा	15,000
4.	भावनगर	15,000
5.	राजकोट	20,000
6.	आनंद	6,000
7.	अंकलेश्वर	5,500
8.	भड़ूच	12,500
9.	भुज	10,000
10.	हिम्मतनगर	6,000
11.	जामनगर	5,500
12.	मेहसाणा	7,500
13.	नवसारी	6,500
14.	सुरेन्द्रनगर	6,000
15.	वी.वी. नगर	7,000

दूरदर्शन/आकशवाणी पर राजनीतिक दलों को समय का आवंटन

937. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी आम चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर समय के आवंटन (टाइम्स स्लाट) के लिए कोइ नीति/दिशा निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन आयोग से भी विचार-विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राजनीतिक दल को कितना समय (टाइम-स्लाट) आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) लोक सभा/विधान सभा चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारण/टेलीकास्ट की योजना कई वर्षों से प्रचालित है।

(ख) और (ग) आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श करके प्रसारण/टेलीकास्ट की समय-सारणी तैयार की जाएगी।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

938. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-पाक सीमा पर किन-2 स्थानों पर तेल की खोज संबंधी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस और हाईड्रोकार्बन की खोज का कार्य भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो भारत-पाक सीमा पर सम्पूर्ण शुष्क क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन के कितने भंडार मिले हैं; और

(घ) सम्पूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन की खोज हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत-पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर-नागौर बेसिनों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में कालाकोट-राजौरी के आसपास वाले क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण किया जा रहा है।

राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों और गुजरात में बनासकांठा में पड़ने वाले ब्लाक आर जे-ओ एन-90/1 में कार्य अन्वेषण के प्रथम चरण में है, जिसे बोली के चौथे दौरे के अंतर्गत अन्वेषण के लिए निजी भारतीय और विदेशी कंपनियों को दिया गया था।

(ग) 1.4.95 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत 5 संरचनाओं में 1322.9 एम एम घन मीटर गैस भंडारों का पता लगाया है।

ओ आई एल ने भी जैसलमेर बेसिन में अन्य 5 संरचनाओं में 8422 एम एम घन मीटर गैस भंडारों और राजस्थान में बीकानेर-नागौर बेसिन में भारी तेल के 14.60 एम एम टी स्थानिक भंडारों का पता लगाया है।

(घ) राजस्थान में जैसलमेर जिले में एक विद्युत संयंत्र को आपूर्ति करने के लिए ओ एन जी सी के एक क्षेत्र में जैसलमेर बेसिन में गैस उत्पादन 16.9.1994 को आरंभ हुआ। इसी क्षेत्र में ओ आई एल गैस क्षेत्र का विकास प्रगति पर है और उत्पादन 1996-97 के आरंभ में शुरु हो जाने की संभावना है।

जहां तक बीकानेर-नागौर बेसिन में भारी तेल का संबंध है, कूपों की प्रायोगिक आधार पर परीक्षण किया गया है तथा इस क्षेत्र से इष्टतम उत्पादन के लिए प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से परामर्श किया गया है, जिसके लिए देश में वर्तमान समय में अनुपलब्ध विशिष्ट प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों को अन्वेषण बोली के संयुक्त उद्यम दौर में निजी प्रतिभागिता के लिए भी प्रस्तावित किया गया है और प्राप्त हुई बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण

939. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

940. **डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को कब तक ये कनेक्शन दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में 15211 आवेदन विचाराधीन हैं। इनके श्रेणी-वार ब्यौरे इस प्रकार से हैं :

(i)	ओ वाई टी	: 2
(ii)	गैर-ओवाईटी विशेष	: 132
(iii)	सामान्य	: 15077

(ग) प्रतीक्षा-सूची के मार्च, 97 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में, वर्ष 1997 तक उड़ीसा सहित पूरे देश में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा में जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शन (जिला-वार)

क्र.सं.	जिला	1993-94	1994-95	1995-96 (जनवरी, 96 तक)
1	2	3	4	5
1.	अनुगुल	459	296	453
2.	बालासौर	360	1082	793
3.	बारागढ़	421	340	452
4.	भद्रक	225	438	410
5.	बोलनगीर	482	642	672
6.	बोध	112	64	133
7.	कटक	2975	2439	2612
8.	देवगढ़	218	280	310
9.	धेनकनाल	946	671	887
10.	गजपति	403	321	602
11.	गंजम	1307	520	2504
12.	जगतसिंघपुर	436	402	481
13.	जाजपुर	413	310	414
14.	झारसूगडा	348	359	402
15.	कालाहांडी	255	390	373
16.	केंद्रापाड़ा	416	312	435
17.	क्योंझर	543	602	680

1	2	3	4	5
18.	कोरापुट	435	347	523
19.	मलकानगिरी	226	194	343
20.	मयूरभंज	475	1070	805
21.	नयागढ़	361	410	350
22.	नवरंगपुर	230	230	315
23.	नौपड़ा	130	125	177
24.	फुलबनी	315	275	217
25.	पुरी	1080	826	532
26.	रायगढ़	402	359	490
27.	सम्बलपुर	958	668	1197
28.	सुन्दरगढ़	2305	838	911
29.	सुबर्नापुर	57	95	248
30.	खुर्दा	3728	3813	3692
	जोड़	21021	18638	22413

एल.पी.जी. एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन

941. प्रो. सावित्री लक्ष्मण :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कितनी ग्राम पंचायतों में पेट्रोल पम्पों तथा एल.पी.जी. एजेन्सियों के आवंटन हेतु सर्वेक्षण कराये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन एजेन्सियों के आवंटन हेतु स्थानों का चयन कर लिया है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक की उपलब्धि क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्र, उद्योग के घनत्व दूरी मानक पूरे करने वाले स्थानों पर खोले जाते हैं। एलं पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 20,000 एवं उससे अधिक आबादी वाले स्थानों पर आर्थिक व्यवहार्यता तथा उत्पाद उपलब्धता के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से खोली जाती है, न कि पंचायत वार। तेल उद्योग द्वारा किए गए व्यवहार्यता सर्वेक्षण के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 तथा एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में केरल के लिए 43 खुदरा बिक्री केन्द्र और 48 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। विपणन योजनायें पंचवर्षीय योजनाओं के मुताबिक तैयार नहीं की जाती है। पिछली विपणन योजनाओं तथा वर्तमान विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेल चयन बोर्ड (केरल एवं लक्षद्वीप) के माध्यम से प्रगति पर है। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरंभ करने के संबंध में कोई लक्ष्य नियत नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि यह विज्ञापित स्थानों की संख्या, प्रत्येक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, आशय पत्र धारक द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं के पूरे किए जाने इत्यादि जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करते हैं। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरंभ करने के लिए विज्ञापन जारी होने की तारीख से सामान्यता 1-2 वर्ष लगते हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों का बंद होना

942. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र में कुछ कोयला खानों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयला उत्पादन पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) आगामी 3 वर्षों में संभावित निम्न खानों को बंद किए जाने की कार्रवाई को छोड़कर - (क) बेलोरा ओपेनकास्ट, (ख) बेलारपुर ओपेनकास्ट और (ग) न्यू माजरी ओपेनकास्ट सेक्टर "ए" परियोजनाएं, जिनमें कोयले के भंडारों का समापन हो गया था, महाराष्ट्र में कोल इंडिया लि0 की किसी कोयला खान का परिसमापन (बंद) किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जिला पुनर्वास केन्द्र के कर्मचारियों की मांगें

943. श्री राम नाईक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में विराट के निकट बोलिंज स्थित जिला पुनर्वास केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों के निवारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जिला पुनर्वास केन्द्र के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि जैसी उन सुविधाओं और अन्य रियायतों के हकदार नहीं हैं, जो सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलती है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) माननीय संसद सदस्य के बोलिंज में जिला पुनर्वास केन्द्र के कर्मचारियों की कुछ मांगों वाला एक संक्षिप्त नोट भेजा है।

(ख) ये शिकायतें सामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान न देने,

सामूहिक बीमा योजना की गैर सदस्यता, पेंशन, पदोन्नति तथा सरकारी कर्मचारियों को लागू अन्य लाभों से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) जिला पुनर्वास केन्द्र योजना एक अग्रगामी परियोजना के रूप में शुरु की गई थी तथा जिला पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए जिला पुनर्वास केन्द्र योजना के कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध सभी लाभों के पात्र नहीं हैं।

आल इंडिया रेडियो का नया प्रसारण भवन

944. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली मे आल इंडिया रेडियो का एक नया प्रसारण भवन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा प्रसारण भवन कब तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा आकाशवाणी भवन के पीछे 59.17 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान तकनीकी सुविधायुक्त नए प्रसारण भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना को वर्ष 2000 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

डाक-टिकट

945. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से स्वर्गीय श्री सी.डी. देशमुख के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखा गया था, यदि हां, तो कब; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। स्वर्गीय श्री सी.डी. देशमुख पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए अगस्त 1995 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव को फिलैटलिक सलाहकार समिति की 15.2.1996 को हुई बैठक में विचारार्थ रखा गया था।

(घ) फिलैटलिक सलाहकार समिति ने विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक-टिकट जारी करने के सभी प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से विचार करने के उपरान्त अंतिम निर्णय संचार मंत्री पर छोड़ दिया। इस संबंध में निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. में घाटा

946. **श्री नीतीश कुमार** :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नरेश कुमार बलियान :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कोयला उत्पादक एककों को गत तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष लाभ/घाटा हुआ और यह लाभ/घाटा कितना-2 था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान घाटा उठाने वाले एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घाटे के क्या कारण हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे कुछ एककों संबंधी मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बोर्ड की क्या सिफारिशें हैं; और

(च) कोल इंडिया लि. के घाटे में चल रहे एककों को लाभप्रद एकक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडया लि. (को.इं.लि.) की सहायक कंपनियों द्वारा कमाए गए लाभ/उठाए गए घाटे को नीचे दर्शाया गया है :-

कंपनी	लाभ (+)/घाटा(-)जोकि कोयला कीमत विनियमन लेखे में समायोजन किए जाने से पूर्व कमाया गया/ उठाया गया (करोड़ रुपये में)		
	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
ई.को.लि.	-354.20	-477.98	-575.54
भाकोकोलि	-370.26	-341.07	-560.40
से.को.लि.	+136.44	+127.19	-164.44
ना.को.लि.	+335.36	+392.50	+43.07
वे.को.लि.	+76.76	+04.17	+158.14
सा.ई.को.लि.	+348.39	+397.61	+463.40
म.को.लि.	+195.97	+206.97	+284.37
केखाआडिसंलि	+2.50	+2.64	+2.77
को.इं.वि./ भाईको/डीसीजी	-38.02	-30.30	-11.93
को.इं.लि. (जोड़)	+332.88	+360.93	+27.16

यह उल्लेखनीय है कि को.इं.लि. की दो सहायक कंपनियां अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) और भारत कोकिंग कोल लि.

(भा.को.को.लि.) और अन्य यूनिटें अर्थात् नार्थ-ईस्टर्न कोलफील्डस और दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स, जोकि को.इं.लि. के सीधे नियंत्रणाधीन हैं, उपरोक्त अवधि के दौरान घाटा उठाया है।

(ग) घाटा उठाए जाने के मुख्य कारण नीचे दर्शाये गए हैं :-

(1) भूमिगत खनन की लागत प्रति यूनिट सामान्यत: ओपेनकास्ट खनन की लागत की तुलना में अधिक होती है। भा.को.को.लि. और ई.को.लि. में कुल उत्पादन के अनुपात की तुलना में भूमिगत उत्पादन को.इं.लि. की औसत की तुलना में अधिक है।

(2) भा.को.को.लि. और ई.को.लि. की खानों का औसत आकार छोटा है। खान का आकार उत्पादन की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है।

(3) भा.को.को.लि. और ई.को.लि. की अनेक खानों में प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां विद्यमान हैं और इनमें रेत भराई अपेक्षित है। इससे कोयले के खनन की लागत में वृद्धि हो जाती है।

(4) भा.को.को.लि. और ई.को.लि. में अतिरिक्त श्रमशक्ति विद्यमान है और यह विद्युत की अपर्याप्त मात्रा और विद्युत से संबंधित आपूर्ति में अवरोध से भी प्रभावित हैं।

(घ) से (ङ) भा.को.को.लि. और ई.को.लि. को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. को संदर्भगत कर दिया गया है और ये दो कंपनियां वर्तमान में बी.आई.एफ.आर. के सम्मुख सुनवाई अधीन हैं, जिनकी सिफारिशें इस मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) सरकार द्वारा घाटे को कम किए जाने हेतु और को.इं.लि. की घाटा उठाने वाली सहायक कंपनियों/यूनिटों को लाभकारी बनाए जाने के मामले में उठाए गए कदमों में निम्न कदम शामिल हैं - उत्पादन लागत पर प्रभावी नियंत्रण, श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू श्रमशक्ति का पुन: नियोजन तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल हैं, ''आल मैन ऑल जॉब'' की संकल्पना को प्रयोग में लाया जाना, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी कोयले की बिक्री के मामले में क्रियान्वयन किया जाना और अलाभकारी खानों का परिसमापन किया जाना।

[अनुवाद]

खम्बात बेसिन के ब्लाकों की खोज

947. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खम्बात (कैम्बे) बेसिन के कुछ अपतटीय और तटीय ब्लाकों के तेल और प्राकृतिक गैस की खोज संबंधी कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकार कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये ठेके प्रदान किये गये हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कैम्बे बेसिन में अब तक निम्नलिखित ब्लाकों में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए ठेके देने हेतु अनुमोदन दिया है :

	ब्लाक	बेसिन	कंपनी/परिसंघ का नाम
1.	सी बी-ओ एन/2	कैम्बे तटवर्ती	हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लि. (एच ओ ई सी) बड़ौदा, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (जी एस पी सी), अहमदाबाद, सैम्सन इंटरनेशन, अमेरिका।
2.	सी बी-ओ एन/7	-वही-	सैम्सन इंटरनेशनल लिमिटेड, अमेरिका।
3.	सी बी-ओ एस/1	कैम्बे अपतट	वाल्को एनर्जी इंक, अमेरिका, टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, एच ओ ई सी, बड़ौदा।
4.	सी बी-ओ एस/2	-वही-	कमांड पेट्रोलियम होल्डिंग एन एल आस्ट्रेलिया, टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लि. नई दिल्ली।

ग्रामीण विकास योजना

948. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 2 फरवरी, 1996 को ''कंट्री प्लानर्स कांग्रेस'' की कोई बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस विषय पर चर्चा की गई थी; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां। टाउन एंड कंट्री प्लानर्स की एक राष्ट्रीय कांग्रेस 31 जनवरी-1 फरवरी, 1996 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

(ख) और (ग) कांग्रेस की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :-

1. चल रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अलग-थलग रूप

से नहीं चलाया जाना चाहिए तथा इन्हें क्षेत्रीय/जिला स्तर पर एक एकीकृत स्थानिक विकास योजना के तहत तैयार किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास में संगतता एवं निरंतरता आ सके।

2. कृषि योग्य भूमि को रोजगार प्रदान करने की क्षमता सीमित होने के कारण गैर-कृषि उद्यमों, कृषि संसाधन यूनिटों, कृषि उद्योगों एवं मूल्य संवर्धन हेतु कृषि आधारित उपभोक्ता उत्पादों इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाने चाहिएं।

3. ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाने में क्षेत्र आधारित तथा बस्ती आधारित कार्यनीतियों को मिलाते हुए पर्यावरणीय तथ्यों के साथ-2 आर्थिक एवं विकास संपोषण प्राथमिक उद्देश्य होने चाहिएं।

4. देश में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लिए मॉडल ग्रामीण योजना तैयार की जानी चाहिए। ग्रामीण आयोजना के लिए प्राथमिकता आधार पर सरल तथा लचीला प्रकृति के मापदण्ड विकसित किए जाने चाहिएं।

5. दूरस्थ संवेदी, जीआईएस इत्यादि की नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए तत्काल आधार पर सभी जिलों के लिए अद्यतन तथा उपयोग और संसाधन मानचित्र तैयार किए जाने चाहिएं।

6. क्षेत्रीय आयोजना दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक दक्ष ग्रामीण शहरी श्रृंखला विकसित की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में संवृद्धि केंद्रों तथा बाजार कस्बों के विकास हेतु विशिष्ट कार्रवाई कार्यक्रम शुरु किए जाने चाहिएं।

7. संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधनों के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार आवश्यक अधिकार, प्राधिकार एवं कार्य अन्तरित करते हुए जिला आयोजना समितियां एवं अन्यत्र संस्थागत पद्धति तत्काल स्थापित की जानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के लिए स्थानिक योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित करते समय एनजीओ, सीबीओ तथा जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अनुमोदित जिला योजना के ढांचे के अंदर विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी विकास कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वय एवं प्रबोधन के लिए कस्बा तथा गांव आयोजनाकर्त्ता (टाउन एंड कंट्री प्लानर) को डीपीसी का सदस्य-सचिव होना चाहिए।

8. ग्रामीण आयोजना तथा विकास के लिए विशेष रूप से एक अलग प्रकोष्ठ बनाने हेतु राज्य स्तर पर कस्बा एवं गांव आयोजना विभागों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। यह प्रकोष्ठ जिला योजनाओं के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने एवं ग्रामीण आयोजना तथा विकास प्रयासों के प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

9. विभिन्न आकारों की बस्तियों में प्रदान की जाने वाली सुख-सुविधाओं तथा आधार संरचना की एक जांच-सूची तैयार की जानी चाहिए।

10. 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियमों के प्रकाश में कस्बा तथा गांव आयोजना के क्षेत्र में अधिक तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता है। मौजूदा आयोजना स्कूलों को, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अधिक संख्या में आयोजनाकर्त्ता तैयार करने हेतु कार्यनीति बनानी चाहिए।

11. शैक्षणिक पाठ्यक्रम को ग्रामीण बस्तियों की आयोजना तथा प्रबंध से संबंधित अतिरिक्त निविशिष्ट शामिल करने के उद्देश्य से पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के "डिसनिक" डाटा बेस को ग्रामीण बस्तियों की प्रभावी आयोजना एवं व्यवस्था के लिए सभी कस्बा आयोजना विभागों तथा जिला आयोजना समितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

13. निर्धारित उपयोगों के लिए शहर की सीमा/परिधि के दोनों ओर कम से कम एक किलोमीटर चौड़ाई की हरित पट्टी की व्यवस्था की जानी चाहिएं।

14. महानगरों की विकास योजना के साथ-2 सीमा क्षेत्र के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए।

15. अप्राधिकृत निर्माण और वाणिज्यिक/औद्योगिक कार्यकलापों में विस्तार के बचाव के लिए महानगर के भीतर सभी लाल डोरा क्षेत्र/ग्रामीण बस्तियों की विशिष्ट कार्रवाई योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं।

मूल दूरसंचार सेवाओं में कार्यक्षमता

949. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में मूल टेलीफोन सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति को लागू करने के परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे; और

(ग) निजी क्षेत्र से कितना राजस्व एकत्रित होने का अनुमान है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां

(ख) मूलभूत टेलीफोन सेवा के क्षेत्र में निजी प्रचालकों के प्रवेश से लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।

(ग) सरकार को निजी प्रचालकों से लाइसेंस शुल्क के जरिए लगभग 90,000 करोड़ रुपए मिलने की आशा है।

बी.एस.एफ. के फोक्कू विमान के चालक दल द्वारा ब्रिटिश राजनायिकों को छोड़ दिये जाने संबंधित घटना

950. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के फोक्कू विमान से चालक-दल के सदस्यों द्वारा राजा सांसी हवाई अड्डा, अमृतसर पर ब्रिटिश राजनयिकों और उनके साथ जा रहे गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़ दिए जाने की घटना संबंधी वास्तविक तथ्यों का तब से पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी राजनयिकों से जुड़ी इस घटना की कोई विभागीय जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और सीमा सुरक्षा बल के चालक दल के दोषी सदस्यों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ङ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा घटना की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं तथा जांच का कार्य जारी है।

उड़ीसा की ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन एवं डाकघरों की सुविधा

951. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन एवं डाकघरों की सुविधाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिलेवार कितने डाकघर खोले गए;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार और श्रेणीवार कितने डाकघरों का उन्नयन किया गया है; और

(घ) दिसंबर, 1995 तक डाकघर खोले जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदनों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) (i) उड़ीसा में 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन-सुविधा रखने वाली ग्राम-पंचायतों की संख्या 4951 है। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) उड़ीसा में डाकघर सुविधा रखने वाली 5057 ग्राम-पंचायतें हैं। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए और उन्नत किए गए डाकघरों की संख्या क्रमशः 138 और 2 है। जिला-वार संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) दिसंबर, 1995 तक, डाकघर खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और आवेदन-पत्रों के परिव्यय संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित है :-

(क) प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	725
(ख) न्यायसंगत नहीं है	107
(ग) मांगे गए प्रस्ताव	488
(घ) खोले गए डाकघरों की संख्या	130

विवरण-I

31.1.1996 तक उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन-सुविधा रखने वाली ग्राम-पंचायतों के जिला-वार ब्यौरे।

क्र.सं.	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा रखने वाली ग्राम-पंचायतों की संख्या
1.	केन्द्रपाड़ा	201
2.	जगतसिंहपुर	177
3.	जाजपुर	237
4.	कटक	247
5.	पुरी	204
6.	खुर्दा	153
7.	नयागढ़	138
8.	बालासोर	251
9.	खदरक	161
10.	मयूरभंज	301
11.	क्योंझर	239
12.	बोलनगीर	220
13.	सोनपुर	79
14.	कोरापुट	169
15.	नवरंगपुर	128
16.	मल्कागिरि	48
17.	रेयनागडे	136
18.	कालाहांडी	170
19.	नवापारा	77
20.	बोध	56
21.	फुलबनी	115
22.	सुन्दरगढ़	166
23.	धेनकनाल	164
24.	अनुगल	177
25.	गजम	443
26.	गजपाटी	98
27.	सम्बलपुर	115
28.	झारसुगुडा	54
29.	देवगढ़	45
30.	बारगढ़	182
	जोड़	4951

विवरण-II

उड़ीसा दूरसंचार सर्किल के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघर की सुविधा रखने वाली ग्राम-पंचायतों के जिला-वार ब्यौरे और खोले गये और उन्नत किये गये डाकघरों के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	डाकघर सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की सं.	पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्नत किए गए डाकघरों की सं.
1	2	3	4	5
1.	अंगुल	169	2	-
2.	बालासोर	245	-	-
3.	बारगढ़	175	-	-
4.	बोध	55	-	-
5.	भदरक	163	1	1
6.	बोलनगीर	222	3	-
7.	कटक	247	10	-
8.	देवगढ़	59	-	-
9.	धेनकनाल	163	2	-
10.	गजपति	95	-	-
11.	गंजम	410	6	-
12.	जगतसिंहपुर	169	-	-
13.	जाजपुर	238C	1	-
14.	झारसगुडा	41	1	-
15.	कालाहांडी	193	15	-
16.	केन्द्रपाड़ा	200	2	-
17.	क्ओंझर	243	13	-
18.	खुर्दा	149	1	-
19.	कोरापुट	195	28	-
20.	मलकानगिरि	76	-	-
21.	मयूरभंज	309	12	-
22.	नौरंगपुर	147	4	-
23.	नयागढ़	181	1	-
24.	नुआपारा	90	-	-
25.	फुलबनी	141	11	-
26.	पुरी	191	5	-
27.	रायगढ़	138	-	-
28.	सम्बलपुर	156	3	-
29.	सुर्जनपुर	29	-	-
30.	सुन्दरगढ़	161	9	1
	कुल जोड़	8087	130	2

केरल में विभागेत्तर डाकघरों का उन्नयन

952. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में डाकघरों के उन्नयन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के 90 अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 डाकघरों का दर्जा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। 72 मामलों में दर्जा बढ़ाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। शेष 10 मामलों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर उनका दर्जा बढ़ाया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें और योजना लक्ष्य आवंटित हो।

[हिन्दी]

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

953. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मुम्बई तथा अन्य महानगरों में टेलीफोन के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ख) कब तक उन्हें टेलीफोन कनेक्शन दिये जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार, मुम्बई और अन्य महानगरों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या के श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज अधिकांश आवेदकों को उत्तरोत्तर रूप से मार्च, 1997 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, 1997 तक मुम्बई और अन्य महानगरों सहित सम्पूर्ण देश में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्त में दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग हेतु मूलभूत टेलीफोन सेवा में निजी क्षेत्र की सहायता भी ली जा रही है।

विवरण

31.1.1996 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची

	ओ वाई टी	विशेष	सामान्य	कुल
दिल्ली	-	-	10670	10670
मुम्बई	484	80	83459	84023
कलकत्ता	190	74	54603	54867
मद्रास	5194	1676	93091	99961

[अनुवाद]

एल.पी.जी. एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आवंटन

954. डा. के.वी.आर. चौधरी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई कार्यक्रम देश के प्रत्येक तहसील में एक पेट्रोल पम्प और एक एल.पी.जी. एजेंसी खोलने का है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र में कम से कम एक एल.पी.जी. एजेंसी खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव कब तक लागू कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) ऐसी कोई योजना नहीं है। उद्योग के घनत्व दूरी मानकों को पूरा करने वाले स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं। स्थान की आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के अधीन 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चरणबद्ध तरीके से खोली जाती हैं। पिछली विपणन योजनाओं में खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए स[illegible]त स्थानों के अतिरिक्त 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना और 1994-96 की एल.पी.जी. विपणन योजना में 1040 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 1191 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल कर लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में आमतौर पर विज्ञापन की तिथि से 1-2 वर्ष लगते हैं।

फीचर फिल्म

955. डा. वसंत पवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी भारतीय फीचर फिल्मों को प्रमाण पत्र दिया गया;

(ख) भाषावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने फिल्मों को क्रमशः "यू" तथा "ए" प्रमाण पत्र दिये गए;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में वितरकों द्वारा प्रमाणित फिल्मों में फेरबदल करके फिल्मों के हटाए गए हिस्सों (सेंसर किए गए) दिखा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन दोषी वितरकों को सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) 1994 और 1995 के दौरान भाषावार प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जिन भारतीय फीचर फिल्मों को "यू" और "ए" प्रमाण पत्र दिया गया, उनकी संख्या निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	"यू" प्रमाण पत्र	"ए" प्रमाण पत्र
1994	534	129
1995	503	170

(घ) से (ङ) इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा काटे गए हिस्सों तथा बोर्ड द्वारा न देखे गए दृश्यों को फिल्मों में जोड़ दिया जाता है। प्रमाणन के बाद, चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 के दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों की होती है जिनसे अधिनियम को कड़ाई से लागू करने तथा अपराधियों से स्पष्टीकरण मांगने हेतु बारम्बार अनुरोध किया गया है।

विवरण

पिछले दो वर्षों अर्थात 1994-95 के दौरान प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्में।

(भाषावार) (थिएटरिकल प्रदर्शन के लिए फिल्में)

क्र.सं.	भाषा	1994	1995
1.	हिन्दी	155	157
2.	तमिल	153	165
3.	तेलुगु	174	168
4.	कन्नड़	70	89
5.	मलयालम	70	83
6.	मराठी	22	22
7.	पंजाबी	11	12
8.	नेपाली	10	11
9.	गुजराती	6	9
10.	बंगला	44	26
11.	भोजपुरी	4	6
12.	राजस्थानी	3	3
13.	असमिया	6	4
14.	हरियाणवी	1	1
15.	अंग्रेजी	4	18
16.	मणिपुरी	2	2
17.	तुलु	2	1
18.	उड़िया	14	13
19.	बुंदेली	2	-
20.	कोडावा	1	-
21.	नागपुरी	-	1
22.	बोडो	-	1
23.	उर्दू	-	1
24.	मूक बी जी एम	-	1
25.	सिन्धी	-	1
	कुल :	754	795

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

956. डा. लाल बहादुर रावल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए मंजूरी दी गई थी;

(ख) उनमें से किन-2 टेलीफोन एक्सचेंजों को अब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है और कितने एक्सचेंजों को बदलने की प्रक्रिया जारी है; और

(ग) शेष टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए कोई विशिष्ट जिले-वार मंजूरी नहीं दी गयी थी। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का काम नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) (1) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले गये एक्सचेंजों के जिलावार नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(2) उत्तर प्रदेश में 38 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में अभी बदला जाना है। इनमें से 4 मार्च, 97 तक 23 छोटी-छोटी क्षमता वाले एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिये जाने की कार्रवाई शुरु कर दी गयी है। शेष बच रहे 15 टेलीफोन एक्सचेंजों को उनकी उपयोगी कार्य-अवधि की समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1994-95 और 1995-96 (28.2.96 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले गये टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार नाम

क्र.सं.	जिले का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले गये एक्सचेंजों के नाम	
		1994-95	1995-96 (28.2.96 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आगरा	खण्डौली	-
2.	अलीगढ़	चन्दौसी	खजीमाबाद
		पिसवा	खुर्रम
			देसवान
3.	अल्मोड़ा	स्यालदेह	देघाट
			मडसोट
			पुल्ला
			देवधुरा
4.	बरेली	भुरिया	बरेली
		रिथोरा	
		शेरगढ़	
5.	बदायूं	असलपुर	-
		देहगरवां	
		सोलंकीनगर	
		उसवान	
6.	देहरादून	क्लीमेन्ट टाउन	देहरादून
		प्रेम नगर	
7.	बिजनौर	अप-जल गढ़	-
		बरहापुर	
		बास्ता	
		चन्दक	
		चांदपुर	
		गंज	
		गोहवर	
		हीमपुर	
		जलालपुर	
		मन्डावली	
		नारायनटेहरी	
		रामपुर	
8.	एटा	आमापुर	-
		भरगेन	
		बिलराम	
		जैथरा	
		मिरचेची	
		मोहनपुर	
		पिलुआ	
		साकीत	
		थाना दरियागंज	
9.	गाजियाबाद	मोदीनगर	-
10.	मथुरा	खैरा	-
		नन्दगांव	
		पचरवार	

1	2	3	4
11.	मेरठ	मेरठ	-
12.	मुरादाबाद	नागल सोती	-
		पाडली	
		फीना	
13.	नैनीताल	बेलपारो	-
		बाड़ा	
		भजना नगला	
		दिनेशपुर	
		फौजी कालोनी	
		गूलरभोज	
		हरपुर ओरसीन	
		मोहन	
		पिपलिया	
		प्राग फार्म	
		रूद्र विलास	
		(चीनी मिल)	
14.	पीलीभीत	अमरिया	-
		दूने दाम	
		जहानाबाद	
		माधो टाण्डा	
15.	रामपुर	अकबराबाद	उगैती
		धमेरा	नवाबनगर
		केमारी	दोसेना
		खोद	रूदाइन
			शाहबाद
			बेगमुमाबाद
			टाण्डा
			स्वार
16.	मुजफ्फरनगर	-	मुजफ्फरनगर
17.	सहारनपुर	-	एस एच एन (गुरूद्वारा रोड)
			एस एच एन (मिशन कैम्प)
18.	बहराइच	चिलवलिया	-
		चितौरा	
19.	हरदोई	गोपमान	-
		हरपालपुर	
		पाली	
		सेमरा चौराहा	
20.	लखीमपुर	लखीमपुर	पलिया कलां
			चन्दन चर्की
			कटरा
21.	शाहजहांपुर	मुरियासीबन	-
22.	सीतापुर	सीतापुर	-
23.	सोनभद्र	अनपाड़ा	-
24.	वाराणसी	मुगलसराय	बेनियांबाग
		रामनगर (आई ए)	-

[अनुवाद]

एल.पी.जी. कनेक्शन

957. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1996 के दौरान एल.पी.जी. कनेक्शनों का देने संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) इस समय देश में एल.पी.जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल आवेदकों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन आवेदकों को एल.पी.जी. कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1995-96 के दौरान देशभर में नए एलपीजी ग्राहकों के पंजीकरण का लक्ष्य 15 लाख निर्धारित किया गया है। 1996-97 के लिए लक्ष्य का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नए एलपीजी कनेक्शन देशभर में चरणबद्ध ढंग से एलपीजी की उपलब्धता, नई ग्राहक पंजीकरण योजना, प्रतीक्षा-सूची, वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर जारी किए जाते हैं। फिर भी, यथासंभव संख्या में आवेदकों को यथाशीघ्र एलपीजी कनेक्शन जारी करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतीक्षा-सूचीबद्ध सभी व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो भी, देश में एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि होने से इस शताब्दी के पूरा होने तक प्रतीक्षा-सूची को निपटाया जा सकता है।

विवरण

1.1.1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा-सूची

(आंकड़े लाख में)

राज्य	
आंध्र प्रदेश	9.77
अरूणाचल प्रदेश	0.15
असम	1.33
बिहार	3.53
गोआ	0.68
गुजरात	8.38
हरियाणा	4.50
हिमाचल प्रदेश	0.91
जम्मू व कश्मीर	1.22
कर्नाटक	6.39
केरल	5.58
मध्य प्रदेश	6.48
महाराष्ट्र	17.43
मणिपुर	0.05
मेघालय	0.08
मिजोरम	0.12
नागालैंड	0.13
उड़ीसा	1.49
पंजाब	5.63
राजस्थान	7.46
सिक्किम	0.01
तमिलनाडु	13.28
त्रिपुरा	0.32
उत्तर प्रदेश	15.10
पश्चिम बंगाल	9.13
संघ राज्य क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार	0.11
चण्डीगढ़	0.75
दादर व नगर हवेली	0.02
दिल्ली	7.66
दमन व द्वीप	0.03
लक्षदीप	0.00
पांडिचेरी	0.43

[हिन्दी]

गुजरात में ड्रिलिंग कार्य

958. श्री रतिलाल वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों के किन-2 क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य किया गया है;

(ख) ड्रिलिंग कार्य के लिए विभिन्न कंपनियों को अलग-2 कितनी धनराशि दी गई;

(ग) सड़कों, पाइपलाइनों आदि को हुई क्षति के लिए प्रत्येक व्यक्ति/संगठन को अलग-2 मुआवजे की कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) उन कंपनियों और संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अहमदाबाद जिले में जिन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन के लिए वेधन किया गया है उनमें अहमदाबाद, अम्बलियाला, गमिज, मिरोली, नंदेज, हलिसा, जीवनपुरा, लाम्भा और वलोड़ शामिल हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों/परियोजनाओं की सीमाएं जिले की सीमा से आगे बढ़ जाती हैं। विगत पांच वर्ष में गुजरात के भावनगर जिले में किसी भी क्षेत्र में वेधन नहीं किया गया है।

(ख) ओ एन जी सी के स्वामित्व वाली रिंगों द्वारा अन्वेषण किया गया था। इस प्रकार चार्टर भाड़े पर लिए गए रिंगों के लिए किसी संविदात्मक राशि का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि कोई भी चार्टर भाड़े का रिंग इन क्षेत्रों में प्रचालन नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेल्यूलर फोनों की तस्करी

959. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर सेल्यूलर फोनों की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में माइक्रो अर्थ स्टेशन

960. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माइक्रो अर्थ स्टेशनों के अंतर्गत त्रिचूर को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में पहले से ही ऐसे केंद्र कार्यरत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दूरस्थ क्षेत्र व्यापार संदेश नेटवर्क के अंग रूप में संबंधित प्रयोक्ताओं द्वारा संस्थापित निम्नलिखित स्थलों पर माइक्रो भूकेन्द्र पहले से ही कार्यरत है :

कालीकट, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, एर्नाकुलम (2)

पंचायत संचार-सेवा योजना

961. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में संचार व्यवस्था को सुधार करने के लिए चालू वर्ष के दौरान "पंचायत संचार सेवा योजना** आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। पंचायत संचार सेवा योजना देश के 5 राज्यों में 1 अक्तूबर, 1995 से प्रायोगिक-परियोजना के आधार पर शुरु की गई है।

(ख) पंचायत संचार सेवा योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पंचायत संचार सेवा योजना

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत वाले उन गांवों को मूलभूत डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करना है जिनमें अभी-भी डाकघर नहीं हैं। इस योजना में, पंचायतें डाक-टिकटों और डाक-स्टेशनरी की बिक्री, पत्रों के संग्रहण और वितरण, रजिस्टर्ड डाक मदों की बुकिंग आदि जैसी कुछ बुनियादी सेवाएं चलाने के लिए नोडल प्वाइंट होंगी।

कार्य

जब तक विभाग द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए, तब तक पंचायत केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

(क) मूल्यदेय और बीमाकृत डाक मदों को छोड़कर रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग;

(ख) डाक-टिकटों और डाक-स्टेशनरी की बिक्री;

(ग) डाक में पत्र भेजने का प्रमाण-पत्र;

(घ) जहां व्यवहार्य हो, महिला समृद्धि योजना स्कीम चलाना;

(ङ) डाक का संग्रहण और वितरण तथा जहां व्यवहार्य हो, लैटर-बॉक्सों से डाक निकालना;

(च) अल्प बचत योजना और ग्रामीण जीवन बीमा योजना का प्रसार; और

(छ) शाखा डाकघर के अन्य कार्य जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो कि केन्द्र इन कार्यों को कर सकते हैं।

इन कार्यों के अलावा संबंधित डिवीजन के अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा संचार केन्द्र के प्रभारी को वैकल्पिक कार्य भी दिए जा सकते हैं।

केन्द्र के इंचार्ज को लेखा कार्यालय अथवा नजदीकी डाकघर से संचार केन्द्र में डाक लाने और केन्द्र से लेखा कार्यालय अथवा नजदीकी डाकघर की डाक ले जाने का कार्य भी सौंपा जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत संचार केन्द्र के एजेंट को उन गांवों में जहां एसटीडी/पीसीओ/पंचायत फोन की सुविधा इस समय नहीं है, वहां इनके संचालन का कार्य भी सौंपा जाएगा बशर्ते कि दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड और नियम एवं शर्तें पूरी होती हों। गांवों के मौजूदा पीसीओ धारकों को भी संचार केन्द्र के एजेंटों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं

इस योजना में ग्राम-पंचायतों की भागीदारी ऐच्छिक होगी।

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कोई पढ़ा-लिखा बेरोजगार युवा, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक होगी, अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक की लिखित सहमति से ग्राम-पंचायत द्वारा चुने जाने पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर डाक संबंधी कार्य करेगा।

ऐसा व्यक्ति इस योजना को चलाने के लिए पंचायत के एक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। तथापि, इस योजना को चलाने के उद्देश्य के लिए पंचायत को डाक विभाग के साथ एक करार करना होगा।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम-पंचायत को एक उचित स्थान निर्धारित करना होगा। बेहतर होगा कि ऐसा भवन पंचायत का स्वयं का अपना हो। पदधारक के बदलने पर केन्द्र का कार्य स्थान नहीं बदला जायेगा।

डाक सुविधाएं रविवार और डाक छुट्टियों के दिनों को छोड़कर लोगों को सप्ताह के सभी दिनों में उपलबध कराई जायेंगी। केन्द्र के कार्य-घंटे अधीक्षक डाकघर द्वारा स्थानीय जनता की सुविधा और जरूरत के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे और इन्हें अधिसूचित किया जायेगा। तथापि, एसटीडी/ग्राम-पंचायत टेलीफोनों के संचालन के लिए कार्य-दिवस और कार्य-घंटे दूरसंचार अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र उस गांव में खोला जायेगा, जो गांव ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र के माध्यम से उचित और कार्यकुशल डाक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ग्राम-पंचायत डाक विभाग के प्रति उत्तरदायी होगी।

संचार सेवा केन्द्र का डाक विभाग द्वारा नियमित सुपरविजन और निरीक्षण भी किया जायेगा।

पारिश्रमिक/कमीशन

काउंटर सेवाएं प्रदान करने और जहां अनुमति दी गई हो, डाक के संग्रहण, डाक के लाने ले-जाने तथा वितरण के लिए प्रति माह 300/- रुपये निश्चित भत्ता दिया जायेगा।

पंचायत के एजेंट को निम्नलिखित भुगतान करके पंचायत क्षेत्र में प्रदान की गई अन्य डाक सुविधाओं के लिए प्रतिपूरक भत्ता दिया जायेगा :

(क) सामान्य क्षेत्रों में डाक-टिकट/डाक-स्टेशनरी खरीदते समय उनकी लागत पर 5 प्रतिशत का कमीशन दिया जायेगा। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित दरों पर कमीशन दिया जायेगा :-

(i) 100 रुपये तक की बिक्री पर 5 प्रतिशत

(ii) 101 रुपये से 200 रुपये तक की बिक्री पर 7.5 प्रतिशत

(iii) 201 रुपये से अधिक की बिक्री पर 10 प्रतिशत

(ख) पंजीकृत डाक मद की बुकिंग और वितरण के लिए 50 पैसा कमीशन।

(ग) महिला समृद्धि योजना खातों के संचालन के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

(घ) डाक जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत योजना के प्रसार के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

(ङ) अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन दरों पर कमीशन जिनका निर्धारण किया जाना है।

एसटीडी पीसीओ/ग्राम-पंचायत टेलीफोनों के संचालन के लिए कमीशन दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक डाक सर्किल में सर्वश्रेष्ठ पंचायत संचार सेवा केन्द्र को पुरस्कार देने की प्रणाली शुरु की जाएगी ताकि पंचायतों को इन क्षेत्रों में कार्यकुशल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके।

इस समय योजना केवल प्रायोगिक आधार पर चुने हुए राज्यों में ही चल रही है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की खोज

962. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान किन-किन स्थानों पर कच्चे तेल की सफल खोज की गई;

(ख) तत्संबंधी स्थान कहां-कहां पर स्थित हैं और इन स्थानों से कच्चे तेल का कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने ऐसे कितने तेल कुओं की खोज की और उसमें इन कम्पनियों का अंश कितना-कितना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान निम्नलिखित नए स्थानों पर ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा कच्चे तेल की सफलतापूर्वक खोज की गई है। कच्चे तेल के उत्पादन की दर प्रत्येक स्थान के आगे दर्शाई गई है:

1994-95

ओ एन जी सी

क्र.सं.	क्षेत्र/संरचना	बेसिन/राज्य	आरंभिक उत्पादन परीक्षण परिणाम
1.	बी-15	बंबई अपतट	1151 बी पी डी
2.	बी-193	बंबई अपतट	390 बी पी डी
3.	डब्ल्यू ओ-16	बंबई अपतट	1843 बी पी डी
4.	जी एस-23	के जी अपतट	978 बी पी डी
ओ आई एल			
1.	भेकुलाजान	असम	110 के एल पी डी
1995-96			
ओ एन जी सी			
1.	बी-15-ए	बंबई अपतट	1478 बी पी डी
2.	पुंडी-2	कावेरी भू-क्षेत्र	3.3 एम/डी
ओ आई एल			
1.	राजाली	असम	43-73 के एलपीडी
2.	रूंगोलीटिंग	असम	140 के एल पी डी
3.	बोहरापजान	असम	विस्तृत परीक्षण किया जाना है।

उपर्युक्त स्थान/जगह में से किसी की खोज बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पाइपलाइन बिछाना :

963. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देवगढ़ और मिराज के बीच 174 कि.मी. लंबी पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित आकलन के अनुसार पाइपलाइन बिछाने पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस पाइपलाइन के बिछाने का कार्य कब से शुरु होने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने लगभग 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर महाराष्ट्र में देवगढ़ से कर्नाटक में मीरज तक एक 174 किलो मीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव प्रथम चरण स्वीकृति के लिए संशोधित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स, पाटा

964. **श्री प्रेम चन्द राम :**
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री केशरी लाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंतर्गत पाटा में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र और आवासीय कालोनी के लिए किसानों से भूमि भी अधिगृहित कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि की दरों की तुलना में आवासीय कालोनी के लिए अधिगृहीत भूमि की निर्धारित दरें अधिक हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या भूमि के अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिये की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. पाटा, उत्तर प्रदेश में एक पेट्रोरसायन संयंत्र की स्थापना कर रहा है। यह संयंत्र प्राकृतिक गैस से एल एल डी पी ई और एच डी पी ई का उत्पादन करेगा।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे की दरों का निर्धारण किया है और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(च) और (छ) गेल द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को समूची मुआवजा धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रभावित हुए किसानों को मुआवजे का वितरण आरंभ हो चुका है।

[अनुवाद]

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक का अपहरण

965. **श्री परस राम भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 जनवरी, 1996 को अखिल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के विद्रोहियों द्वारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक प्रणव देव बर्मन का वेस्ट त्रिपुरा जिले के काटाछेरा क्षेत्र से अपहरण करके बंगलादेश ले जाने के पश्चात् बंगलादेश सरकार से उनका पता लगाने के लिये कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) माननीय विधायक और उनके अंगरक्षक का पता लगाने की मांग करते हुए उस मामले को बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया गया है। बंगलादेश की सरकार की तरफ से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1873 अधिनियम

966. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम, 1873 अभी भी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले अधिनियम के स्थान पर लागू होने वाले अधिनियम का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 अभी भी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जा रहा है। इस रेगुलेशन में, अन्य बातों के साथ-2, यह व्यवस्था है कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, प्रत्येक या संबंधित किसी भी जिले में "द इनर लाइन" नाम से एक लाइन निर्धारित करना राज्य सरकार के लिए विधिसम्मत होगा। इस रेगुलेशन से राज्य सरकार को यह शक्ति मिल जाती है कि वह भारत के सभी नागरिकों या ऐसे नागरिकों की किसी श्रेणी या इन जिलों में रह रहे किसी व्यक्ति या इन जिलों से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को, वैध पारपत्र के बिना इस प्रकार की लाइन से आगे जाने से रोक सकता है। इस रेगुलेशन में यह व्यवस्था भी है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा जो इन संबंधित जिलों का मूल निवासी नहीं है या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के बिना इस इनर-लाइन से आगे की भूमि या

इस क्षेत्र के उत्पाद का अर्जित करने में रुचि दिखाना विधिसम्मत नहीं होगा।

हथियारों का पता लगाना

967. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल के कुछ भागों में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) केरल की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31 दिसंबर, 1995 और 10 जनवरी, 1996 के बीच केरल के मलापुरम जिले में कदालुंदी नदी से पुलिस ने 93 पाइप बम बरामद किए। राज्य सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार भी किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों की मांग

968. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकार संबंधी पूर्वोत्तर समन्वयन समिति द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के आत्मनिर्णय की मांग उठायी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मानवाधिकारों पर पूर्वोत्तर समन्वय समिति ने फरवरी, 1996 में गुवाहाटी में एक सम्मेलन आयोजित किया तथा एक दस्तावेज पारित किया जिसमें एक संयुक्त लोकतांत्रिक आंदोलन शुरु करने और आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दस्तावेज की कुछ बातों में अलगाववाद पर जोर दिया गया है।

देश की एकता और अखण्डता सर्वोपरि है। सभी पृथकतावादी ताकतों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।

चकमा शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना

969. श्री राम कापसे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चकमा शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी आवेदनों पर विचार करने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मार्गनिर्देश के अनुसार क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.1.1996 के निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार, भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकरण हेतु चकमाओं द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों को संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा केन्द्र सरकार को, उन आवेदन पत्रों पर कानून के अनुसार विचार करने के लिए, अग्रेषित किया जाना होता है। नागरिकता अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार, ऐसे आवेदन पत्रों को संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजना अपेक्षित होता है। केन्द्र सरकार को इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वोहरा समिति रिपोर्ट

970. श्री पी.आर. कुमार मंगलम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधियों, राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों के बीच संबंध में वोहरा समिति रिपोर्ट केन्द्रीय जांच ब्यूरो/जांच ब्यूरो/आर एड ए डब्ल्यू, राजस्व जांच विभाग गृह मंत्रालय और सरकार की अन्य एजेंसियों विभागों की फाइलों में उपलब्ध सूचना सामग्री पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो ये तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त सूचना तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) अपराध सिंडिकेटों/माफिया संगठनों, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं और जिन्हें इनका संरक्षण प्राप्त है, की गतिविधियों और सम्पर्कों के बारे में उपलबध सभी सूचना का जायजा लेने के लिए पूर्व-गृह सचिव श्री एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर वोहरा समिति गठित की गयी थी। वोहरा समिति के सदस्यों द्वारा की गयी टिप्पणियां जैसी कि रिपोर्ट में रिकार्ड की गई हैं, किसी विशिष्ट सामग्री या किसी वैयक्तिक मामले या मसलों के प्रति बिना किसी विशेष संदर्भ के, उनके अपने-अपने अनुभव और धारणाओं से की गई है।

(ग) वोहरा समिति की रिपोर्ट में, गृह सचिव के स्तर पर एक नोडल एजेन्सी गठित करने की सिफारिश की गयी है। तदनुसार, सरकार ने 2 अगस्त, 1995 को एक नोडल एजेन्सी गठित की है, जिसके अध्यक्ष गृह सचिव हैं और सचिव (राजस्व), सचिव (रा), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) इसके सदस्य हैं। नोडल एजेंसी का मुख्य काम, समन्वय करना, निदेश देना और पर्यवेक्षण करना है। यह संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों, जो संविधान और कानूनों के अंतर्गत आसूचना एकत्र करने या जांच-पड़ताल करने और अभियोजन करने के लिए जिम्मेवार हैं, का प्रतिस्थानी नहीं है। नोडल एजेंसी ने कार्य करना शुरु कर दिया है और अपने गठन के बाद से इसने 5 बैठकें की हैं। नोडल एजेंसी अपनी बैठकों में आमतौर पर प्रमुख अपराध सिंडिकेटों की गतिविधियों के बारे में, विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना और फील्ड संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की पुनरीक्षा करती है।

कानून के अनुसार मामलों की खोजबीन में इन्टर-एजेंसी समन्वय और इंटर-एजेंसी सहयोग के प्रश्न पर विचार किया जाता है और इस प्रकार की सहायता और सहयोग की अपेक्षाओं के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं। बेहतर अन्त-विभागीय समन्वय के हित में, 5.1.1996 से इस नोडल एजेंसी का पुनर्गठन किया गया था और मंत्रिमंडल सचिव ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रा), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) इसके सदस्य हैं।

महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाएं/परियोजनाएं

971. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तुत की गई योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कोई बजटीय आवंटन किया गया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं/परियोजनाओं का प्रगति सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं/परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(च) क्या राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त राशि खर्च कर दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (छ) महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए परियोजनाएं पंचवर्षीय और वार्षिक योजना प्रस्तावों में शामिल की गई हैं। योजना आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य के वार्षिक योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग निवेश के दृष्टिकोण से सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए निर्धारित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वार्षिक योजना	आवंटन	प्रत्याशित व्यय
1994-95	4400	4758
1995-96	5907	6408.84

पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग

972. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग की परिभाषा को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश की ओर ध्यान दिया है;

(ख) ऐसे कितने राज्य हैं जहां अब तक सम्पन्न वर्ग के प्रत्येक मामलें में इसे संक्षिप्त विवरण के साथ परिभाषित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सम्पन्न वर्ग की पहचान के लिए एक समान राष्ट्रीय मानदंड को सुझाव देने का है; और

(घ) क्या सम्पन्न वर्ग की संकल्पना संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत सभी पिछड़े वर्गों के लिए लागू होता है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (मंडल मामले के नाम से विख्यात) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि अन्य पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से उन्नतम व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को अलग करने के लिए राज्य अपने अलग मानदंड तैयार करेंगे। राज्यों के बारे में सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्रीमी लेयर की अवधारणा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में लागू की जाती है।

ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने संबंधी गतिविधियां

973. **श्री राम सिंह कस्वां :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने संबंधी गतिविधियों की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धोखाधड़ी से और बलात धर्म परिवर्तन कराने संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति विवेक की स्वतंत्रता तथा धर्म के प्रदर्शन, व्यवहार तथा प्रचार के स्वतंत्रता के अधिकार के लिए समान रूप से पात्र है। "सार्वजनिक आदेश" भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 - राज्य सूची के मद सं. 1 के रूप में सूचीबद्ध है तथा धोखे तथा बल प्रयोग से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए ऐसी कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

974. **डा. खुशीराम हुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव करने हेतु कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के सुधार या संशोधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए दिनांक 13.10.1993 को एक सलाहकार समिति गठित की गई है। यह समिति अस्तित्व में नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तटवर्ती क्षेत्रों की निगरानी

975. **श्री हरिन पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के तटवर्ती क्षेत्रों में संयुक्त निगरानी पर हुए व्यय का एक हिस्सा वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस संबंध में गुजरात सरकार ने कितनी राशि का दावा किया है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि लौटायी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) पश्चिमी तट के साथ-2 महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के तट के साथ-साथ, नौसेना, तटरक्षक, सीमा-शुल्क और राज्य पुलिस द्वारा संयुक्त तटीय गश्त लगायी जाती है। तटीय निगरानी स्कीम के अंतर्गत 1993-94 और 1994-95 में, संयुक्त तटीय गश्त पर गुजरात सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से 33.73 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करने का दावा किया था। दावों को प्रोसेस करने के बाद, 1993-94 और 1994-95 में तटीय निगरानी स्कीम को वित्त पोषित करने के लिए गुजरात सरकार को, विशेष वित्तीय सहायता पर 458.89 लाख रुपये की सरकारी स्वीकृति मार्च, 1995 में जारी की गयी थी। राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए 322.14 लाख रुपये का दावा भी भेजा है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

11.07 म.पू.

तत्पश्चात् लोकसभा 2 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म.प.

लोक सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

...(व्यवधान)

2.01 म.प.

इस समय डा. मुमताज अंसारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

2.01¼ म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए ग्यारहवें वार्षिक प्रतिवेदन और व्याख्यात्मक टिप्पण और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालु) : मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए ग्यारहवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में एक व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में एक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9149/96]

क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9150/96]

(3) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9151/96]

बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों आदि को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) बीकोलारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीकोलारी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9152/96]

(ख) (एक) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड, तथा इसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9153/96]

(3) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9154/96]

एच.टी.एल. लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एच.टी.एल. लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच.टी.एल. लिमिटेड के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9155/96]

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1995 जो 28 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा.का.नि. 818 (अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9156/96]

राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केन्द्र, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा समीक्षा।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केन्द्र, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केन्द्र, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9157/96]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या यू. 14011/160/89-दिल्ली, जो 31 जनवरी, 1996 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण की अवधि को 1 फरवरी, 1996 से और छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाने के संबंध में आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9158/96]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैय्यद सिब्ते रजी) : मैं सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 72 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 978(अ), जो 15 दिसंबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम अधिसूचना में दर्शाये गये कतिपय उपान्तरणों के अध्यधीन 15 दिसंबर, 1995 से प्रभावी होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 12 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 38(अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं :-

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं. एल.टी. 9159/96]

2.03 म.प.

लोक लेखा समिति

विवरण

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) वायुयान के निर्माण हेतु प्राप्त सामग्री में अतिरेक के संबंध में 123वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(2) कांडला पत्तन न्यास के संबंध में 137वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(3) हथियार प्रणाली के विकास और निर्माण के संबंध में 168वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(4) इस्तेमाल किए हुए परिवहन विमान की एक निजी फर्म से खरीद के संबंध में 221 वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(5) कॉफी बोर्ड के संबंध में चौथा प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(6) सीमा शुल्क प्राप्तियां-गलत छूट दिये जाने के कारण शुल्क की अनियमित वापसी के संबंध में 25वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(7) सीमा-शुल्क प्राप्तियां-शुल्क छूट हकदारी योजना के संबंध में 37वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(8) अचल सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में 60वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(9) इम्बारकेशन मुख्यालय के कार्यकरण के संबंध में 67वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(10) किरायों के पुनरीक्षण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि के संबंध में 115वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(11) रेलवे भर्ती बोर्डों के संबंध में 120 वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(12) राहत और प्रतिदाय के संबंध में 137वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(13) टूरिस्ट स्पेशल रेलगाड़ी-द पैलेस आन व्हील के संबंध में 153वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(14) वायु सेना के लिए एक उपस्कर के विकास में विलम्ब के संबंध में 170वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(15) लाख की खरीद में हानि के संबंध में 181वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(16) बिक्रीकर के संबंध में 18वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(17) कार्ट्रिज टैपर्ड रोलर बियरिंग्स की खरीद के बारे में परिहार्य व्यय के संबंध में 38वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(18) संघ उत्पाद शुल्क-गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क की वसूली प्रिक्ली हीट पाउडर-एक प्रसाधन सामग्री संबंध 68वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(19) परियोजना आयात के संबंध में 77वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(20) प्रशिक्षण विमान के विकास और उत्पादन के संबंध में 78वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(21) ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी व्यर्थ परिव्यय के संबंध में 79वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(22) विदेशी सहायता के उपयोग के संबंध में 81वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(23) उन्नत हल्के हैलीकाप्टर के डिजाइन और विकास के संबंध में 84वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(24) स्वीकृत अनुदान तथा भारित विनियोगों से अधिक व्यय संबंधी 96वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(25) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-लेखापरीक्षा समीक्षा संबंधी 103वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

2.03¼ म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पचासवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : मैं विद्युत वित्त निगम लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पचासवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूँ।

2.03½ म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

उनसठवां और साठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री हरिलाल ननजी पटेल (कच्छ) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) कल्याण मंत्रालय (जनजातीय विकास खण्ड)-मध्य प्रदेश में बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास संबंधी उनसठवां प्रतिवेदन।

(2) कल्याण मंत्रालय-उड़ीसा में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यकरण के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी साठवां प्रतिवेदन।

2.03 ¾ म.प.

याचिका समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

ऊर्जा, संबंधी स्थायी समिति

बारहवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश, शब्दशः कार्यवाही और विवरण

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश, शब्दशः कार्यवाही और विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) कोल इंडिया (अंतरणों का विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1995, संबंधी बारहवां प्रतिवेदन तथा विधेयक की जांच के संबंध में हुई समिति की बैठकों की शब्दशः कार्यवाही।

(2) फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाएं-एक मूल्यांकन संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्रों की समस्याओं संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(4) न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों की सेवाशर्तों को अंतिम रूप देने और उन्हें खपाये जाने संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

(5) समिति में की गई कार्यवाही संबंधी चौदहवें (1994-95) सत्रहवें, उन्नीसवें, सत्ताइसवें और अट्ठाइसवें (1995-96) प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला समेकित विवरण।

(6) ऊर्जा संबंधी समिति और प्रक्रियात्मक तथा प्रकीर्ण मामलों से संबंधित की गई कार्यवाही संबंधी उप समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

2.04 ½

वित्त संबंधी स्थायी समिति

बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर (पेरुम्बुदूर) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की बैठकों के तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूँ :-

(1) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 1995 संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

2.05 म.प.

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) "वर्ष 1995-96 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों" के बारे में समिति (10वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(2) "इंस्टिट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलाजी" (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) से संबंधित 26वां प्रतिवेदन।

2.05 ½ म.प.

खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय मैं खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण के बारे में स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) खाद्य मंत्रालय-अनुदानों की मांगें (1995-96) के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश।

(2) खाद्य तेलों के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

2.05¼ म.प.

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. वागा रेड्डी (मेडक) : महोदय मैं, पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण और पूंजीगत माल क्षेत्र की स्थिति के बारे में उद्योग स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.06 म.प.

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री के.एम. मैथ्यू (इदुक्की): रक्षा हवाई क्षेत्रों में असैनिक अंत: क्षेत्र के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं नियम 377 के अंतर्गत मामला उठा सकता हूं। "नियम 377 के अन्तर्गत मामले" आपका विषय है। यह सभी महत्वपूर्ण मामले हैं।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो हम नियम 377 के अंतर्गत मामला उठा सकते हैं। यहां अनेक ऐसे माननीय सदस्य हैं जो यह महसूस करते हैं कि ऐसा किया जाना अतिआवश्यक है और यदि आप इसमें सहयोग दें तो हम नियम 377 के अंतर्गत मामला उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लोक सभा अब कल 8 मार्च, 1996 को 11.00 म.पू. तक के लिए स्थगित होती है।

2.08 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 8 मार्च 1996/18 फाल्गुन, 1917 (शक) को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।